Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे 2024—2025

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वायत्त समिति)

www.ncct.ac.in www.facebook.com/ncctandinstitutes

x.com/ncct_institutes www.youtube.com/ncct_institutes

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा
वित्त वर्ष 2024-25

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स मनोज मोहन एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण सं..009195C
पता : एफ 18A, सेक्टर 27
नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, भारत

<u>हमारे बैंकर</u>

भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

पैन : AAEAN3477B, जीएसटीएन : 07AAEAN3 477B1ZQ,
आयकर विभाग, भारत सरकार से 12 ए और 80 जी प्रमाण पत्र

पता: 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली -110016,

दूरभाष .01141096510, ईमेल: secy-ncct@gov.in, वेबसाइट: www.ncct.ac.in

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	1-23
2.	एनसीसीटी के समेकित वित्तीय विवरण	24-27
3.	अनुसूचियां	28-40
4.	लेखाकरण नीति	41-43
5.	प्राप्तियाँ और भुगतान खाता	44
6.	मद वार व्यय	45-47
7.	उपयोग प्रमाण पत्र	48-53
8.	अनुपालन रिपोर्ट	54-89

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सचिव,
राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
3-सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग , हौज़ खास
नई दिल्ली - 110016

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद अर्थात मुख्यालय-नई दिल्ली, वैमनीकॉम पुणे, राष्ट्रीय स्तर पर, 5 (पांच) क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान- बैंगलोर, चंडीगढ़, गांधीनगर, कल्याणी और पटना, 14 (चौदह) सहकारी प्रबंध संस्थान- भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, कन्नूर, लखनऊ, मदुरै, नागपुर, पुणे, त्रिवेंद्रम के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं, के अनुसार एनसीसीटी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में एनसीसीटी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए सुसंगत थे, जो सही और निष्पक्ष तस्वीर दर्शाते हैं और महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और लेखा-परीक्षा की योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम आकलनों को करने में, लेखापरीक्षक एनसीसीटी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन इस बारे में राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं कि क्या एनसीसीटी ने वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और एनसीसीटी के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अभिमत

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित खाते अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं:

क) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2025 तक एनसीसीटी की स्थिति;
ख) आय और व्यय खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए "व्यय पर आय का अधिशेष"।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम निम्नलिखित अवलोकन/ टिप्पणियों /विसंगतियों/असंगतताओं को रिपोर्ट करते हैं ; यदि कोई हों:

संयुक्त/ सामान्य बिंदु

1. कुछ प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा उपार्जन अवधारणा को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है ।

2. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान, कुछ इकाइयों को यह देखा गया है कि पूंजी निधि शेष आमतौर पर अचल संपत्तियों के शुद्ध बही मूल्य के अनुरूप होना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां पूंजी संपत्ति आंतरिक संसाधनों या अनुदान निधियों से बनाई जाती है। हालांकि, खातों की पुस्तकों के अनुसार पूंजी निधि का समापन शेष, अचल संपत्तियों के समापन शेष के साथ संरेखित नहीं होता है।

   विचरण से पता चलता है कि:

   - कुछ अचल संपत्तियों को परिसंपत्ति रजिस्टर में ठीक से रिकॉर्ड, पूंजीकृत या अद्यतन नहीं किया गया हो सकता है;
   - मूल्यह्रास समायोजन का सही हिसाब नहीं दिया जा सकता है; या
   - परिसंपत्ति परिवर्धन, अनुदान उपयोग या परिसंपत्ति निपटान से संबंधित आवश्यक पूंजी निधि समायोजन पुस्तकों में पारित नहीं किया गया हो सकता है।

   इकाइयों को पूंजी निधि और निश्चित परिसंपत्तियों के बीच एक विस्तृत समाधान करने और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लेखांकन सुधार करने की सलाह दी गई है।

3. प्रशिक्षण इकाइयों ने उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार विशिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए "बिल्डिंग फंड" और "प्रशिक्षण एवं विकास फंड" से मिलकर निर्धारित निधि बनाए रखी है। प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा उक्त निधियों और उनके संबंधित निवेशों के बीच एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए।

4. कुछ प्रशिक्षण इकाई की प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार नहीं किया गया है, हालांकि मुख्यालय द्वारा समेकित प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार किया गया है।

5. एनसीसीटी की लेखांकन नीतियों के अनुसार मूल्यह्रास किया गया।

6. प्रशिक्षण इकाइयों ने वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का सत्यापन किया है, तथापि अचल संपत्ति रजिस्टर के उचित रखरखाव के अभाव में बही अभिलेखों और भौतिक संपत्तियों के बीच अंतर का पता नहीं लगाया जा सका।

7. एनसीसीटी-मुख्यालय ने लेखों की गहन जांच के लिए सभी प्रशिक्षण इकाइयों के लिए केंद्रीकृत समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है। हमने वर्तमान में समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है और उनकी टिप्पणियों/सुझावों पर यथासंभव कार्रवाई की गई है।

8. हमने पाया कि जीएसटी और टीडीएस के कार्य के लिए सभी प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा पेशेवर/चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाओं पर काम करने के बावजूद जीएसटी/टीडीएस/आय कर के अनुपालन में कुछ कमियां पाई गई हैं। विभिन्न सेवाओं पर इस तरह के नए जीएसटी अनुपालन के लिए भी यह देखा गया, एनसीसीटी ने जीएसटी कानून और आयकर अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके से जीएसटी/टीडीएस के मुद्दों की जिम्मेदारी ली और उनका समाधान किया।
9. प्रत्येक बैंक के लिए प्रशिक्षण इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए तथा इसे लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10. लेखापरीक्षा के दौरान प्रशिक्षण इकाइयों की बहियों में कई प्राप्य और देय राशि देखी गई, जो पिछले वर्षों से चली आ रही हैं और उनका मिलान किया जाना चाहिए और ऐसे शेषों की पुष्टि के अधीन होना चाहिए।

GPF मुख्यालय

i. वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित 69,85,688 रुपये के प्रोद्भूत ब्याज को संबंधित सावधि जमाओं की परिपक्वता पर प्राप्त वास्तविक ब्याज के मुकाबले समायोजित नहीं किया गया है।

ii. फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक से ब्याज पर टीडीएस की गई कटौती, जो 31/03/2025 तक टैली में दर्ज की गई राशि के रूप में 97,320 रुपये है, एफडी शीट में दिखाई गई ₹6,06,361 रुपये की टीडीएस राशि से मेल नहीं खाता।

मुख्यालय की सामान्य इकाइयां

I. ई-वे बिल भुगतान वाउचर से जुड़ा नहीं है। ई-वे बिल नियमों के अनुसार, राशि 1,00,000 रुपये से अधिक की वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए, एक ई-वे बिल अनिवार्य है और उचित अनुपालन और ऑडिट सत्यापन के लिए भुगतान वाउचर से जुड़ा होना चाहिए।

II. मार्च 2022 से मौजूदा देनदारियों के तहत 6,27,152 रुपये की राशि की वसूली की गई है। इससे पता चलता है कि यह राशि एक विस्तारित अवधि के लिए पूरी तरह से समायोजित रही है और इसके लिए समाधान या मंजूरी के लिए समीक्षा और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है।

III. मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के लिए विक्रेता लेजर नहीं बनाया गया है। इससे विक्रेता के साथ लेनदेन की अधूरी ट्रैकिंग हो सकती है और सटीक लेखांकन और ऑडिट सत्यापन के लिए खाता बही के निर्माण और समाधान की आवश्यकता होती है।

IV. मंत्रालय के पत्र के अनुसार कुशल, अकुशल तकनीकी और गैर-तकनीकी आउटसोर्स जनशक्ति, हाउसकीपिंग और चौकीदार सेवाओं आदि की सुरक्षा सेवाएं प्रदान करके श्रम सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए, एनसीसीटी को ईएमडी, टर्नओवर और ऐसी निविदा में किसी अन्य नियम और शर्तों में रियायतें देनी चाहिए ताकि श्रम सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जा सके और मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार श्रम सहकारी को प्रोत्साहित करने के लिए निविदा के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन से बचा जा सके।

V. आयकर से प्राप्त टीडीएस प्राप्तियों का फॉर्म 26AS के साथ मिलान नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में केवल 1,84,00,000 रुपये की एक प्रविष्टि दर्ज की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए मिलान जरूरी है कि रिकॉर्ड सही हों।

VI. दिनांक 02/04/2024 को निवेश की शेष राशि खोलने पर ₹2,84,41,736 का ब्याज अर्जित किया गया है। हालांकि, अर्जित ब्याज प्रविष्टि को अप्रैल 2024 में समायोजित किया गया है, इसे पूर्व अवधि की आय के तहत दिखाया जाना चाहिए।

<u>प्रशिक्षण इकाइयाँ</u>

1. वैमनीकॉम

I. यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि वर्तमान परिसंपत्ति और देनदारियों के तहत क्रमशः प्राप्य और देय कुछ राशि बिना किसी लेनदेन या अपडेट के एक वर्ष से अधिक समय तक असमायोजित रही है। इकाई को इन लंबे समय से लंबित शेष राशि की विस्तृत समीक्षा और समाधान करने और लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप उनके उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन और समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लेखा कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की जाती है।

2. पुणे

यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान परिसंपत्ति और देनदारियों के तहत क्रमशः प्राप्य और देय कुछ राशि बिना किसी लेन-देन या अद्यतन के एक वर्ष से अधिक के लिए शुद्ध रही है। इकाई को इन दीर्घकालिक शेष राशियों की एक विस्तृत समीक्षा और मिलान करने की सिफारिश की जाती है और उनके उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन और लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लेखांकन कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की जाती है।

3. जयपुर

I ट्रेसेस पोर्टल के सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तिमाही-2 के लिए विलंब फाइलिंग शुल्क की मांग की गई है, जिसकी राशि क्रमशः ₹1,400 और ₹1,200 है। ये मांगें निर्धारित देय तिथियों के भीतर टीडीएस विवरण दाखिल करने में देरी का संकेत देती हैं।

इकाई को सलाह दी जाती है कि:

- उठाई गई मांगों की शुद्धता की समीक्षा और सत्यापन;
- टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में देरी के कारणों की पहचान करना;
- बकाया शुल्क के भुगतान या संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, जहां भी आवश्यक हो; तथा
- भविष्य में टीडीएस प्रावधानों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना।

II अर्जित ब्याज प्रविष्टियों को एफडी-वार बनाए रखा जा रहा है, और संबंधित समायोजन प्रत्येक संबंधित सावधि जमा की परिपक्वता के समय किया जाता है। इकाई को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ब्याज उपार्जन और समायोजन लागू लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सटीक और लगातार दर्ज किए जाते हैं।

4. गांधीनगर

I. यह देखा गया है कि सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को परिपक्व एफडी के वास्तविक ब्याज हिस्से के साथ ठीक से समायोजित नहीं किया गया है। नतीजतन, पुस्तकों में मान्यता प्राप्त ब्याज आय अवधि के दौरान अर्जित वास्तविक ब्याज को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है।

प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज प्रमाण पत्र या बैंक पुष्टि के आधार पर एफडी परिपक्वता के समय अर्जित ब्याज का मिलान और समायोजन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित लेखांकन उपचार का पालन किया जाना चाहिए कि अर्जित और वसूल किए गए ब्याज दोनों को वित्तीय विवरणों में सही ढंग से दर्ज किया गया है, जिससे ब्याज आय और संबंधित परिसंपत्तियों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

II. यह देखा गया है कि एनसीसीटी से प्राप्य टीडीएस के रूप में वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत रु. 41,47,761.50 / - की सूचना दी गई है। शेष राशि लंबे समय तक बकाया रही है, और यह ध्यान दिया गया है कि मुख्यालय के साथ कोई पुष्टि, या पत्राचार नहीं किया गया है।

iii. यह देखा गया है कि एनसीसीटी मुख्यालय से प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेषण खाते में वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत रु. 1,45,70,938.80 की सूचना दी गई है। हालांकि, इन प्रशासनिक और अन्य खर्चों के निपटान के संबंध में कोई स्पष्टता या सहायक संचार नहीं है। इसके अलावा, मुख्यालय द्वारा यह पुष्टि करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है कि क्या इन खर्चों की प्रतिपूर्ति एनसीसीटी एचओ द्वारा की जानी है या इकाई स्तर पर कार्यक्रम आय से वहन करने की आवश्यकता है।

क. यह भी ध्यान दिया जाता है कि इस शीर्ष के तहत शेष राशि साल-दर-साल बढ़ रही है, यह दर्शाता है कि आवधिक आधार पर कोई समाधान या निपटान प्रक्रिया नहीं की जा रही है।

IV. इसमें यह पाया गया है कि श्री भावेन के.दीक्षित (एसड़ीपी) के नाम पर रु. 20,000/- हैं जो करीब आठ वर्षों से अधिक के लिए जमा की वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया गया है। इस लंबी अवधि के दौरान शेष का निपटान, पत्राचार या सत्यापन के लिए उपलब्ध अनुवर्ती कार्रवाई का कोई सबूत नहीं है।

क. प्रबंधन को इस दीर्घकालिक दायित्व की प्रकृति और वैधता की समीक्षा करनी चाहिए। यदि राशि अब देय नहीं है/ देयता नहीं है, तो उपयुक्त लेखांकन लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।

V. यह देखा गया है कि श्री आर.पी. सेकरा, पूर्व निदेशक (पीपी एवं एक वेतन वृद्धि बकाया) से संबंधित राशि आज भी "जमा राशि - चालू देनदारियाँ" के अंतर्गत इसलिए प्रदर्शित हो रही है क्योंकि अभिलेख सत्यापन के दौरान इस देनदारी से संबंधित कोई प्रमाणिक दस्तावेज, पत्राचार, दावा या पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। लेखा परीक्षण अवधि के दौरान सत्यापन के कई प्रयासों के बावजूद कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः जब तक संबंधित अधिकारी/व्यक्ति की ओर से प्रमाणित पुष्टि या दावा प्राप्त नहीं होता, इस राशि का निपटान, समायोजन अथवा समाप्ति संभव नहीं है।

क. प्रबंधन को इन लंबे समय से लंबित शेष राशि की प्रामाणिकता और निरंतर वैधता की जांच करनी चाहिए। यदि किसी भी मौजूदा दायित्व या दावे के अभाव में, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लागू लेखांकन सिद्धांतों और संगठनात्मक नीतियों जैसे कि वापस लिखना

या आय में राशि स्थानांतरित करना के अनुसार उचित लेखांकन कार्रवाई की जानी चाहिए। खातों की बहियों में अपनाए गए उपचार को प्रमाणित करने के लिए उचित दस्तावेज़ीकरण और औचित्य भी बनाए रखा जाना चाहिए।

VI. यह देखा गया है कि रुपये 30,375/- (एसआईआरडी अहमदाबाद से संबंधित) तथा रुपये 1,816.94/- (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से संबंधित) की राशि "विविध देनदार – चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत दर्शाई गई है तथा पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से अवशिष्ट है। सत्यापन हेतु न तो वसूली कार्रवाई संबंधी कोई प्रमाण, न पत्राचार और न ही संबंधित पक्षों से कोई पुष्टि उपलब्ध कराई गई है।

क. प्रबंधन को इन लंबे समय से लंबित शेष राशियों की वसूली की संभावना की समीक्षा करनी चाहिए। यदि यह राशि वसूल योग्य नहीं पाई जाती है, तो इसे लिखित रूप से समाप्त (write off) करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

VII. यह देखा गया है कि रुपये 8,58,753/- की राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत एनसीसीटी से प्राप्त होने वाली टीडीएस राशि के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि लंबे समय से अवशिष्ट है। आगे यह भी देखा गया कि इस संबंध में मुख्यालय द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है और इकाई द्वारा इसे निरंतर बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जा रहा है।

VIII. यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रारंभिक निवेश राशि रुपये 3,60,00,000/- थी, जबकि समापन निवेश राशि रुपये 3,45,00,000/- रही। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देय ब्याज (Accrued Interest) रुपये 7,62,381/- है, जबकि पिछले वर्ष यह रुपये 9,27,503/- थी। ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि देय ब्याज की प्रविष्टियों का समायोजन या मेल-मिलान परिपक्व और पूर्व-परिपक्व (Premature) फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) पर प्राप्त वास्तविक ब्याज से ठीक तरीके से नहीं किया गया है। आगे यह भी देखा गया कि देय ब्याज की पूरी राशि को वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज से समायोजित कर दिया गया है, बिना यह मिलान किए कि देय ब्याज की कौन-सी राशि किस एफ.डी. से संबंधित है। इस प्रकार की लेखा प्रक्रिया के कारण निवेश शेष और ब्याज आय में अंतर आ सकता है, जिससे वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

क. अतः अनुशंसा की जाती है कि प्रबंधन देय ब्याज और वास्तविक प्राप्त ब्याज के बीच विस्तृत मेल-मिलान (Reconciliation) करवाए तथा आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ दर्ज करें ताकि निवेश एवं संबंधित आय का सही लेखांकन और प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

5. **बैंगलोर**

i. विविध देनदारों (Sundry Debtors) की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ अवशिष्ट शेष राशि ऐसी प्रकृति की है जो या तो आशंकित (Contingent) है या अब वसूल नहीं की जा सकती। ऐसे संदिग्ध देनदारों (Doubtful Debts) के लिए कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे चालू परिसंपत्तियों (Current Assets) का मूल्य अधिक दर्शाया जा सकता है।

ii. यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2023–24 से संबंधित जीएसटी देयता (GST Liability) ऑडिट की तिथि तक भी अप्रदत्त (Unpaid) है। इस देनदारी का मेल-मिलान (Reconciliation) किया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी ब्याज या दंड (Interest and Penalty) की स्थिति से बचा जा सके।

iii. यह भी देखा गया कि संस्थान ने Reverse Charge Mechanism (RCM) के अंतर्गत देय सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया है, जबकि इसके संबंधित जीएसटी देयता का भुगतान नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया जीएसटी प्रावधानों के विरुद्ध है और इससे आईटीसी अस्वीकृत होने तथा दंडात्मक कार्रवाई होने की संभावना है।

6. पटना

I. यह देखा गया कि स्थायी परिसंपत्तियों (Fixed Assets) पर परिसंपत्ति टैगिंग नहीं की गई है।

II. यह देखा गया कि कुछ स्थायी परिसंपत्तियाँ, जो अब कार्यशील नहीं हैं ("Dead Assets"), संस्थान में अभी भी उपलब्ध हैं। इन परिसंपत्तियों के निस्तारण, लिखित समाप्ति या आगे की कार्रवाई के संबंध में न तो कोई औपचारिक चर्चा की गई है, न अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई गई है और न ही कोई औपचारिक निर्णय लिया गया है। परिणामस्वरूप, ये अकार्यात्मक परिसंपत्तियाँ संस्थान के परिसर में ही रखी हुई हैं।

III. यह देखा गया कि वर्ष के दौरान ₹ 8,64,100 मूल्य का स्क्रैप बेचा गया है; हालांकि, बहियों में इस स्क्रैप मूल्य के समायोजन से संबंधित लेखा प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई हैं। संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं की गई है, और न ही स्क्रैप बिक्री को सही तरीके से आय के रूप में मान्यता दी गई है। इस कारण वर्ष के लिए परिसंपत्ति शेष (Asset Balances) और आय से अधिक दर्शाई जा सकती है, तथा वित्तीय विवरण वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाया हैं।

IV. लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि बैगों की खरीद सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गई है । इसके अतिरिक्त:

i. 1,505 बैग की खरीद के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जबकि इस खरीद के लिए अनुमोदन अब भी लंबित है। किसी भी अनियमितता से बचने के लिए इकाई को क्रय प्रक्रिया (Procurement Procedure) का पालन करना चाहिए।

V. लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि हाउसकीपिंग, सुरक्षा तथा मैनपॉवर की सेवाओं हेतु अलग-अलग निविदाएँ जारी की गई थीं। तथापि, प्रत्येक सेवा के लिए अलग निविदा जारी किए जाने के बावजूद, मानक क्रय प्रक्रिया के अनुसार सभी निविदाओं को खोलने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का पालन किए बिना ही सभी निविदाएँ एक ही विक्रेता, M/s Forgrand Private Limited, को प्रदान की गईं। किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने हेतु इकाई को निर्धारित क्रय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

VI. यह देखा गया है कि चालू वर्ष के खातों में ₹87,09,268 की राशि टीडीएस प्राप्ति (TDS Receivable) के रूप में आरंभिक शेष दिख रही है। इस राशि का मुख्यालय से कोई समायोजन या मेल-मिलान नहीं किया गया है।

i. संस्थान एक ही PAN के अंतर्गत संचालित होता है, अतः सभी टीडीएस क्रेडिट को मुख्यालय स्तर पर समेकित, मिलान एवं उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाना चाहिए। तथापि, मुख्यालय द्वारा न तो कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है और न ही अद्यतन टीडीएस क्रेडिट स्थिति प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप यह शेष एक और वर्ष के लिए बिना समायोजन के बना हुआ है।

VII. यह देखा गया है कि CGST Act की धारा 17(5) के तहत Blocked इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को लेखों में Reverse नहीं किया गया है। वर्ष के लिए पात्र और अपात्र (Ineligible) ITC की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का सही मेल-मिलान विवरण या कार्यपत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्थान को आवश्यक मेल-मिलान कर अपात्र ITC पर रोक लगानी चाहिए ताकि किसी भी वित्तीय हानि से बचा जा सके।

7. **मदुरै**

I. जीएसटी लेज़र के सत्यापन के दौरान बहियों में रुपये 8,27,963.78 की देनदारी दर्ज पाई गई। तथापि, दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न की जांच से यह पुष्टि होती है कि संबंधित सभी जीएसटी देनदारियों का भुगतान विधिवत कर दिया गया है। यह असंगति इंगित करती है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया समापन शेष अधिक दर्शाया गया है। अंतर के मूल कारण की पहचान हेतु तत्काल मेल-मिलान किया जाना आवश्यक है तथा बकाया शुद्ध देनदारी को समाप्त करने के लिए सुधार प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए।

II. बैंक खातों का सत्यापन के दौरान एमडीसीसी बैंक (The Madurai District Central Co-operative Bank Ltd.) में रखे गए फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में विसंगति पाई गई। इकाई की आंतरिक लेखा बहियों में रुपये 90,000/- की राशि 31-01-2025 तक दर्ज नहीं की गई है। इस राशि को इकाई की पुस्तकों में विधिवत दर्ज किया जाना आवश्यक है।

III. लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि ICDP–II Phase DPR Project Preparation से संबंधित निम्नलिखित राशियाँ "प्रशिक्षण कार्यक्रम के विरुद्ध अग्रिम प्राप्ति" के अंतर्गत चालू देनदारियों में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से दर्शाई जा रही हैं:

i. **ICDP–II Phase DPR Project Preparation – RMDP: ₹3,61,129.48**
ii. **ICDP–II Phase DPR Project Preparation – TPR: ₹4,02,01,048.00**
iii. **ICDP–II Phase DPR Project Preparation – IV Malai: ₹3,22,668.48**
iv. **ICDR–II Phase DPR Project Preparation – VDNR: ₹3,51,638.48**

v. ये अग्रिम राशियाँ एक वर्ष से अधिक समय से बिना किसी संबंधित समायोजन के लंबित हैं। इकाई को चाहिए कि वह संबंधित प्रोजेक्टों की प्रगति और लागू लेखा मानकों के अनुसार इन शेष राशियों की समीक्षा, मेल-मिलान (Reconciliation) और निपटान हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

IV ADDI Registrar/MD, TNCU, चेन्नई से रुपये 1,93,520/- की प्राप्ति योग्य राशि है, वर्तमान परिसंपत्तियों में विविध देनदारों के अंतर्गत दर्शाई गई है और मई 2023 से अब तक अवशिष्ट है। इकाई को सलाह दी जाती है कि वह इस लंबे समय से लंबित प्राप्ति योग्य राशि की वसूली की संभावना का मूल्यांकन करे तथा ध्यानपूर्वक लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप इसके मेल-मिलान की पुष्टि और निपटान हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

8. लखनऊ

I. इकाई द्वारा रुपये 46,20,503.91 की राशि एमबीए खाते से प्रशासन एवं कार्यालय व्यय के रूप में दर्ज की गई है। इस राशि का उपयोग एनसीसीटी मुख्यालय के निर्देशानुसार किया जाना चाहिए।

II. एनसीसीटी के निर्देशों के अनुसार इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि चालू देनदारियों के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त राशि का निवेश किया जाए। किंतु ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि ATMA प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क के अग्रिम के विरुद्ध कई वर्षों से कोई निवेश नहीं दर्शाया गया है।

III. आरंभिक वर्ष में नामित निधि का शेष रुपये 3,43,70,138.54 था तथा इसके विरुद्ध निवेश राशि रुपये 2,71,31,753 थी। आगे वित्त वर्ष के समापन में नामित निधि का शेष रुपये 3,67,47,038.54 था जबकि निवेश राशि केवल रुपये 2,88,08,269 ही रही, जिसमें अनुपयुक्त अंतर देखा गया है।

IV. निवेश से प्राप्त आय के ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि ब्याज प्रमाणपत्र में दर्शाई गई राशि एवं एनसीसीटी को स्थानांतरित राशि का मिलान (Matching) तो सही है, किंतु लेखांकन पद्धति उचित नहीं है।

इकाई को सुझाव दिया जाता है कि एफडीआर से प्राप्त ब्याज से एनसीसीटी निधि में राशि स्थानांतरित करने हेतु एनसीसीटी मुख्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए।

V. यह देखा गया है कि कुछ प्राप्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, किंतु फिर भी बैलेंस शीट में बकाया के रूप में दर्शायी जा रही हैं। वर्तमान वित्तीय स्थिति को सही रूप में दर्शाने हेतु इस विसंगति में सुधार किया जाना आवश्यक है:

विवरण	**राशि**
कंप्यूटर एप्प प्रशिक्षण	9,419.00
Consumer Women Fed.	5,400.00
NCCE प्रशिक्षण	23,224.00
कार्यालय प्रबंधकीय कार्यक्रम (lacfed)	17,800.00
TDS पर प्रशिक्षण	10,286.00
प्रोजेक्ट निदेशक, ATMA लेखीसराय	4,488.00
आरसीएस कार्यक्रम वित्त	38,116.00
RTI कार्यक्रम	23,075.00
TOT कार्यक्रम वित्त	51,611.00
UPSS कार्यक्रम	13,804.00
कुल	**1,97,223.00**

VI. यह देखा गया है कि कुछ प्रावधानों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, फिर भी वे बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में दर्शा रहे हैं। वास्तविक वित्तीय स्थिति को सही रूप में दर्शाने हेतु इसका सुधार किया जाना आवश्यक है।

MBA संस्थान

I. नामित निधि का प्रारंभिक शेष ₹0 था और इसके विरुद्ध निवेश की राशि ₹12,103,887.00 थी। आगे, नामित निधि का समापन शेष ₹0 रहा, जबकि इसके विरुद्ध निवेश की राशि अभी भी ₹13,252,685.00 बनी हुई है।

9. **इंफाल**

I. हमारे ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि केवल दो निविदा जाँचें GeM पोर्टल के माध्यम से की गईं, अर्थात एक 04-12-2021 और दूसरी 01-04-2022 को उसके बाद नवीनीकरण और खरीदारी भौतिकी आवेदनों के माध्यम से मैन्युअल रूप से की गई, GeM प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया गया।

क. अनुशंसा की जाती है कि संगठन सभी पात्र खरीदारी गतिविधियों के लिए नियमित रूप से GeM पोर्टल का उपयोग करें ताकि पारदर्शिता, अनुपालन और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन को यह भी चाहिए कि समय-समय पर निगरानी स्थापित करें ताकि क्रय नीतियों के पालन की पुष्टि हो सके।

II. निवेश (PG खाता) पर ब्याज ₹30,37,397/- का अभिलेख नहीं किया गया:

क. हमारे ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि प्रबंधन ने निवेश पर उत्पन्न ब्याज को दर्ज नहीं किया, जबकि NCCT अपने वित्तीय विवरण Accrual Basis of Accounting पर तैयार करता है। परिणामस्वरूप, ब्याज आय और संबंधित प्राप्तियाँ कम दर्ज हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरणों में त्रुटि उत्पन्न हो रही है।

III. कर्मचारियों को प्रदान किया गया अग्रिम (Advance) लंबे समय से लंबित है। इसका समायोजन या वसूली करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

IV. अप्राप्त चेक (Uncleared Cheque) ₹15,528/-:

क. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के अनुसार देखा गया कि रुपये 15,528/- (Opening Balance) अप्राप्त चेक के रूप में नामित/एंडोमेंट फंड (Earmarked/Endowment Fund) के अंतर्गत दिखाई दे रहा है।

ख. प्रबंधन को यह देखना चाहिए कि ₹15,528/- का अप्राप्त चेक, जो नामित/एंडोमेंट फंड के अंतर्गत प्रारंभिक शेष के रूप में दिखाई दे रहा है, उसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाए, जैसे कि: (क) यदि चेक वैध है और प्रस्तुति लंबित है तो उसे क्लियर करना, या (ख) यदि अब भुगतान योग्य नहीं है या चेक निष्प्रभावी हो गया है तो प्रविष्टि को बदलना।

ग. ऐसी वस्तुओं का नियमित Periodic Reconciliation किया जाना चाहिए ताकि लंबे समय से लंबित अप्राप्त चेकों की पहचान, जांच और उचित समाधान सुनिश्चित हो सके, जिससे फंड शेषों की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे।

10. हैदराबाद

I. एनसीसीटी मुख्यालय को हस्तांतरित की जाने वाली राशि को NCCT को देय अधिशेष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में एनसीसीटी को भुगतान इस लेजर के माध्यम से किया जाता है।

II. प्रारंभिक शेष की पुष्टि पिछले वर्षों के हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों से की जानी चाहिए और इसे मार्च तक के वित्तीय विवरणों के साथ मेल-मिलान (Reconciliation) किया जाना चाहिए।

III. हमारे सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि Director Expenses Grouping के अंतर्गत "Paid Programmes" और "Research & Consultancy" व्यय लेजरों के कई लेजर थे। व्यय लेजर के विरुद्ध प्राप्तियाँ डेबिट की गई थीं। यह सलाह दी जाती है कि अनुदान (Grant) या कार्यक्रम से प्राप्त राशि को Income या Current Liabilities लेजर में दर्ज किया जाए, न कि उन्हें व्यय में क्रेडिट किया जाए।

IV. बैंक खातों के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि Tally और बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक शेष में अंतर था। इस असंगति को दूर करने के लिए नियमित Bank Reconciliation Statement (BRS) तैयार करने की सलाह दी जाती है। इस अंतर की तत्काल जाँच और मेल-मिलान आवश्यक है।

V. हमारे सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि GST लेजर और GST रिटर्न्स में विसंगति है और इसके देयकर में अंतर है। अंतर के मूल कारण की पहचान हेतु तत्काल मेल-मिलान करना आवश्यक है और बकाया शुद्ध देनदारी को समाप्त करने के लिए सुधार प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए।

VI. कुछ महीनों में नकद (Cash) का शेष ऋणात्मक (Negative) क्यों गया? संभावित लेखांकन त्रुटि Income Tax Act की धारा 40A(3) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन के लिए भुगतान या भुगतानों का योग ₹10,000/- से अधिक है और वह नकद या निर्धारित तरीकों के अलावा किसी अन्य माध्यम से किया गया है, तो उसे व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी जाती।

VII. इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की प्रविष्टियाँ सही तरीके से दर्ज नहीं की गई हैं, विभिन्न ग्रुपिंग में लेजर नाम अलग-अलग दिखा रहे हैं।

क. चूंकि यह एक सरकारी संबंधित इकाई है, इसलिए GST TDS भी लागू होता है और ऐसे लेन-देन का लेखांकन सही ढंग से किया जाना चाहिए।
ख. अतः अनुशंसा की जाती है कि GST को मासिक आधार पर GSTN पोर्टल के साथ मेल-मिलान किया जाए, जैसे: Output के लिए GSTR-1 और ITC के लिए GSTR-2B, और आवश्यक सुधार किए जाएँ।

VIII. यह देखा गया कि कुछ देयताएँ पहले ही निपटाई जा चुकी हैं, फिर भी बैलेंस शीट में बकाया के रूप में दिखाई जा रही हैं। वास्तविक वित्तीय स्थिति को सही ढंग से दर्शाने हेतु इस विसंगति को सुधारना आवश्यक है।

IX. यह देखा गया कि कुछ प्राप्तियाँ पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं, फिर भी बैलेंस शीट में बकाया के रूप में दिखाई जा रही हैं। वास्तविक वित्तीय स्थिति को सही ढंग से दर्शाने हेतु इस विसंगति को सुधारना आवश्यक है।

11. गुवाहटी

I. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ₹1,140/- की राशि आयकर विभाग द्वारा TDS के तहत पहली तिमाही 1 के लिए माँगी गई है, जो TDS की कम कटौती से संबंधित है। इसे तुरंत सुधार किया जाना चाहिए।

II. यह देखा गया कि ₹43,880/- की राशि चालू परिसंपत्तियों में अंग्रेजी से असम में अनुवाद हेतु दर्शाई गई है, जो NCCT मुख्यालय से प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह शेष राशि लंबे समय से लंबित है, और यह देखा गया कि इस राशि की वसूली के लिए मुख्यालय से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसे NCCT मुख्यालय की स्वीकृति के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि निम्नलिखित राशियाँ लंबे समय से चालू परिसंपत्तियों में दशाई गई हैं:

विवरण	राशि (रू.)
ICM मणिपुर प्राप्तियां	94,000/-

III. यह देखा गया कि ₹75,616/- की राशि चालू देनदारियों में अन्य चालू देनदारियाँ के नाम से पिछले पाँच वर्षों से दर्ज है।

क. प्रबंधन को लंबित शेष राशियों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि यह राशि Non-Payable मानी जाती है, तो इसे लिखित समाप्ति के माध्यम से निपटाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

IV. यह देखा गया कि ₹32,446/- की प्रारंभिक शेष राशि चालू परिसंपत्तियों में भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के नाम से वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई या समायोजित/लिखित समाप्त नहीं की गई। सत्यापन के लिए संबंधित पक्षों से वसूली कार्रवाई, पत्राचार या पुष्टि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

क. प्रबंधन को इन लंबे समय से लंबित शेष राशियों की वसूली की संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि यह राशि Non-Recoverable मानी जाती है, तो इसे लिखित समाप्ति (Write-off) के माध्यम से निपटाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

12. देहरादून

I. लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया मार्च 2021 में A.V. AIDS हेतु ₹27,30,000/- की राशि की खरीद से संबंधित है, ₹84,36,767/- की राशि, जो NCCT से रेमिटेंस के रूप में है, बैलेंस शीट में "चालू देनदारियाँ के अंतर्गत अभी भी दर्शाई जा रही हैं।

i. ये शेष राशियाँ कई वर्षों से बहियों में बनी हुई हैं, बिना किसी संबंधित समायोजन, निपटान या दस्तावेज़ीकरण के जो इन देनदारियों की स्थिति को दर्शाती है। इस प्रकार के पुराने शेष राशियों का लंबे समय तक चालू देनदारियों में बने रहना यह संकेत देता है कि इन खातों की उचित समीक्षा और मेल-मिलान नहीं किया गया है।

II. टैली में बुक किया गया ब्याज ब्याज प्रमाणपत्र के साथ मेल नहीं खाता है। ब्याज प्रमाणपत्र के अनुसार राशि ₹7,04,454/- है, जबकि टैली में दर्ज ब्याज ₹7,73,657/- है, जिससे ₹69,203/- का अंतर है।

एमबीए

I. लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) पर उत्पन्न ब्याज (Accrued Interest) की राशि वास्तविक प्राप्ति के बाद टैली (Tally) में उचित रूप से समायोजित नहीं की गई है। उत्पन्न ब्याज की राशि अभी भी "Loans & Advances – Interest Accrued" के अंतर्गत दर्शाई जा रही है, जबकि संबंधित ब्याज आय पहले ही प्राप्त और बैंक में अभिलेखित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वास्तविक उत्पन्न ब्याज की राशि ₹1,97,173/- है, जबकि Interest Accrued A/c में समापन शेष ₹7,09,750.69/- दर्ज है। यह संकेत देता है कि ब्याज उत्पन्न खाता पिछले वर्षों से बिना किसी समायोजन के आगे बढ़ाया गया है, जबकि बाद में प्राप्त ब्याज का समायोजन नहीं किया गया।

13. चेन्नई

I. यह देखा गया कि Indian Security Service, जिसका PAN AACF16953J है, ने सुरक्षा सेवाएँ प्रदान की हैं। इकाइयों ने TDS में कटौती कम की है – 2% की बजाय प्रबंधन ने केवल 1% काटा है। ब्याज और जुर्माने से बचने के लिए इकाई को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

II. वकील सेवाओं पर GST लागू होता है, जिसे Reverse Charge Mechanism (RCM) के तहत भुगतान करना होता है। लेकिन प्रबंधन ने इन चालानों पर GST का भुगतान नहीं किया और Tally में RCM प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई।

III. लेजर नाम: Suspense Payments – इस लेजर में 2023-24 से पार्टियों से प्राप्त होने योग्य राशि दर्ज है, जिसे वसूल नहीं किया गया है और यह अब तक लंबित है।

IV. विश्वविद्यालय शुल्क 23-25 बैच और विश्वविद्यालय शुल्क 24-26 बैच – यह लेजर छात्रों द्वारा जमा की गई राशि को दर्शाता है, जिसे पाठ्यक्रम समाप्ति पर लौटाया जाना है। इसे गलत तरीके से Sundry Creditors के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसे चालू देनदारियों में दिखाया जाना चाहिए।

14. चंडीगढ़

I. पॉलिसी सं.– 231301/ 11/ 2025/ 43 & 231301/ 48/ 2025/ 611
कुल पॉलिसी राशि – 78,108/-
अवधि– 22/6/2024 to 21/6/2025
प्राप्य– 10,00,000/-
दिन: - 365 दिन
लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बीमा व्यय की राशि ₹60,346/- और पूर्व-भुगतान बीमा व्यय की राशि ₹17,762/- पुस्तकों में अभिलेखित की गई है।

हालाँकि, गणना के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि बीमा अवधि को दिनों में उल्लेख किया गया था, लेकिन पूर्व-भुगतान राशि की गणना मासिक आधार पर की गई थी, जबकि इसे दैनिक आधार पर करना आवश्यक था। इकाई में इस गणना में अंतर के कारण ₹1,805/- का अंतर दिख रहा है।

Tally में दिखाई गई राशि के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े प्रदर्शित हैं:
पूर्व-भुगतान बीमा– ₹ 19,515
बीमा खर्च – ₹ 58,543
जबकि वास्तविक दिवस-आधारित (day-wise) गणना के अनुसार सही राशि इस प्रकार होनी चाहिए:"पूर्व-भुगतान बीमा – ₹ 17,762
बीमा खर्च – ₹ 60,346
II. लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ब्याज प्रमाणपत्र के अनुसार प्राप्त ब्याज की राशि ₹6,68,679/- है। हालांकि, Tally अभिलेखों के अनुसार केवल उत्पन्न ब्याज की प्रविष्टियाँ दर्ज की गई हैं तथा वास्तविक प्राप्त
(Interest Received) से संबंधित कोई प्रविष्टि उपलब्ध नहीं पाई गई।

Tally में दर्ज ब्याज से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है:
अर्जित ब्याज – ₹ 4,87,245
Interest received on FD break – ₹ 34,838
Interest received on FD break – ₹ 92,571
टैली के अनुसार कुल Total as per Tally: ₹ 6,14,654/-
प्रमाणपत्र के अनुसार प्राप्त ब्याज ₹ 6,68,679/-
लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि स्थायी जमा की प्रारंभिक शेष राशि ₹90,00,000/- है, जिसके साथ ₹4,34,436/- की प्रारंभिक ब्याज संचित राशि दर्ज है।

वर्ष के दौरान, ₹25,00,000/- की एक FD समयपूर्व बंद की गई, और ₹92,571/- की ब्याज राशि को संचित ब्याज शेष के विरुद्ध समायोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2024 में ₹3,50,000/- की एक अन्य FD बंद की गई, और शेष संचित ब्याज राशि ₹3,41,865/- का भी इसी प्रकार समायोजन किया गया।

हालांकि, लेखा सिद्धांतों के अनुसार केवल उतना ही ब्याज संचित ब्याज खाते से समायोजित किया जाना चाहिए, जितना वास्तविक रूप से प्राप्त (Realized) हुआ है। शेष राशि तब तक संचित ब्याज के रूप में बनी रहनी चाहिए जब तक वह प्राप्त नहीं हो जाती।

Tally में दर्ज प्रविष्टियाँ इस सिद्धांत का पालन करती हुई प्रतीत नहीं होतीं, जिसके परिणामस्वरूप संचित ब्याज और ब्याज आय के लेखांकन में त्रुटिपूर्ण व्यवहार दर्ज हुआ है।

MBA यूनिट

I. लेखा-परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि स्थायी जमा पर संचित ब्याज Tally में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि बैंक द्वारा जारी ब्याज प्रमाणपत्र में यह राशि प्रदर्शित है। प्रमाणपत्र के अनुसार कुल संचित ब्याज की राशि ₹2,41,624/- है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि वर्ष की शुरुआत में FD की शेष राशि ₹29,00,000/- थी, जबकि वर्षांत पर यह बढ़कर ₹59,00,000/- हो गई है। FD निवेश में इस महत्वपूर्ण

वृद्धि के बावजूद, संबंधित संचित ब्याज प्रविष्टियाँ Tally में दर्ज नहीं की गई हैं। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आय और परिसंपत्तियों दोनों का Understatement हुआ है।

15. **भुवनेश्वर**

I. ₹36,864 की राशि, जो AV AIDS & Comp (M/s L7 Solution) से संबंधित है, मार्च 2023 से चालू देनदारियों में "प्रावधान" के अंतर्गत दर्शाई गई है। यह शेष राशि अब तक समायोजित या निपटान नहीं की गई है। अतः इस खाते की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

II. ₹5,712 की राशि, जो Prithvi Graphics से संबंधित है, अप्रैल 2023 से चालू देनदारियों (Current Liabilities) में Sundry Creditors के रूप में दर्शाई गई है। यह राशि लंबे समय से बिना किसी लेन-देन या निपटान के लिए लंबित है।

i. प्रबंधन को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

III. ₹1,82,700 की राशि, जो Directorate of Agriculture (PMFBY) से संबंधित है, मार्च 2022 से चालू देनदारियों के अंतर्गत "प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम" के रूप में दर्शाई गई है। इस अग्रिम राशि का अभी तक न तो समायोजन किया गया है, न ही कोई व्यय या निपटान दर्ज किया गया है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा कर प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति की पुष्टि की जाए तथा उचित लेखांकन उपचार के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए ।

iv. डीएआर एंड पीजी (भारत सरकार) प्रशिक्षण कार्यक्रम (सेवोटम) से संबंधित ₹2,14,885 की राशि, मत्स्य पालन, कटक के निदेशक से संबंधित ₹2,22,450, वाटरशेड विकास के निदेशक से संबंधित ₹3,79,546 पुस्तकालय और छात्रावास सावधानी धन से संबंधित ₹71,250 और एसआईआरडी टीओटी प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित ₹30,923 वर्तमान देनदारियों के प्रावधानों में 'प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ प्राप्त अग्रिम' शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं। इन अग्रिमों को बिना किसी समायोजन, उपयोग या निपटान के 10 वर्षों से अधिक समय तक बहियों में आगे बढ़ाया गया है।

i. इन अग्रिमों की लंबी बकाया प्रकृति इंगित करती है कि संबंधित कार्यक्रम-वार रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेजों के लिए विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा करें, अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ अग्रिमों का समाधान करें, और उचित लेखांकन उपचार सुनिश्चित करने और लंबे समय से लंबित देनदारियों को बंद करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें।

v. एनसीसीटी फंड (मरम्मत और नवीनीकरण) से संबंधित ₹2,45,000 की राशि वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में 'अन्य वर्तमान देनदारियों' के तहत परिलक्षित होती है। यह देयता बिना किसी समायोजन के 10 वर्षों से अधिक समय से बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है।

i. लंबे समय से बकाया शेष के लिए अंतर्निहित अभिलेखों की समीक्षा की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वह फंड के उद्देश्य और वर्तमान स्थिति को सत्यापित करें, सहायक दस्तावेजों के साथ राशि का मिलान करें, और उचित लेखांकन उपचार और समय पर समाधान के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।

vi. छात्रावास भवन (सीपीडब्ल्यूडी) की मरम्मत/नवीनीकरण से संबंधित ₹5,23,714 की राशि वर्तमान परिसंपत्तियों में 'ऋण और अग्रिम' के तहत परिलक्षित होती है। यह राशि बिना किसी समायोजन/निपटान के 10 वर्षों से अधिक समय से बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है।

i. इस अग्रिम की लंबे समय से बकाया प्रकृति इंगित करती है कि एक वसूली योग्य संपत्ति के रूप में इसके निरंतर वर्गीकरण के लिए सहायक रिकॉर्ड और औचित्य के लिए विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता

होती है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वह इस अग्रिम की स्थिति की समीक्षा करें, इसे प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सामंजस्य स्थापित करें और इसके उचित लेखांकन उपचार के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें।

MBA यूनिट

i. हॉस्टल बिल्डिंग रिपेयर एंड रिनोवेशन (सीपीडब्ल्यूडी) से संबंधित ₹1,73,000 की राशि वर्तमान परिसंपत्तियों में 'ऋण और अग्रिम' के तहत परिलक्षित होती है और 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया बनी हुई है।

इकाई को सलाह दी जाती है कि वह इस लंबे समय से लंबित अग्रिम की स्थिति की समीक्षा करने, अंतर्निहित रिकॉर्ड को सत्यापित करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

ii. ओपनिंग बैंक बैलेंस ₹45.24 लाख था और समापन बैंक बैलेंस ₹123.89 लाख था। टैली में बैंक लेजर के अनुसार, वर्ष के दौरान शेष राशि ₹50 लाख से कम नहीं हुई। अनुमानित व्यय आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद, इकाई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ब्याज आय को अनुकूलित करने के लिए अधिशेष निधियों को अल्पकालिक सावधि जमा में क्यों निवेश नहीं किया गया था।

iii. ब्लेजर शुल्क के लिए 85,296 रुपये की राशि वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में 'प्रशिक्षुओं/छात्रों और अन्य से जमा' के तहत परिलक्षित होती है और जुलाई 2022 से पुस्तकों में दिखाई दे रही है।

प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वह इस लंबे समय से बकाया राशि की स्थिति की समीक्षा करे और इसके उचित निपटान या समायोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

16. भोपाल

i. यह देखा गया है कि रु.35,000/- लेखापरीक्षा शुल्क और देय व्यावसायिक शुल्क के प्रावधान के लिए वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाई दे रहा है। उक्त प्रावधान को बिना किसी समायोजन, निपटान या 5 से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। लागू लेखांकन सिद्धांतों (AS 29 / Ind AS 37) के अनुसार, निरंतर दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जानी आवश्यक है। यदि यह पहचाना जाता है कि देयता अब मौजूद नहीं है, या राशि देय नहीं है, तो इसे आय और व्यय खाते में वापस लिखा जाना चाहिए। सिफारिश: प्रबंधन को रुपये के बकाया प्रावधान शेष की वैधता की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है। 35,000/-. • यदि देयता अब देय नहीं है, तो राशि को आय और व्यय खाते में वापस/लिखा जाना चाहिए। • यदि देयता अभी भी मान्य है, तो उपयुक्त सहायक दस्तावेज, विक्रेता पुष्टि, और भुगतान विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और देयता का निपटान तदनुसार किया जा सकता है।
ii. यह ध्यान दिया गया है कि वर्तमान देनदारियों के तहत रु.1,77,588 / - को व्याख्याता वेतन संशोधन / वेतन निर्धारण से संबंधित वेतन बकाया के प्रावधान के रूप में दिखाया गया है। इस प्रावधान को बिना किसी संगत समायोजन, निपटान या सत्यापन के 2 से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जानी आवश्यक है कि क्या वर्तमान और वैध दायित्व अभी भी मौजूद है। यदि बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो अब देय नहीं है, या यदि देयता अनिश्चित या असमर्थित है, तो प्रावधान का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और खातों में उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
iii. यह देखा गया है कि रु.2,63,183.24 जीएसटी समायोजन खाता"" नामक बही में वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाई दे रहा है।" शेष राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है, इस तथ्य के बावजूद कि जीएसटी रिटर्न दाखिल किया गया है, समन्वय पूरी हो गई है, और सभी लागू जीएसटी भुगतान किए गए हैं। इस संतुलन की उपस्थिति इंगित करती है कि अंतिम

मिलान की स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए खाता बही की समीक्षा या समायोजन नहीं किया गया है। मानक लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जीएसटी से संबंधित बही-खातों का समाधान किया जाना चाहिए और चुकता किया जाना चाहिए। समाधान के बाद किसी भी अवशिष्ट शेष को या तो उपयुक्त जीएसटी शीर्ष में समायोजित किया जाना चाहिए या राशि की प्रकृति के आधार पर वापस लिखा जाना चाहिए।

iv. यह देखा गया है कि वर्ष 2007 में कैंटीन भवन के निर्माण के लिए किए गए व्यय से संबंधित रु. 45,405.05 को ""अचल संपत्ति - भवन"" के तहत पूंजीकृत होने के बजाय ""अन्य वर्तमान संपत्ति"" के तहत वर्गीकृत किया गया है।" चूंकि परिसंपत्ति को अचल संपत्ति प्रमुख के तहत दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए वर्षों से इस भवन पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है। नतीजतन, अचल संपत्तियों का मूल्य कम आंका गया है, और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अधिक बताया गया है। इसके अलावा, इस गलत वर्गीकरण के कारण पूंजी निधि और संचित मूल्यह्रास को उचित रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

i. सिफारिश: प्रबंधन को रुपये की राशि को पुनर्वर्गीकृत करना चाहिए। रु.45,405.05 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों से अचल संपत्तियों तक - भवन। इसके अलावा, मूल्यह्रास की गणना की जानी चाहिए और पूंजीकरण के वर्ष से पूर्वव्यापी रूप से समायोजित किया जाना चाहिए, और आवश्यक प्रभाव अचल संपत्ति रजिस्टर, मूल्यह्रास खाते और पूंजी निधि में दर्ज किया जाना चाहिए।

V. लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि बैंक द्वारा जारी ब्याज प्रमाणपत्रों में परिलक्षित आंकड़ों की तुलना में खातों की बहियों (टैली) में दर्ज सावधि जमा पर अर्जित ब्याज और ब्याज के लेखांकन में अंतर हैं।

मतभेदों का विवरण इस प्रकार है:-

विवरण	बहियों के अनुसार (टैली) (रु..)	बैंक के अनुसार प्रमाणपत्र (रु.)	अंतर (रु.)
अर्जित ब्याज	2,97,216/-	2,98,617/-	1,401
एफडी पर भुगतान/प्राप्त ब्याज	7,19,777/-	4,72,153/-	2,47,624

इन अंतरों से संकेत मिलता है कि बहियों में ब्याज प्रविष्टियों को बैंक द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड के साथ मिलान नहीं किया गया है। नतीजतन, ब्याज आय और अर्जित ब्याज शेष को वित्तीय विवरणों की सटीकता को प्रभावित करते हुए अतिरंजित या कम बताया जा सकता है।

17. नागपुर

I. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹22,786 की मुद्रण व्यय राशि गीता बैग हाउस को देय थी। हालांकि, दिनांक 31.03.2022 तक चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए उक्त राशि को उस तिथि पर देय (Payable) के रूप में दर्शाया गया था।
अब यह अवलोकन में आया है कि यह भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक भी Tally प्रणाली में प्रदर्शित/अंकित नहीं हुआ है।

II. इकाई द्वारा ₹1,00,14,671.20 की देय राशि को "अन्य देय लेनदारों" के रूप में दर्शाया गया है, जो कई वर्षों से आगे ले जाई जा रही है (Carried Forward)।

III. इकाई का एक खाता MSC बैंक में है। बैंक के बाद में बंद हो जाने के कारण, बकाया शेष राशि को अप्राप्ति योग्य माना जाता है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि लेखा पुस्तकों के अनुसार ₹166,894.52 की समापन शेष राशि को औपचारिक रूप से हानि के रूप में वर्गीकृत किया जाए और इसे तुरंत बैलेंस शीट से लिखकर समाप्त कर दिया जाए।

IV. During the verification बैंक खातों के सत्यापन के दौरान, बैंक ऑफ बड़ौदा में रखे गए फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉज़िट (FFD) खाते में एक विसंगति पाई गई। इकाई की आंतरिक लेखा पुस्तकों में ₹59,910.00 का क्रेडिट बैलेंस प्रदर्शित है, जबकि संबंधित बैंक स्टेटमेंट में शून्य शेष दिखाया गया है। इस अंतर की त्वरित जांच और समन्वय किया जाना आवश्यक है।

V. लेजर के सत्यापन के दौरान पुस्तकों में ₹3,73,390.40 की शुद्ध देनदारी दर्ज पाई गई (आउटपुट GST देनदारी: ₹7,59,834.06 घटा इनपुट टैक्स क्रेडिट: ₹3,86,443.66)। हालाँकि, दायर किए गए GST रिटर्न की जाँच से यह पुष्टि होती है कि संबंधित सभी GST देनदारियाँ विधिवत चुका दी गई हैं। यह असंगति संकेत करती है कि वित्तीय विवरणों में समापन शेष अधिक दर्शाया गया है। अंतर के मूल कारण की पहचान के लिए तत्काल समन्वय आवश्यक है, और बकाया शुद्ध देनदारी को समाप्त करने हेतु एक संशोधन जर्नल प्रविष्टि पोस्ट की जानी चाहिए।

VI. लेजर की समीक्षा में CPS खाते के अंतर्गत ₹11,28,684.00 की बकाया देनदारी दर्शाई गई है। आगे के सत्यापन से यह पुष्टि हुई कि यह पूरी देनदारी एक अन्य लेजर के माध्यम से पहले ही चुका दी गई है। किंतु आवश्यक समन्वय प्रविष्टि दर्ज न किए जाने के कारण पुस्तकों में यह देनदारी अब भी प्रदर्शित होती रही। यह विसंगति वर्तमान देनदारियों को अधिक दर्शाती है और तत्काल संशोधन की आवश्यकता है।

VII. दूरस्थ देनदारियों के संबंध में कई वर्षों से कुछ मदों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि इन प्रावधानों की समीक्षा की जाए और इन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि अपेक्षा से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

विवरण	राशि
अतिथि संकाय को देय मानदेय	**2000.00**
प्रशासनिक व्यय प्रावधान FY 2023-24	**132020.11**
स्थापना व्यय प्रावधान FY 2023-24	**486198.00**
ठेकेदार को देय TDS	**1209.00**

VIII. आंतरिक ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि ₹1,06,001.00 की राशि, जो आंतरिक ऑडिट रिकवरी से संबंधित है, उसे गलत तरीके से चालू देनदारियों (Current Liabilities) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह राशि वास्तव में एक वसूल योग्य क्रेडिट बैलेंस को दर्शाती है और इसे सही रूप से चालू परिसंपत्तियों (Current Assets) में दिखाया जाना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि आवश्यक संशोधन प्रविष्टियाँ पास की जाएँ ताकि इस राशि का पुनः वर्गीकरण सही तरीके से किया जा सके।

IX. ₹10,500.00 की एक अग्रिम राशि एक कर्मचारी को दी गई थी, जिसे वर्तमान में चालू परिसंपत्ति (Current Asset) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, इस राशि की भविष्य में वसूली या प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसे परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना उचित नहीं है। यह अनुशंसा की जाती है कि इस मद की तुरंत समीक्षा की जाए, इसकी वास्तविक प्रकृति (जैसे– व्यय, खराब ऋण आदि) निर्धारित की जाए, और वित्तीय विवरणों में सही वर्गीकरण हेतु आवश्यक संशोधन प्रविष्टि की जाए।

X. यह देखा गया है कि कुछ प्राप्य राशियाँ वास्तव में प्राप्त हो चुकी हैं, फिर भी उन्हें बैलेंस शीट में बकाया प्राप्य (Outstanding Receivables) के रूप में दिखाया जा रहा है। सही वित्तीय स्थिति दर्शाने के लिए इसे संशोधित किया जाना आवश्यक है।

विवरण	राशि
MCDC Ltd	94882.00

XI. कुछ पुराने प्राप्य ऐसे हैं, जिनके लिए अब भुगतान प्राप्त होने की कोई वर्तमान बाध्यता नहीं है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि वित्तीय स्थिति को यथार्थ रूप से दर्शाने हेतु इन राशियों के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया जाए।

विवरण	राशि
शुल्क प्राप्य	1,81,076.00
वित्तीय सहायता (NCUI) 2016–17	77,408.00
प्राप्य	2,000.00

XII. नवंबर 2023 में निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्राप्त राशि जब्त कर ली गई है, और इस राशि को वापस करने की कोई भविष्य बाध्यता नहीं है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि इस राशि को चालू परिसंपत्ति के रूप में दिखाने के बजाय आय एवं व्यय खाते में अप्रत्यक्ष आय (Indirect Income) के रूप में मान्यता दी जाए।

XIII. GST देयता खाते में ₹58,846.71 का डेबिट बैलेंस कई वर्षों से चालू परिसंपत्ति के रूप में प्रदर्शित है। हालांकि, इस राशि को निपटाने की कोई वर्तमान देनदारी नहीं है। यह अनुशंसा की जाती है कि इस शेष राशि का मिलान किया जाए और इसे सही लेखांकन शीर्ष के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकृत किया जाए।

XIV. कुछ पुरानी देनदारियाँ, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है, बैलेंस शीट में अभी भी प्रदर्शित हैं, जबकि इन राशियों को निपटाने की कोई वर्तमान बाध्यता प्रतीत नहीं होती। यह अत्यंत अनुशंसित है कि इन शेष राशियों की शीघ्र समीक्षा और समन्वय की जाए।

विवरण	राशि
मेस डिपॉज़िट	16,234- Debit Balance
प्रशिक्षण शुल्क	5,75,174.00
बैंक द्वारा गलत जमा	3,924.00
स्टाफ को वेतन एवं मानदेय देय	35,138.00
प्राइस डोनेशन खाता	1,64,271.89

XV. यह देखा गया है कि इकाई ने निम्नलिखित कर्मियों के साथ अनुबंध किए हैं और उनके अनुसार भुगतान भी किए हैं। हालांकि, TDS को गलत तरीके से धारा 192B के अंतर्गत काटकर जमा किया गया, जबकि लागू दर 2% के साथ धारा 194C के अंतर्गत कटौती की जानी चाहिए थी। लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कटौती की गई धारा	लागू धारा	राशि	TDS राशि @2%
Akula Raja Gopal rao	192B	194C	53,500.00	1070.00
Ashish Joshi	192B	194C	40,000.00	800.00

MBA यूनिट

I. ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि 07.06.2024 को अतिथि संकायों को ₹61,000 मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था। लागू दर 10% के अनुसार ₹6,100 का TDS सही रूप से काटा गया, लेकिन ऑडिट की तिथि तक यह कटौती सरकारी प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराई गई है।

II. प्रोफेशनल लेजर में TDS का उद्घाटन शेष ₹190.00 का अंतर दर्शाता है। यह विसंगति मार्च 2024 में गलत तरीके से की गई दोहरी प्रविष्टि के कारण उत्पन्न हुई है। कृपया संबंधित प्रविष्टियों की पहचान करें और अंतर को समाप्त करने तथा प्रारंभिक शेष को सही करने हेतु आवश्यक संशोधन जर्नल प्रविष्टि पास करें।

III. यह देखा गया है कि MBA यूनिट के बैंक खाते का संबंधित बैंक स्टेटमेंट से मिलान नहीं किया गया है।

- पुस्तकों के अनुसार बैंक शेष:₹36,92,850.08
- पासबुक के अनुसार बैंक शेष:₹1,72,678.83
- अंतर:₹35,20,171.25

i.पुस्तक शेष और पासबुक शेष के बीच का अंतर लंबित बैंक समन्वय को दर्शाता है। खाते का शीघ्र मिलान किया जाए और सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक प्रविष्टियाँ पास की जाएँ।

IV. यह नोट किया गया कि संकाय सदस्यों —

- आशीष जोशी (₹10,000.00), तथा
- संजय मेश्राम (₹15,000.00) —

को दिए गए अग्रिम अभी तक समायोजित नहीं किए गए हैं। संबंधित वास्तविक व्यय हो चुके हैं, किंतु अग्रिम राशि व्यय या देनदारी को समायोजित करने में उपयोग नहीं की गई। यह अनुशंसा की जाती है कि तुरंत निपटान प्रविष्टियाँ पास की जाएँ ताकि बकाया अग्रिम शेष को संबंधित व्यय खातों के विरुद्ध सही रूप से समायोजित किया जा सके।

V.बैंक खातों के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉज़िट खाते में पुस्तकों में ₹39,90,690.00का क्रेडिट बैलेंस दर्शाया गया है, जबकि संबंधित बैंक स्टेटमेंट में शून्य बैलेंस दिखाया गया है। यह विसंगति तत्काल बैंक मिलान की आवश्यकता को दर्शाती है।

VI.₹9,546.00 की बीमा शुल्क राशि कई वर्षों से BOA में एक प्राप्य राशि के रूप में दर्ज है। यह राशि वास्तविक प्राप्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि यह बीमा शुल्क छात्रों से प्राप्त कर बीमा एजेंसी को भुगतान किया जा चुका है। कोई शेष राशि वसूल की जानी नहीं है, इसलिए इसे प्राप्य के रूप में दिखाना उचित नहीं है। अतः इसे लिख-ऑफ किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

VII.यह नोट किया गया कि ₹46,000.00 की एक राशि सुश्री अंशुमई श्रीवास्तव को अतिथि सुविधाओं के लिए भुगतान की गई। हालांकि, TDS केवल ₹1,600.00 काटकर जमा किया गया, जबकि सही राशि ₹4,600.00 थी। परिणामस्वरूप,

i. ₹3,000.00की TDS कटौती कम रह गई।

यह अनुशंसा की जाती है कि ₹3,000.00 का शेष TDS काटकर जमा किया जाए।

18. कन्नूर

I.GST लेजर के सत्यापन के दौरान पुस्तकों में ₹1,54,972.75 की शुद्ध देनदारी दर्ज पाई गई (आउटपुट GST देनदारी: ₹2,21,544.08 घटा इनपुट टैक्स क्रेडिट: ₹66,571.33)।
हालाँकि, दायर किए गए GST रिटर्न की जाँच से यह पुष्टि होती है कि मार्च माह के दौरान देय GST ₹2,00,176.00 था। यह असंगति संकेत करती है कि वित्तीय विवरणों में समापन शेष कम (Understated) दर्शाया गया है। अंतर के मूल कारण की पहचान के लिए तत्काल समन्वय आवश्यक है, और बकाया शुद्ध देनदारी को समाप्त करने हेतु एक संशोधन जर्नल प्रविष्टि पोस्ट की जानी चाहिए।

II.वर्तमान में आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स के विरुद्ध सीधे समायोजित किया जा रहा है, और इसके लिए अलग-अलग लेजर नहीं बनाए गए हैं। इसके बजाय CGST Payable, SGST Payable तथा IGST Payable के लिए पृथक खातों का रखरखाव किया जाना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी के आउटपुट टैक्स की मासिक कुल राशि तथा इनपुट टैक्स की मासिक कुल राशि संबंधित खातों में पोस्ट की जानी चाहिए और समायोजन इन लेजरों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

III.वित्त वर्ष 2022–23 से NCCT से ₹75,529 की प्राप्य राशि अभी भी बकाया बनी हुई है। प्रबंधन को इस शेष राशि का मिलान करना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह राशि वसूल योग्य है या इसे लिख-ऑफ या प्रावधान करने की आवश्यकता है।

IV.'NCDC A/c' के अंतर्गत ₹84,499 की चालू परिसंपत्ति राशि दर्ज है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि इस खाते की समीक्षा करें, राशि का समन्वय करें, और मूल्यांकन करें कि क्या यह वसूल योग्य है या इसके लिए प्रावधान/लिख-ऑफ की आवश्यकता है।

V.₹2,800.00 की 'Other Deposits' देनदारी कई वर्षों से पुस्तकों में आगे ढोई जा रही है। यह राशि इकाई द्वारा प्राप्त की गई एक देय राशि को दर्शाती है, जो बैलेंस शीट में अभी भी लंबित है। इस लंबे समय से लंबित देनदारी की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या यह अब भी वापसी योग्य है या इसे आय में स्थानांतरित (रि-लिखित) किया जा सकता है।

VI.वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित ₹1,00,000की कार्यक्रम शुल्क प्राप्य राशि अभी भी बकाया है। शेष राशि की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें प्रावधान बनाना या, यदि राशि अवसूल्य मानी जाती है, उसे सेवा समाप्त करना शामिल है।

VII.सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया कि मार्च माह के लिए GST देनदारी पर TDS ₹10,282 होना चाहिए था, जबकि Tally लेजर में केवल ₹4,964 दर्ज किया गया है। ₹5,318 का यह अंतर अभी भी असुलझा है और कोई सहायक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इकाई को सलाह दी जाती है कि रिकॉर्ड की समीक्षा करे और अंतर का मिलान करे ताकि वैधानिक देनदारियों की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके।

क.यह भी देखा गया कि खाते के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान सहायक अनुसूचियों या विस्तृत रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि शेष राशि की समीक्षा और मिलान कर सही स्थिति सुनिश्चित करें।

19. कल्याणी

I. जनरेटर किराया व्यय को पानी और विद्युत व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो उपयुक्त नहीं है। ऐसे व्यय को संबंधित व्यय शीर्ष के अंतर्गत अलग से वर्गीकृत और दर्ज किया जाना चाहिए। आगे, किराया शुल्क TDS प्रावधानों के अंतर्गत आ सकता है, और एक निश्चित सीमा से अधिक भुगतान होने पर स्रोत पर कर कटौती लागू होगी। इकाई को सलाह दी जाती है कि वर्गीकरण की समीक्षा करें और लागू TDS आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करें।

Remark:

i.जनरेटर का उपयोग केवल बैकअप पावर स्रोत के रूप में किया जाता है, और संबंधित किराया शुल्क ₹2,400 प्रति माह है। इसलिए, वार्षिक व्यय TDS के लिए निर्धारित सीमा तक नहीं पहुँचता, अतः इस मामले में TDS लागू नहीं होता।

ii.रामकृष्ण मिशन आश्रम से खरीदी गई स्टेशनरी और अध्ययन सामग्री GST पंजीकृत नियमित आपूर्तिकर्ता से ली गई है; हालांकि, इनवॉइस जारी करते समय GST नहीं लगाया गया।

20. त्रिवेंद्रम

I.NCCT के निर्देशों के अनुसार इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होता है कि एंडोमेंट फंड का बैलेंस किए गए निवेशों के बराबर हो। परंतु ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि इकाई ने Tally में कोई निवेश प्रदर्शित नहीं किया है।

II.GST पोर्टल के कैश लेजर के अनुसार 2024–25 के लिए GST TDS Receivable का समापन शेष –₹2,520 है। GST पोर्टल में 31 मार्च 2025 तक कोई बैलेंस नहीं है और कोई GST क्रेडिट भी दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अधीन :

क) हमने ऑडिट प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्राप्त कर लिए हैं।

ख) हमारी राय में, हमारे परीक्षण के आधार पर, NCCT ने कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा अभिलेखों का रखरखाव किया है।

ग) इस रिपोर्ट में समीक्षा की गई बैलेंस शीट तथा आय और व्यय खाता, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ) हमारे मत में, इस रिपोर्ट में वर्णित बैलेंस शीट तथा आय और व्यय खाता, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टेड अकाउंटेट्स
एफआरएन: 009195C

(हस्ता./-) मुहर सहित
सीए (डॉ.) मनोज कुमार अग्रवाल
सदस्यता सं. 076980
भागीदार
यूडीआईएन: 25076980BMIPVP2493

दिनांक: 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
समेकित आय और व्यय लेखा (एनसीसीटी, पेंशन फंड और जीपीएफ)
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजी निधि और देनदारियां		
पूंजी निधि	473,306,545.78	502,971,185.84
उदृष्टि/अक्षय निधि	1,537,449,592.04	1,410,337,529.47
पैंशन निधि	417,461,601.12	491,293,379.22
सामान्य भविष्य निधि (कर्मचारी)	232,316,982.32	205,617,573.45
ऋण और उधार	-	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	1,688,152,372.28	1,490,649,229.21
वर्तमान देनदारियां (पैंशन निधि)	83,325.00	2,917,371.48
वर्तमान देनदारियां (जीपीएफ निधि)	1,741,783.91	61,012,322.00
कुल	**4,350,512,202.00**	**4,164,798,591.00**
परिसंपत्तियां		
अचल परिसंपतियां	440,219,800.41	471,138,201.96
पूंजीगत-कार्य प्रगति पर	-	-
निवेश-उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से	1,384,895,791.60	1,415,869,309.80
निवेश- (पैंशन निधि)	168,048,781.00	199,112,072.00
निवेश- (जीपीएफ)	204,187,180.00	242,122,902.00
निवेश-अन्य	337,152,041.00	352,808,282.00
वर्तमान परिसंपतियां, ऋण और अग्रिम आदि	1,536,640,877.11	1,164,142,150.76
वर्तमान परिसंपतियां, (पैंशन निधि)	249,496,145.12	295,098,678.70
वर्तमान परिसंपतियां, (जीपीएफ)	29,871,586.23	24,506,993.45
कुल	**4,350,512,202.00**	**4,164,798,590.67**

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
फॉर्म 10बी अनुलग्नक में संलग्न

कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
समेकित आय और व्यय लेखा (एनसीसीटी, पेंशन फ़ंड और जीपीएफ़)
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय		
अनुदान और सब्सिडी	552,207,536.52	548,538,392.91
शुल्क और शैक्षणिक प्राप्तियां	- 358,427,924.69	342,004,136.08
निवेशों से आय	- 88,083,730.85	101,719,227.06
निवेश (पेंशन निधि) से आय	- 19,563,019.72	15,133,897.50
निवेश (जीपीएफ़) से आय	23,231,514.00	15,031,326.00
अर्जित ब्याज	- 7,911,514.20	-
अर्जित ब्याज (पेंशन निधि)	- 3,682,866.78	3,219,026.00
अर्जित ब्याज (जीपीएफ़)	1,281,077.58	110,995.96
छात्रावास रखरखाव शुल्क	33,149,012.47	25,121,851.14
प्राप्त पेंशन अंशदान	11,026,890.76	10,497,756.00
अन्य प्राप्तियां	2,269,613.29	908,202.19
कुल	**1,100,834,701.00**	**1,062,284,810.84**
व्यय		
स्थापना व्यय	467,041,509.82	457,342,431.68
प्रशिक्षण व्यय	3,854,663.41	4,516,530.14
प्रशासनिक व्यय आदि	81,311,363.29	86,679,431.09
सशुल्क कार्यक्रम पर व्यय	111,239,030.68	111,526,705.41
व्यावसायिक कार्यक्रम पर व्यय	69,320,624.45	53,303,698.06
अनुसंधान और परामर्श पर व्यय	209,490.11	859,546.00
मूल्य ह्रास	40,111,880.38	41,126,484.04
पेंशन व्यय	240,433,350.52	230,190,344.20
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज (जीपीएफ)	13,915,185.00	14,700,972.41
अन्य व्यय	-	-
कुल	**1,027,437,098.00**	**1,000,246,143.03**
व्यय से आय का आधिक्य शेष	**73,397,603.00**	**62,038,667.81**

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
बैलेश शीट फॉर्म 10बी अनुलग्नक में संलग्न

कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
समेकित आय और व्यय लेखा (एनसीसीटी और यूनिट)
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजी निधि और देनदारियां			
पूंजी निधि	1	473,306,545.78	502,971,185.84
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	2	1,537,449,592.04	1,410,337,529.47
ऋण और उधार	3	-	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	4	1,688,152,372.28	1,490,649,229.21
कुल		**3,698,908,510.00**	**3,403,957,945.00**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्ति	6	440,219,800.41	471,138,201.96
पूंजीगत-कार्य प्रगति पर	6A	-	-
निवेश- उद्दिष्ट/अक्षय निधि	5	1,384,895,791.60	1,415,869,309.80
निवेश- अन्य	5A	337,152,041.00	352,808,282.00
वर्तमान परिसंपातियां, ऋण और अग्रिम आदि	7	1,536,640,877.11	1,164,142,150.76
कुल		**3,698,908,510.00**	**3,403,957,945.00**

-

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
समेकित आय और व्यय लेखा (एनसीसीटी और यूनिट)
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
अनुदान और सब्सिडी	9	552,207,536.52	548,538,392.91
फीस और शैक्षणिक रसीद	10	358,427,924.69	342,004,136.08
निवेश से आय	11	88,083,730.85	93,595,710.63
अर्जित ब्याज	12	7,911,514.20	8,123,516.43
होस्टल मैंटेनेंस व्य	13	33,149,012.47	25,121,851.14
अन्य प्राप्य	14	2,269,613.29	908,202.19
कुल		**1,042,049,332.02**	**1,018,291,809.38**
व्यय			
स्थापना व्यय	15	467,041,509.82	457,342,431.68
प्रशिक्षण व्यय	16	3,854,663.41	4,516,530.14
अन्य प्रशासनिक व्यय	17	81,311,363.29	86,679,431.09
भुगतान कार्यक्रम पर व्यय	18	111,239,030.68	111,526,705.41
व्यावसायिक कार्यक्रम पर व्यय	18A	69,320,624.45	53,303,698.06
अनुसंधान और परामर्श पर व्यय	19	209,490.11	859,546.00
मुल्यहास	6	40,111,880.38	41,126,484.04
अन्य व्यय	-	-	-
कुल		**773,088,562.14**	**755,354,826.42**
व्यय पर आय से अधिक शेष		**268,960,769.88**	**262,936,982.96**
पेंशन निधि में अंतरण		79,946,450.75	79,341,383.97
टीडीएफ (एनसीसीटी/यूनिट) में स्थानांतरण		97,712,328.70	96,972,802.64
भवन निधि में अंतरण		33,149,012.47	25121851.14
पूंजी निधि में अंतरण		(40,111,880.38)	(41,126,484.04)
पेंशन निधि/जीपीएफ/अन्य में अंतरण		95,995,245.05	101,719,227.06
अनुदान के लिए आत्मसमर्पण		2,269,613.29	908,202.19
यूनिट की अन्य निधियों में अंतरित शेष		-	
टीडीएफ/बिल्डिंग फंड (यूनिट) में हस्तांतरित शेष		**268,960,769.88**	**262,936,982.96**

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (समेकित)
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

31 मार्च 2025 को समाप्त बैलेंस शीट का विवरण

अनुसूची-1 पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	502,971,185.84	435,167,314.41
	-	
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि (एमबीए)	-	
	-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	11,136,850.16	109,196,882.56
	-	
कम: - वर्ष के दौरान कटौती	40,801,490.22	41,393,011.13
	-	
वर्ष के अंत में शेष राशि	**473,306,545.78**	**502,971,185.84**
अनुसूची-2 उद्दिष्ट/अक्षय निधि	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
निधि का प्रारंभिक शेष	1,410,306,268.19	1,298,464,321.09
निधि का प्रारंभिक शेष (MBA)	-	
	-	
निधियों के अतिरिक्त:-	-	
	-	
I) दान/अनुदान/योगदान- पी/पी	34,229,910.51	
II) निधियों के खाते में किए गए निवेशों से आय	12,447,995.71	78,333,638.65
III) अन्य परिवर्धन	181,411,543.12	163,378,091.12
कुल (क)	**1,638,395,717.53**	**1,540,176,050.86**
निधियों का उपयोग		
I पूंजीगत व्यय	58,782.00	160,316.00
अचल परिसंपत्तियां	1,894,901.27	4,549,593.50
अन्य	47,136,627.43	72,803,988.94
पूंजीगत निधि में अंतरित	7,457,235.51	
II राजस्व व्यय	-	
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	3,127,075.78	7,001,144.42
अन्य प्रशासनिक खर्च	33,384,301.81	26,709,149.53
जनरल में अंतरित	2,457,122.00	4,519,501.00
III एनसीसीटी/यूनिट में अंतरित	5,430,079.69	14,094,828.00
कुल (ख)	**100,946,125.49**	**129,838,521.39**
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क - ख)	**1,537,449,592.04**	**1,410,337,529.47**

अनुसूची- 3 ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. वित्तीय संस्थान		
क) मियादी ऋण	-	
ख) अर्जित और देय ब्याज	-	
II. बैंक		
क) अन्य संस्थानों से ऋण	-	
अर्जित ब्याज और देय	-	
ख) कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट	-	
अर्जित ब्याज और देय	-	
	-	
एनसीसीटी/एनसीयूआई/अन्य संस्थान	-	
	-	
कुल	-	

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची- 4 वर्तमान देयताएं और प्रावधान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वर्तमान देनदारियां		
1. विविध देनदार	25,454,977.56	22,936,585.56
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति प्राप्त अग्रिम	19,736,559.92	21,415,616.28
3. प्रशिक्षणार्थियों और अन्य से जमा	9,137,147.22	8,377,930.50
4. कर्मचारियों को देय वेतन और मानदेय	182,430.00	26,504,422.00
5. विविध देय/व्यय देय	139,350.14	3,441,408.78
6. अन्य वर्तमान देनदारियां	670,443,891.15	696,702,296.16
7. सावधि जमा रसीदों पर देय ब्याज	-	2,730,380.77
8. आधिक्य धन प्रेषण	368,912.00	368,912.00
9. अंतर इकाई खाता (क्रेडिट)	108,093,234.60	45,664,422.86
10. कार्यक्रम अधिशेष देय /ब्याज	-	23,096,034.50
11. अंतर-इकाई (टीडीएस)	55,755,701.80	37,557,868.10
12. कर्मचारियों को देय की वसूली	682,971.00	70,200.00
13. अंतर इकाई खाता (क्रेडिट) एमबीए/पीजीडीएम आदि	117,824,242.23	40,274,367.06
14. डीएईएसआई कार्यक्रम के लिए प्राप्त	1,361,534.00	1,519,200.24
15. NCCT को देय	104,243,904.16	-
कुल (क)	1,113,424,855.78	930,659,644.81
ख. प्रावधान		
वेतन बकाया और अन्य बकाया	28,222,107.00	4,945,706.93
प्रशासनिक खर्चों के लिए	285,058.00	10,386,647.50
अन्य प्रावधान (ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण)	546,220,351.50	544,657,229.97
कुल (ख)	574,727,516.50	559,989,584.40
कुल (क+ख)	1,688,152,372.28	1,490,649,229.21

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची- 5 परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सरकारी प्रतिभूतियां	-	
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	
डिबेंचर और बांड	-	
सावधि जमाराशि (वित्तीय संस्थान / बैंक)	1,381,992,376.60	1,401,012,470.80
पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट	1,491,950.00	1,400,000.00
अन्य	1,411,465.00	13,456,839.00
कुल	1,384,895,791.60	1,415,869,309.80

अनुसूची- 5 क निवेश - अन्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सरकारी प्रतिभूतियां	-	
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	
डिबेंचर और बांड	-	
सावधि जमाराशि (वित्तीय संस्थान / बैंक)	337,152,041.00	352,808,282.00
पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट	-	
अन्य	-	
कुल	337,152,041.00	352,808,282.00

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (नियत समेकित संपत्ति)

(सहकारिता मंत्रालय,भारत सरकार)

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट के भाग के रूप में नियत परिसंपत्ति

क्र.सं..	विवरण	सकल ब्लॉक				विवरण					निवल ब्लॉक	
		वर्ष की शुरुआत में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान शामिल	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	जैसा कि वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौतियां	पिछले वर्ष का समायोजन	वर्ष के अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत की तरह	पिछले वर्ष की तरह
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
क्र.सं..	स्थिर संपत्ति											
1	भूमि (स्वतंत्र स्वामित्व एवं पट्टाधिकार)	9,304,998.17	-	-	9,304,998.17	-	-	-	-	-	9,304,998.17	9,304,998.17
2	भवन (स्वतंत्र स्वामित्व एवं पट्टाधिकार)	721,124,619.69	223,089.06	-	721,347,708.75	326,441,631.81	21,111,300.11	-	89,484.00	347,642,415.92	373,705,292.83	394,682,987.88
3	संयंत्र एवं मशीनरी	17,229,334.00	-	-	17,229,334.00	10,412,889.53	836,412.95	-	-	11,249,302.48	5,980,031.52	6,816,444.47
4	वाहन	13,193,482.14	-	-	13,193,482.14	11,978,772.31	379,589.83	-	-	12,358,362.14	835,120.00	1,214,709.83
5	फर्नीचर और फिक्स्चर	99,362,211.79	2,697,825.00	327,592.00	101,732,444.79	88,141,418.07	2,161,341.49	327,592.00	-	89,975,167.56	11,757,277.23	11,220,795.72
6	कार्यालय उपकरण	17,322,636.64	428,048.58	296,021.00	17,454,664.22	13,448,061.04	673,568.32	296,021.00	1,149.00	13,826,757.36	3,627,908.87	3,874,575.54
7	कंप्यूटर/परिफेरल्स	108,876,414.99	1,426,540.32	3,382,959.70	106,919,995.61	89,416,139.67	9,154,583.75	3,432,589.70	-	95,138,133.72	11,781,861.89	19,460,275.32
8	विद्युत उपकरण	37,224,731.86	1,765,371.27	114,091.00	38,876,012.13	26,817,787.35	2,323,238.10	27,160.00	-	29,113,865.45	9,762,146.68	10,406,944.51
9	पुस्तकालय की किताबें	22,006,520.44	426,642.00	90,496.84	22,342,665.60	20,268,874.10	575,502.84	102,417.25	-	20,741,959.69	1,600,705.91	1,737,646.34
10	अन्य स्थिर संपत्ति	42,166,509.97	2,174,675.00	225,463.77	44,115,721.20	34,063,190.79	1,887,586.28	151,086.00	206,462.20	36,006,153.27	8,109,567.93	8,103,319.18
11	बर्तनों/खेल उपकरण	4,048,667.73	402,116.00	-	4,450,783.73	3,535,638.27	159,298.41	-	-	3,694,936.68	755,847.05	513,029.46
12	वातानुकूलित	11,130,578.00	46,030.00	86,800.00	11,089,808.00	7,328,102.04	849,458.31	86,800.00	-	8,090,760.35	2,999,042.33	3,802,475.91
	कुल स्थिर संपत्ति	1,102,990,705.42	9,590,337.23	4,523,424.31	1,108,057,618.34	631,852,504.98	40,111,880.38	4,423,665.95	297,095.20	667,837,814.62	440,219,800.41	471,138,202.33
ख	निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	-	-	-	-					-	-	
	कुल स्थिर संपत्ति	1,102,990,705.42	9,590,337.23	4,523,424.31	1,108,057,618.34	631,852,504.98	40,111,880.38	4,423,665.95	297,095.20	667,837,814.62	440,219,800.41	471,138,202.33

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची- 7 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:-		
प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति प्राप्य शुल्क	-	
(क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	65,923,316.66	76,778,849.95
(ख) अन्य	9,793,640.76	35,717,425.21
(ग) अन्य (अनुदान प्राप्य एनसीसीटी / राज्य सरकार / एमबीए)	35,669,301.18	880,480.00
(घ) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति प्राप्य शुल्क	33,326,110.59	16,347,628.66
हाथ में नकदी शेष		
हाथ में नकदी	122,152.26	169,892.00
हाथ में नकदी - चालू खाता	89,530.28	3,705.00
फ्रैंकिंग मशीन और सिक्का पेटिका	26,615.00	9,326.00
बैंक में शेष राशि		
(क) अनुसूचित बैंकों में:		
चालू खातों पर	358,593,052.83	326,594,452.77
बचत खातों पर	69,692,997.19	62,844,934.72
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में:		
चालू खातों पर	5,838,263.38	11,230,382.64
बचत खातों पर	8,184,180.64	4,608,704.41
ट्रेजरी पर	635,093.72	
अर्जित ब्याज	-	
पूर्व चुकता खर्चे	3,835,204.05	562,031.00
प्रारंभिक व्यय	700,572.00	1,351,982.04
अर्जित अन्य ब्याज	24,948,779.00	541,316.00
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	265,883,717.89	149,854,557.72
अंतर-इकाई खाता (डेबिट)	109,805,772.45	31,019,969.95
अन्य वसूली योग्य	957,890.24	111,529.00
एनसीसीटी आयकर से प्राप्य टीडीएस	47,914,482.71	43,317,467.77
एमबीए, पीजीडीएम आदि के अंतर-इकाई खाते (डेबिट)	44,344,534.66	17,032,498.00
मंत्रालय से घाटा अनुदान (प्राप्य)	100,243,949.81	61,790,450.57
विविध देनदार	3,407,685.00	33,841,350.42
कुल (क)	**1,189,936,842.30**	**874,608,933.83**
(ख) ऋण और अग्रिम		
अग्रिम और अन्य राशि वसूली योग्य	-	
क. संकाय/कर्मचारियों को अग्रिम	1,917,395.92	1,212,684.68
ख. त्योहार अग्रिम	9,000.00	-
ग. प्रतिभूति जमा (डेबिट)	3,162,973.00	3,820,249.50
घ. खरीद के लिए अग्रिम	(77,332.70)	86,126.68
ङ. पाठ्यक्रम व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्य	43,631.32	1,950,000.00
च. इकाइयों को ऋण	-	
छ. अन्य	258,403,604.50	210,930,764.32
ज. अन्य - एनसीसीटी से वसूली योग्य	37,610,942.50	
झ. अन्य- बीबीए से वसूली योग्य	-	
अर्जित ब्याज	-	
क. निवेश पर	45,146,575.27	71,541,491.75
ख. अग्रिम पर	487,245.00	(8,000.00)
कुल (ख)	**346,704,034.81**	**289,533,316.93**
कुल (क+ख)	**1,536,640,877.11**	**1,164,142,250.76**

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

अनुसूची-8

पेंशन निधि का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 तक

(रु.शब्दों में)

जिम्मेदारियां		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पेंशन निधि			
प्रारंभिक शेष	491,293,379.22		
जमा: पिछले वर्ष	-		
घटाव: घाटा	(73,831,778.10)	417,461,601.12	494,210,750.70
अन्य जिम्मेदारियां		83,325.00	-
	-	-	-
कुल		417,544,926.12	494,210,750.70
परिसंपत्तियां			
निवेश			
निवेश (सावधि जमा)		168,048,781.00	199,112,072.00
वर्तमान संपत्ति			
बैंक में नकदी	65,182,425.80		
अर्जित ब्याज	8,118,068.22		
एनसीसीटी का सामान्य खाता	7,627,064.11		
प्रशिक्षण इकाइयों से प्राप्त अधिशेष	168,551,706.99		295,098,678.70
	16,880.00	249,496,145.12	
कुल		417,544,926.12	494,210,750.70

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
अनुलग्नक में संलग्न

कृत मनाज माहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-9 अनुदान/सब्सिडी	वर्तमान वर्ष
केंद्र सरकार/एनसीसीटी	527,441,911.98
राज्य सरकार	-
संस्थान/एनएसयूआई/ अन्य	24,765,624.54
	-
	-
कुल	552,207,536.52

अनुसूची-10 शुल्क और शैक्षणिक प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष
शुल्क और शैक्षणिक प्राप्तियां (सामान्य और एमबीए)	266,663,195.09
परामर्श शुल्क	-
एमबीए खाते की शेष राशि	9,793,089.00
	-
विविध प्राप्तियाँ	-
	81,971,640.60
कुल	358,427,924.69

अनुसूची -11 निवेशों से आय	वर्तमान वर्ष
सरकारी प्रतिभूतियों पर	-
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-
बांड/डिबेंचर पर	-
	-
मियादी जमा	-
	88,083,730.85
डाकघर जमा	-
	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)	-
	-
कुल (क)	88,083,730.85

अनुसूची -12 अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष
सरकारी प्रतिभूतियों/मियादी जमा राशियों पर	6,039,070.80
बचत खातों पर	1,872,443.40
कर्मचारियों के ऋण और अग्रिमों पर	-
कुल	7,911,514.20

अनुसूची -13 वसूला गया सेवा शुल्क	वर्तमान वर्ष
सेवा शुल्क-छात्रावास	27,758,902.00
सेवा शुल्क-सभागार	-
सेवा शुल्क-अन्य	412,092.00
	-
	4,978,018.47
कुल (क)	33,149,012.47

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची -14 अन्य प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष
अनुपयोगी परिसंपत्तियों/भंडारों/अपशिष्ट कागज की बिक्री	44,480.00
मुख्यालय (एनसीसीटी) से अंशदान	-
विविध प्राप्तियां/अन्य प्राप्तियां	-
विवरण पत्रिका शुल्क	2,225,133.29
भोजन एवं आवास	-
कुल	-
	-
	2,269,613.29

अनुसूची -15 स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष
वेतन और मजदूरी भुगतान	149,152,566.00
भत्ते और बोनस	-
संविदा और आकस्मिक कर्मचारी	112,997,934.00
छुट्टी यात्रा रियायत	-
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	129,217,602.57
पेंशन योजना और जीपीएफ में अंशदान	-
नई पेंशन योजना और सीपीएफ में अंशदान	1,343,639.00
नई पेंशन योजना (सीपीएस) में अंशदान	-
अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी	3,139,752.87
कर्मचारी कल्याण व्यय	-
पूर्वावधि स्थापना व्यय	6,171,970.00
कर्मचारी कल्याण (चिकित्सा अधिकारी)	-
7वें वेतन आयोग के लिए प्रावधान	20,979,450.00
कर्मचारी अतिथि संकाय को मानदेय	-
अतिथि संकाय को मानदेय	3,577,975.00
अन्य खर्चे	-
पूर्वोत्तर व्यय	36,480,820.00
वेतन बकाया राशि	-
कुल	1,004,971.00
	-
	298,981.00
	-
	174,949.38
	-
	16,670.00
	-
	12,000.00
	-
	24,000.00
	-
	2,448,229.00
	-
	-
	-
	-
	467,041,509.82

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची -16 प्रशिक्षण व्यय	वर्तमान वर्ष
अतिथि संकायों के लिए मानदेय	777,962.00
किताबें और समाचार पत्र खर्च	-
प्रशिक्षुओं को वजीफा	-
प्रशिक्षुओं के यात्रा व्यय	-
प्रशिक्षुओं का टी.ए. और क्षेत्रीय दौरा	-
संस्थान पत्रिका और न्यूज़लेटर	-
अन्य संस्थाओं की सदस्यता और अंशदान	87,180.00
औद्योगिक यात्रा व्यय	-
प्लेसमेंट गतिविधि व्यय	169,412.00
संकाय और कर्मचारी विकास	-
परीक्षा का खर्च	-
अन्य परीक्षा / प्रशिक्षण व्यय	-
अन्य व्यय	309,153.55
संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन	-
पूर्वावधि प्रशिक्षण व्यय	36,134.00
पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ व्यय	-
	1,465,273.86
	-
	984,088.00
	-
	-
	25,460.00
	-
	-
कुल प्रशिक्षण व्यय	3,854,663.41

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची -17 प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष
यात्रा खर्च	4,688,859.01
स्थानांतरण यात्रा भत्ता व्यय	-
अतिथि संकाय के लिए मानदेय	985,383.40
सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता	-
पानी और बिजली के शुल्क	-
किराया और शुल्क	472,428.00
टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स आदि	-
डाक, टेलीग्राम और कूरियर खर्च	20,327,548.90
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	-
भंडार और उपभोग्य वस्तुएं	2,289,657.00
मरम्मत एवं नवीकरण	-
मरम्मत और रखरखाव-समान्य	872,349.91
मरम्मत और रखरखाव-भवन	-
मरम्मत और रखरखाव-वाहन	388,312.98
मरम्मत और रखरखाव-फर्नीचर	-
एमबीए परीक्षा के आयोजन में व्यय	5,709,757.27
पेट्रोल और तेल-वाहन	-
जेनरेटर	5,257,476.24
समाचार पत्र और पत्रिकाएँ	-
एमबीए/बीबीए छात्रों के लिए औद्योगिक भ्रमण	7,555,406.45
बीमा	-
विज्ञापन और भर्ती	2,246,835.82
बीबीए परीक्षा खर्च	-
कानूनी खर्च	2,929,795.91
लेखा परीक्षा शुल्क और लेखा परीक्षा व्यय	-
किराए पर लिए गए वाहन और स्थानीय वाहन	236,851.24
समारोह और बैठक व्यय	-
पुस्तकालय की किताबें	-
गृह -प्रबंधन के खर्च	-
सुरक्षा और प्लेसमेंट व्यय	-
भोजन और आवास	-
बागवानी और लॉन विकास खर्च	684,315.50
वर्दी	19,551.00
विविध व्यय	991,156.34
एमबीए निरीक्षण व्यय	-
संबद्धता व्यय	749,398.13
दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरण	-
माननीय संकाय और विश्वविद्यालय के खर्चों के लिए	2,168,051.55
नियत परिसंप्तिया की खरीद	-
कर्मचारी	842,893.00
सहकारिता सप्ताह समारोह	-
पूर्वावधि प्रशासनिक व्यय	1,032,040.00
अनुदानों की खरीद	-
वेब डिजाइनिंग खर्च	2,058,098.00
अतिरिक्त इनपुट का दावा अब वापिस किया	-
बैंक शुल्क	4,271,347.72
अपात्र आईटीसी वापिस किया	-
व्यावसायिक शुल्क	5,965.00
जड़ शुल्क	-
व्यावसायिक शुल्क	3,368,961.30
स्केलिंग अप प्रशिक्षण	-
कर्मचारी विकास व्यय	4,667,985.00
चुकाया गया ब्याज	-
विलंब शुल्क	851,613.01
अन्य खर्च	-
कंप्यूटर प्रयोगशाला और पुस्तकालय का अद्यतन	1,766,223.01
सामान्य खर्च	-
जीएसटी/टीडीएस/डिमांड	-
इंटरनेट खर्च	120,537.00
	-
	128,430.00
	-
	-
	654,791.70
	-
	26,260.00
	-
	7,041.46
	-
	-
	27,000.00
	1,710,884.00
	86,443.00
	-
	-
	18,488.00
	1,093,227.44
	-
	-
	-
	-
कुल	81,311,363.29

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची -18 सशुल्क कार्यक्रमों पर व्यय	वर्तमान वर्ष
पाठ्यक्रम सामग्री (पीटीजी / ज़ेरॉक्स / पीपी)	7,399,655.32
स्टेशनरी और प्रशिक्षण किट (पीपी)	-
अतिथि संकाय के लिए मानदेय (पीपी)	5,765,682.12
यात्रा और परिवहन व्यय (पीपी)	-
भोजन और आवास (पीपी)	16,602,371.00
संकाय और कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन और मानदेय राशि (पीपी)	-
अन्य व्यय (पीपी)	7,262,724.52
मोबाइल रिचार्ज	-
पेंशन योजनाओ में अशदान (पीपी)	53,305,165.94
भवन निधि में अंतरण	-
	-
	-
कुल	20,883,924.78
	-
	19,507.00
	-
	-
	-
	-
	-
कुल	111,239,030.68

अनुसूची -18क व्यावसायिक कार्यक्रम पर व्यय	वर्तमान वर्ष
स्थापना	58,406,599.08
प्रशिक्षण	-
प्रशासनिक	7,565,541.32
	-
	3,348,484.05
कुल	69,320,624.45
अनुसूची -19 अनुसंधान और परामर्श पर व्यय	वर्तमान वर्ष
प्रलेखन व्यय	40,780.00
यात्रा खर्च	-
परमार्शदाता को शुल्क एवं मानदेय राशि	24,438.50
संकाय के लिए प्रोत्साहन और मानदेय राशि (आरसी)	-
विविध व्यय (आरसी)	86,347.00
पेंशन योजना में अंशदान (आरसी)	-
	-
	-
	57,924.61
	-
	-
	-
कुल	209,490.11

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

अनुसूची -20

वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 हेतु पेंशन निधि का स्वतंत्र आय एवं व्यय लेखा

(रु.शब्दों में)

आय		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
निवेशों पर ब्याज		19,563,019.72	15133897.5
नियोक्ता अंशदान		11,026,890.76	
बचत बैंक खातों पर ब्याज		3,682,866.78	3219026
प्रशिक्षण इकाइयों से अंशदान			
i) निवेशों पर ब्याज	51,550,671.72		
ii) आवश्यकता आधारित/सशुल्क कार्यक्रम/परामर्शी	61,183,187.14		
iv) प्रोफेशनल कोर्स	19,394,354.47		
iv) परामर्श और अनुसंधान	200,581.83	132,328,795.16	191560731.2
कुल (क)		**166,601,572.42**	**209,913,654.69**
व्यय			
पेंशन		205,106,135.52	198319896.2
पेंशन का कम्युटेशन		35,327,215.00	31870448
विविध व्यय		-	
कुल (ख)		240,433,350.52	230,190,344.20
आय से अधिक व्यय (क-ख)		(73,831,778.10)	(20,276,689.51)

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
बैलेंस शीट के साथ संलग्न

कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

अनुसूची-20क

समेकित आय और व्यय लेखा (एनसीसीटी, पेंशन फंड और जीपीएफ)
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु.शब्दों में)

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
निवेशों पर ब्याज		
नियत अवधि जमा	23,231,514.00	15031326
बचत बैंक खातों पर	1,281,077.58	110995.96
	-	
कुल (क)	24,512,591.58	15,142,321.96
व्यय	**राशि (रु.)**	
सदस्यों को दी गई ब्याज राशि		
कर्मचारी के योगदान पर	13,914,532.00	14699351
विविध शुल्क	653.00	1621.41
NSDL शुल्क		
कुल (ख)	13,915,185.00	14,700,972.41
आय से अधिक व्यय	**10,597,406.58**	**441,349.55**

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त समिति)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग बनने वाली लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां

क) लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण का आधार

i. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत पद्धतियों पर तैयार किए जाते हैं।

ii. लेखों को चल रही संस्था की अवधारणा पर तैयार किया गया है।

iii. वित्तीय वर्ष 2008-09 से आय और व्यय को उपार्जन लेखाकरण प्रणाली पर मान्यता दी गई है।

2. अचल परिसंपत्तियां

i. अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है। भवनों का मूल्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, राज्य सहकारी संघ, सहकारी आंदोलन, आंतरिक उत्पादनों आदि से प्राप्त अनुदानों/अंशदानों/दान में से आईसीएम द्वारा व्यय की गई लागत को दर्शाता है।

ii. भवनों के मूल्य में कुछ आईसीएम शामिल हैं, जिनके मामले में राज्य सरकारों द्वारा सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सहकारी संघों के नाम पर भूमि आवंटित की गई है, लेकिन प्रशिक्षण गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समझौते के तहत आईसीएम के अनन्य उपयोग के लिए दी गई है।

iii. वित्तीय वर्ष 2008-09 की शुरुआत में भवनों सहित अचल परिसंपत्तियों के मूल्यों को पूंजीगत निधि के तहत एक कॉन्ट्रा के साथ पूंजीकृत किया गया है। राज्य सरकारों/सहकारी आंदोलनों/अन्यों से प्राप्त दान और अचल परिसंपत्तियों के भवन निर्माण/अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए दान को तुलन पत्र में दर्शाई गई अचल परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है।

3. मूल्यह्रास

i. पूर्व के वर्षों के लिए लिखित तत्काल मूल्य पद्धति की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 से अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर प्रदान किया जाता है।

ii. 5000/- रुपये से कम लागत वाली परिसंपत्तियां और जहां WDV 5000 रुपये से कम है, उस वर्ष पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाती हैं।

iii. पुस्तकालय की पुस्तकें, खेल का सामान, छात्रावास के बर्तन और 5000/- रुपये से कम लागत वाली अन्य परिसंपत्तियां अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाती हैं।

4. उद्दिष्ट/अक्षय निधियां

एनसीसीटी ने विशेष प्रयोजन निधियां अर्थात प्रशिक्षण विकास निधि (TDF), भवन निधियां (BF) और अन्य ऐसी निधियां (उद्दिष्ट/अक्षय निधियां) रखी हैं, जिन्हें एनसीसीटी द्वारा अनुमोदित उनके सृजन और उपयोग के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार बनाए रखा जा सकता है।

5. सहकारी प्रशिक्षण के लिए सरकारी अनुदानों/समग्र निधि के ब्याज घटक का लेखा-जोखा

i. भारत सरकार का सहायता अनुदान और भारत सरकार द्वारा सहकारी प्रशिक्षण के लिए सृजित समग्र निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज एनसीसीटी की गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए धन के स्रोत हैं।

ii. प्राप्तियां और भुगतान लेखा केंद्रीय सरकार के केवल प्राप्त अनुदान/समग्र निधि ब्याज की सीमा तक तैयार किया जाता है। नागपुर, कन्नूर और मदुरै स्थित आईसीएम को संबंधित राज्य सरकारों/सहकारी संघों द्वारा उक्त आईसीएम के कुल व्यय के 50% की सीमा तक अनुदान दिया जाता है।

ख) लेखों पर टिप्पणियां

"अखिल भारतीय सहकारिता" को 18 जून, 1956 को देश में सहकारी संस्थानों के एक शीर्ष निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसे बाद में 1961 में "भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (इसके बाद एनसीयूआई के रूप में संदर्भित)" के रूप में नामित किया गया था। अक्टूबर, 1961 में यह सिफारिश की गई थी कि सहकारी प्रशिक्षण के लिए एक समिति एनसीयूआई की उप-समिति के रूप में गठित की जा सकती है। तदनुसार, 1962 में सीसीसीटी को बंद कर दिया गया और प्रशिक्षण कार्यक्रम को 1 जुलाई, 1962 से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहकारी प्रशिक्षण समिति को सौंपा गया।

1976 में, सहकारी प्रशिक्षण समिति को राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो एनसीयूआई के उप-नियमों के तहत बनाया गया एक निकाय था।

एनसीयूआई के उपनियमों को बाद में दिनांक 10 फरवरी, 2003 के पंजीकरण के प्रमाणपत्र के माध्यम से फिर से संशोधित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद को समितियों की सूची से हटा दिया गया था और उप-नियम संख्या 16क (1) जिसे इस रूप में पंजीकृत किया गया था कि एनसीसीटी का गठन एनसीयूआई द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से तब तक किया जाएगा जब तक सरकार राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद को अनुदान प्रदान करती है। भारत सरकार एनसीसीटी को शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है, लेकिन इसकी अपनी कोई कानूनी वैधता/दर्जा नहीं है और यह केवल एनसीयूआई के उप-नियमों के तहत कार्य करता है। एनसीसीटी पिछले वर्षों में एनसीयूआई की केवल एक सह इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। जबकि, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद किसी भी कानून के तहत एक इकाई के रूप में पंजीकृत हुए बिना एक पूर्ण संस्था के रूप में कार्य कर रही है और यह महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के पास वैधानिक शक्ति नहीं है, इसलिए एनसीसीटी के प्रशासन के लिए इसे पर्याप्त और उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, एनसीसीटी के संबंध में किसी भी विधिक दर्जा के अभाव में, बेहतर और स्थायी संकाय को शामिल करने में बड़ी बाधा आती थी।

नतीजतन, भारत सरकार ने 22.02.2018 के प्रशासनिक आदेश के तहत एनसीयूआई के तहत एनसीसीटी के कार्य को बंद कर दिया और 16 अप्रैल, 2018 को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित 2018 के पंजीकरण संख्या 4751 के माध्यम से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एनसीसीटी को एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया।

एनसीयूआई बनाम भारत संघ (रिट केस संख्या 2743/2018)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीओएएफडब्ल्यू), भारत सरकार ने एनसीसीटी को एनसीयूआई के साथ अपने संचालन को बंद करने हेतु दिनांक 22.02.2018 को एक आदेश जारी किया, जो आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। आदेश में आगे यह भी बताया गया है कि एनसीसीटी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत कराया जाना है। तदनुसार, दिनांक 22.02.2018 के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने एनसीसीटी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत फर्म एवं सोसाइटी के रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ कार्यालय में दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को एक स्वतंत्र विधिक इकाई/सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करा दिया। हालांकि, एनसीयूआई ने रिट याचिका संख्या 2018 की 2743 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में दिनांक 22.02.2018 के उक्त आदेश को चुनौती दी और इस समय मामला अंतिम निपटान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है।

एनसीसीटी के संगम ज्ञापन नियम 5 के अनुसार "मुख्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए लक्ष्य और उद्देश्य सहायक" के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार है:

"सोसाइटी, जिसे राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में अपंजीकृत सोसाइटी की सभी संपत्तियों और देनदारियों को लेगी, जिसमें वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तत्वावधान में काम कर रहे पुणे में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान बैंगलोर, चंडीगढ़, गांधीनगर, कल्याणी और पटना और सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, कन्नूर, लखनऊ, मदुरै, पुणे, तिरुवनंतपुरम और नागपुर शामिल हैं।"

एनसीसीटी, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2018 के पंजीकरण संख्या 4751 के तहत पंजीकृत है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 12AA और 80G के तहत भी पंजीकृत है। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद भी प्रत्येक राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत है, जहां ऊपर उल्लिखित इसकी प्रशिक्षण इकाइयां मौजूद हैं।

तुलन पत्र के साथ संलग्न हमारी सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कृते:

मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

(हस्ता./-)	(हस्ता./-)	(हस्ता./-)
(मनीष भाटिया)	(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)	(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
उप निदेशक (कार्मिक)	सचिव, एनसीसीटी	भागीदार
		M.No. 076980

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त समिति)

भारत सरकार और सीएफसीटी ब्याज से सहायता अनुदान की प्राप्तियां और भुगतान लेखा

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	विवरण	राशि	भुगतान	विवरण	राशि (रु.)
प्रारंभिक शेष	-	-	प्रारम्भिक शेष (Dr.)		182,620,429.95
सहकारिता प्रशिक्षण (सीएफ़सीटी) के लिए समग्र निधि से प्राप्त ब्याज	-	-	व्यय		
			(i) एनसीसीटी& RICM/ICM	379,467,397.55	
वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान			(ii) NE-क्षेत्र ICM	46,518,770.79	
			(iii) वैमनीकॉम, पुणे	101,455,743.65	
(i) एनसीसीटी और आरआईसीएम/आईसीएम	380,000,000.00		सकल जोड़ (i+ii+iii)	527,441,911.99	
(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के आईसीएम	-		(iv) राज्य सरकार	24,765,624.54	552,207,536.53
(iii) वामनीकॉम, पुणे	87,000,000.00	467,000,000.00			
(iv) सहायता अनुदान खाते में लौटाई गई ब्याज/विविध प्राप्तियां		-			
मंत्रालय/सीएफसीटी/राज्य सरकारों से प्राप्य अनुदान (वर्ष के दौरान कम राशि प्राप्त हुई)		267,827,966.48			
कुल		**734,827,966.48**	**Total**		**734,827,966.48**

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
अनुलग्नक में संलग्न

कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त समिति)

वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया शीर्ष-वार व्यय

जिसके लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया गया

(राशि रुपये में)

क्रम. सं.	लेखा शीर्ष	एनसीसीटी/आईसीएमएस	पूर्वोत्तर क्षेत्र (आईसीएम)	वैमनीकॉम	राज्य सरकार (50%)	कुल
1	स्थापना व्यय (अनुसूची संख्या 15)	318,761,706.65	40,195,397.32	87,000,000.00	21,084,405.85	467,041,509.82
2	प्रशिक्षण व्यय (अनुसूची संख्या 16)	2,282,687.50	646,752.00	766,018.41	159,205.50	3,854,663.41
3	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची संख्या 17)	58,423,003.40	5,676,621.47	13,689,725.24	3,522,013.19	81,311,363.30
	कुल	**379,467,397.55**	**46,518,770.79**	**101,455,743.65**	**24,765,624.54**	**552,207,536.53**

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त समिति)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया शीर्ष-वार व्यय

जिसके लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया गया

(राशि रुपये में)

क्रम. सं.	लेखा शीर्ष	एनसीसीटी/आईसीएमएस	पूर्वोत्तर क्षेत्र (आईसीएम)	वैमनीकॉम, पुणे	कुल
1	स्थापना व्यय (अनुसूची संख्या 15)	318,761,706.65	40,195,397.32	87,000,000.00	445,957,103.97
2	प्रशिक्षण व्यय (अनुसूची संख्या 16)	2,282,687.50	646,752.00	766,018.41	3,695,457.91
3	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची संख्या 17)	58,423,003.40	5,676,621.47	13,689,725.24	77,789,350.11
	कुल	**379,467,397.55**	**46,518,770.79**	**101,455,743.65**	**527,441,911.99**

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान शीर्ष वार 50% किया गया व्यय

जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50% अनुदान प्रदान किया गया

(राशि रुपये में)

क्रम. सं.	लेखा शीर्ष	नागपुर (महाराष्ट्र)	मदुरै (तमिलनाडु)	कन्नूर (केरल)	कुल
1	स्थापना व्यय (अनुसूची संख्या 15)	6,770,110.00	6,495,852.50	7,818,443.35	21,084,405.85
2	प्रशिक्षण व्यय (अनुसूची संख्या 16)	500.00	48,850.00	109,855.50	159,205.50
3	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची संख्या 17)	707,108.12	1,037,214.18	1,777,690.89	3,522,013.19
	कुल	**7,477,718.12**	**7,581,916.68**	**9,705,989.74**	**24,765,624.54**

सम तिथि की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अनुलग्नक में संलग्न

कृते मनोज मोहन & एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 009195C

हस्ता/-
(मनीष भाटिया)
उप-निदेशक (कार्मिक)

हस्ता/-
(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)
सचिव, एनसीसीटी

हस्ता/-
(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं. 076980

दिनांक : 03.12.2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त समिति)

जीएफआर 12-क

[नियम 238 (1 और 2) देखें]

अनुदान ग्राही संगठन के स्वायत्त निकायों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवर्ती सहायता अनुदान के संबंध में वर्ष 2024-2025 के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

1. योजना का नाम :

   (क) वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन मद के तहत एनसीसीटी/वैमनीकॉम/आरआईसीएम/आईसीएम के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता

2. आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान: आवर्ती अनुदान

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति:
   (i) हाथ में नकदी / बैंक शून्य
   (ii) असमायोजित अग्रिम शून्य
   (iii) कुल शून्य
   (iv) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से कम मिला देय 81.47 लाख

4. प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय और अंतिम शेष राशि का विवरण

(वास्तविक रु. लाखों में)

प्राप्त अनुदानों की अव्ययित शेष राशि (क्रम संख्या **3(iii)** के अनुसारआंकड़े)	उस पर अर्जित ब्याज	विविध प्राप्ति/सरकार को वापिस जमा ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधियां (2+3+4)	किया गया खर्च	अंतिम शेष राशि (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
(क)	**सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए वेतन मद के तहत वैमनीकॉम, पुणेको सहायता अनुदान**							
अव्ययित शेष			स्वीकृति सं.	दिनांक	कुल धनराशि			
(81.47)			G-28011/4/2022-CET	25.06.2024	1104.31			
			G-28011/4/2022-CET	16.08.2025	1136.00			
			G-28011/4/2022-CET	12.12.2024	798.63			
			G-28011/4/2022-CET	24.02.2025	761.06			
					3800.00	**3800.00**	3800.41 (+) 81.47 3881.88	**(81.88)**

5. अनुदान का घटकवार उपयोग: **(रु. लाखों में)**

सामान्य सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन	पूंजीगत परिसंपत्तियों का सहायता अनुदान सृजन	कुल (ऊपर तालिका के कॉलम के अनुसार आंकड़े)
---	3800.00	-	3800.00

6. वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण
   (i) हाथ में नकदी / बैंक -
   (ii) असमायोजित अग्रिम –
   (iii) कुल-
   (iv) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से कम मिला देय 81.88 लाख ।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंसंतुष्टहूँ कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किए गए थे, उन्हें विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखितजांचेंकीहै कि धन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था: –

(i) मुख्य लेखा और अन्य सहायक लेखा और रजिस्टर (परिसंपत्ति रजिस्टरों सहित) को संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करते हुए) में यथा निर्धारित रखा जाता है और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। ऊपर दर्शाए गए आंकड़े वित्तीय विवरणों/लेखों में उल्लिखित लेखापरीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों केप्रति वास्तविक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों को देखने, परिसंपत्तियों के सृजन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि के लिए आंतरिक नियंत्रणप्रणाली मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणप्रणालियों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों और योजना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता हो।

(iv) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुखकार्यात्मक अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्टशर्तों में सौंपा गया है औरसामान्यप्रकृतिकी नहीं हैं।

(v) लाभ लक्षित लाभार्थियों को दिए गए थे और केवल ऐसे क्षेत्रों / जिलों को कवर किया गया था जहां योजना को संचालित करने का इरादा था।

(vi) योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदान के निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि वर्ष 2024-25 (योजना का नाम) के दौरान कृषिसहकारिता पर केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय निष्पादन आवश्यकताओं के अनुसार रहा है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है और उस वर्ष के लिए निष्पादन/लक्ष्य प्राप्त किए गए विवरण जिसमें निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप परिणाम प्राप्त हुए हैं, अनुबंध-I में विधिवत संलग्न हैं।

(viii) निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप अनुबंध-II में विधिवत रूप से दिए गए परिणाम (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिदिष्टियो के अनुसार तैयार किए जाने वाले) में दिए गए हैं।

(ix) एजेंसी द्वारा उसी मंत्रालय से अथवा अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से निष्पादित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिदष्टियों के अनुसार तैयार किया जाना) में दिया गया है।

दिनांक : 03.12.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष भाटिया)	(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)	(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
उप निदेशक (कार्मिक),	सचिव, एनसीसीटी,	भागीदार, M.No. 076980
	(संगठन के प्रमुख)	मनोज मोहन & कंपनी, . F.R. 009195C
		(सांविधिक लेखा परीक्षक, एनसीसीटी)

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त समिति)

जीएफआर 12-क

[नियम 238 (1 और 2) देखें]

अनुदान ग्राही संगठन के स्वायत्त निकायों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवर्ती सहायता अनुदान के संबंध में वर्ष 2024-2025 के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

1. योजना का नाम :

   (क) वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्य वेतन शीर्ष मद के तहत वैमनीकॉम, पुणे के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता

2. आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान: आवर्ती अनुदान

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति:

   (i) हाथ में नकदी / बैंक — शून्य

   (ii) असमायोजित अग्रिम — शून्य

   (iii) कुल — शून्य

   (iv) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से कम मिला देय — शून्य

4. प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय और अंतिम शेष राशि का विवरण

(वास्तविक रु. लाखों में)

प्राप्त अनुदानों की अव्ययित शेष राशि **(क्रम संख्या 3(iii) के अनुसारआंकड़े)**	उस पर अर्जित ब्याज	विविध प्राप्ति/सरकार को वापिस जमा ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधियां (2+3+4)	किया गया खर्च	अंतिम शेष राशि (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
(क)	सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए वेतन मद के तहत वैमनीकॉम, पुणे को सहायता अनुदान							
अव्ययित शेष			स्वीकृति सं.	दिनांक	कुल धनराशि			
			28011/4/2022-CET	25.06.2024	300.00			
			28011/4/2022-CET	16.08.2024	100.00			
			28011/4/2022-CET	04.12.2024	200.00			
			28011/4/2022-CET	03.05.2025	270.00			
					870.00	870.00	870.00	

5. अनुदान का घटकवार उपयोग: **(रु. लाखों में)**

सामान्य सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन	पूंजीगत परिसंपत्तियों का सहायता अनुदान सृजन	कुल (ऊपर तालिका के कॉलम के अनुसार आंकड़े)
---	870.00	-	870.00

6. वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

   (i) हाथ में नकदी / बैंक -

   (ii) असमायोजित अग्रिम –

   (iii) कुल-

   (iv) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से कम मिला देय शून्य

प्रमाणित किया जाता है कि मैं संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किए गए थे, उन्हें विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांचें की है कि धन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था: –

(i) मुख्य लेखा और अन्य सहायक लेखा और रजिस्टर (परिसंपत्ति रजिस्टरों सहित) को संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करते हुए) में यथा निर्धारित रखा जाता है और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। ऊपर दर्शाए गए आंकड़े वित्तीय विवरणों/लेखों में उल्लिखित लेखापरीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों केप्रति वास्तविक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों को देखने, परिसंपत्तियों के सृजन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि के लिए आंतरिक नियंत्रणप्रणाली मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणप्रणालियों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों और योजना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता हो।

(iv) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुखकार्यात्मक अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्टशर्तों में सौंपा गया है औरसामान्यप्रकृतिकी नहीं हैं।

(v) लाभ लक्षित लाभार्थियों को दिए गए थे और केवल ऐसे क्षेत्रों / जिलों को कवर किया गया था जहां योजना को संचालित करने का इरादा था।

(vi) योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदान के निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि वर्ष 2024-25 (योजना का नाम) के दौरान कृषि सहकारिता पर केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय निष्पादन आवश्यकताओं के अनुसार रहा है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है और उस वर्ष के लिए निष्पादन/लक्ष्य प्राप्त किए गए विवरण जिसमें निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप परिणाम प्राप्त हुए हैं, अनुबंध-I में विधिवत संलग्न हैं।

(viii) निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप अनुबंध-II में विधिवत रूप से दिए गए परिणाम (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिदिष्टियो के अनुसार तैयार किए जाने वाले) में दिए गए हैं।

(ix) एजेंसी द्वारा उसी मंत्रालय से अथवा अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से निष्पादित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिदष्टियों के अनुसार तैयार किया जाना) में दिया गया है।

दिनांक : 03.12.2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष भाटिया)	(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)	(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
उप निदेशक (कार्मिक),	सचिव, एनसीसीटी,	भागीदार, M.No. 076980
	(संगठन के प्रमुख)	मनोज मोहन & कंपनी, . F.R. 009195C
		(सांविधिक लेखा परीक्षक, एनसीसीटी)

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त समिति)
जीएफआर 12-क
[नियम 238 (1 और 2) देखें]
अनुदान ग्राही संगठन के स्वायत्त निकायों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवर्ती सहायता अनुदान के संबंध में वर्ष 2024-2025 के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

1. योजना का नाम :

   (क) वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन मद के तहत एनसीसीटी/वैमनीकॉम/आरआईसीएम/आईसीएम के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति:
   (i) हाथ में नकदी / बैंक शून्य
   (ii) असमायोजित अग्रिम शून्य
   (iii) कुल शून्य
   (iv) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से कम मिला देय 1587.60 लाख रुपये

3. आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान: आवर्ती अनुदान

(वास्तविक रु. लाखों में)

प्राप्त अनुदानों की अव्ययित शेष राशि (क्रम संख्या 3(iii) के अनुसार आंकड़े)	उस पर अर्जित ब्याज	विविध प्राप्ति/सरकार को वापिस जमा ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधियां (2+3+4)	किया गया खर्च	अंतिम शेष राशि (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
(क)	एनसीसीटी/वैमनीकॉम/आरआईसीएम/आईसीएम सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए वेतन घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान							
कम मिला			स्वीकृति सं.	दिनांक	धनराशि			
1587.60		--	--	--	--			
			--	--	--			
			Total				**851.66**	2439.26

4. अनुदान का घटक-वार उपयोग: (रु. लाखों में)

सामान्य सहायता अनुदान	वेतनसहायता अनुदान	पूंजीगत परिसंपत्तियों का सहायता अनुदान सृजन	कुल (ऊपर तालिका के कॉलम के अनुसार आंकड़े)
---	3800.00	-	3800.00

5. वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

   (i) हाथ में नकदी / बैंक -
   (ii) असमायोजित अग्रिम -
   (iii) कुल-
   (iv) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से कम मिला देय रुपए 2439.26 लाख।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किए गए थे, उन्हें विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांचें की है कि धन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था: –

(i) मुख्य लेखा और अन्य सहायक लेखा और रजिस्टर (परिसंपत्ति रजिस्टरों सहित) को संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करते हुए) में यथा निर्धारित रखा जाता है और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। ऊपर दर्शाए गए आंकड़े वित्तीय विवरणों/लेखों में उल्लिखित लेखापरीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों केप्रति वास्तविक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों को देखने, परिसंपत्तियों के सृजन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि के लिए आंतरिक नियंत्रणप्रणाली मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणप्रणालियों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों और योजना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता हो।

(iv) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुखकार्यात्मक अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्टशर्तों में सौंपा गया है औरसामान्यप्रकृतिकी नहीं हैं।

(v) लाभ लक्षित लाभार्थियों को दिए गए थे और केवल ऐसे क्षेत्रों / जिलों को कवर किया गया था जहां योजना को संचालित करने का इरादा था।

(vi) स्कीम के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदान के निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि वर्ष 2024-25 (योजना का नाम) के दौरान कृषिसहकारिता पर केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय निष्पादन आवश्यकताओं के अनुसार रहा है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है और उस वर्ष के लिए निष्पादन/लक्ष्य प्राप्त किए गए विवरण जिसमें निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप परिणाम प्राप्त हुए हैं, अनुबंध-I में विधिवत संलग्न हैं।

(viii) निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप अनुबंध-II में विधिवत रूप से दिए गए परिणाम (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिदिष्टियो के अनुसार तैयार किए जाने वाले) में दिए गए हैं।

(ix) एजेंसी द्वारा उसी मंत्रालय से अथवा अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से निष्पादित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिदष्टियों के अनुसार तैयार किया जाना) में दिया गया है।

दिनांक : 03.12.2025

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष भाटिया)	(मीनू शुक्ला पाठक, आईआरएस)	(सीए डॉ.मनोज कुमार अग्रवाल)
उप निदेशक (कार्मिक),	सचिव, एनसीसीटी,	भागीदार, M.No. 076980
	(संगठन के प्रमुख)	मनोज मोहन & कंपनी, . F.R. 009195C
		(सांविधिक लेखा परीक्षक, एनसीसीटी)

सांविधिक लेखा परीक्षा टिप्पणी, संस्थान द्वारा अनुपालन और एनसीसीटी की अभियुक्तियां

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

क्र. सं.	लेखा-परीक्षा टिप्पणी	संस्थान द्वारा अनुपालन	एनसीसीटी की अभियुक्तियां
	वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट हमने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद अर्थात मुख्यालय-नई दिल्ली, वैमनीकॉम पुणे, राष्ट्रीय स्तर पर, 5 (पांच) क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान-बैंगलोर, चंडीगढ़, गांधीनगर, कल्याणी और पटना, 14 (चौदह) सहकारी प्रबंध संस्थान-भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, कन्नूर, लखनऊ, मदुरै, नागपुर, पुणे, त्रिवेंद्रम के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।	सूचनार्थ	सूचनार्थ
	वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं, के अनुसार एनसीसीटी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में एनसीसीटी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए सुसंगत थे, जो सही और निष्पक्ष तस्वीर दर्शाते हैं और महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भी शामिल हैं।	सूचनार्थ	सूचनार्थ
	लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर	सूचनार्थ	सूचनार्थ

	अपनी राय व्यक्त करें। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और लेखा-परीक्षा की योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम आकलनों को करने में, लेखापरीक्षक एनसीसीटी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन इस बारे में राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं कि क्या एनसीसीटी ने वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और एनसीसीटी के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।		
	अभिमत हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित खाते अधिनियम द्वारा	सूचनार्थ	सूचनार्थ

	अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं: क) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2025 तक एनसीसीटी की स्थिति; ख) आय और व्यय खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए "व्यय पर आय का अधिशेष"।		
	<u>अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट</u> हम निम्नलिखित अवलोकन/ टिप्पणियों /विसंगतियों/असंगतताओं को रिपोर्ट करते हैं ; यदि कोई हों:	सूचनार्थ	सूचनार्थ
	संयुक्त/ सामान्य बिंदु		
1	कुछ प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा उपार्जन अवधारणा को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है ।	हालांकि पूरी और पारदर्शी वित्तीय तस्वीर के लिए पूर्णरूपेण अर्जन-आधारित (Accrual) लेखांकन पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के कारण संगठन को मिश्रित (Hybrid) पद्धति अपनानी पड़ती है। इसलिए, परिषद एवं इसकी प्रशिक्षण इकाइयाँ एक मिश्रित लेखांकन पद्धति अपनाती हैं, जहाँ वे वित्तीय लेन-देन की प्रकृति के आधार पर अर्जन-आधारित एवं नकद-आधारित (Cash Basis) दोनों पद्धतियों का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए: • अनुदान (Grant-in-Aid) लेखे: इन्हें नकद-आधारित पद्धति पर संधारित किया जाता है, ताकि राजस्व और व्यय तभी पहचाने जाएँ जब वास्तविक रूप से नकद प्राप्त हो या भुगतान किया गया हो। यह तरीका सरकार से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के अनुदानों के लिए उपयुक्त है। • बकाया फीस: बकाया शुल्क (Fees Receivable) के लिए अर्जन-आधारित लेखांकन पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें राजस्व तभी मान्यता प्राप्त करता है जब वह अर्जित होता है, भले ही भुगतान बाद में प्राप्त हो। यह सही वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य में होने वाली नकद प्राप्तियों की रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक है। • आयकर अनुपालन: आयकर नियमों के संदर्भ में, नकद-आधारित लेखांकन वह पद्धति है जिसमें आय और व्यय तभी दर्ज किए जाते हैं जब नकद वास्तव में प्राप्त या भुगतान किया जाता है, न कि उस समय जब दायित्व या अधिकार उत्पन्न होते हैं।
2	वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान, कुछ इकाइयों को यह देखा गया है कि पूंजी निधि शेष आमतौर पर अचल संपत्तियों के शुद्ध बही मूल्य के अनुरूप होना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां पूंजी संपत्ति आंतरिक	इस बारे मेंटेनिंग यूनिट्स के फिक्स्ड एसेट्स के साथ कैपिटल फंड , इक्वेशन को रिव्यू करने के लिए ज़रूरी एक्शन प्लानसक्षम प्राधिकारी के सामने जमा किया जाएगा। जैसे ही सक्षम प्राधिकारी से मंज़ूरी मिल जाएगी ,अचल संपत्तियों रिकॉर्ड के हिसाब से पूंजी निधि के मेंटेनेंस के लिए रख रखाव को आसान और मज़बूत बनाने का प्रक्रिया शुरू किया

	संसाधनों या अनुदान निधियों से बनाई जाती है। हालांकि, खातों की पुस्तकों के अनुसार पूंजी निधि का समापन शेष, अचल संपत्तियों के समापन शेष के साथ संरेखित नहीं होता है। विचरण से पता चलता है कि: • कुछ अचल संपत्तियों को परिसंपत्ति रजिस्टर में ठीक से रिकॉर्ड, पूंजीकृत या अद्यतन नहीं किया गया हो सकता है; • मूल्यह्रास समायोजन का सही हिसाब नहीं दिया जा सकता है; या • परिसंपत्ति परिवर्धन, अनुदान उपयोग या परिसंपत्ति निपटान से संबंधित आवश्यक पूंजी निधि समायोजन पुस्तकों में पारित नहीं किया गया हो सकता है। इकाइयों को पूंजी निधि और निश्चित परिसंपत्तियों के बीच एक विस्तृत समाधान करने और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लेखांकन सुधार करने की सलाह दी गई है।	जाएगा।
3	प्रशिक्षण इकाइयों ने उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार विशिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए "बिल्डिंग फंड" और "प्रशिक्षण एवं विकास फंड" से मिलकर निर्धारित निधि बनाए रखी है। प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा उक्त निधियों और उनके संबंधित निवेशों के बीच एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए।	अभी की हालत इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक और प्रशिक्षण के खर्चों को पूरा करने के लिए मंत्रालय /CFCT से अनुदान समय पर नहीं मिला । इसलिए जो ,निधि असल में खास मकसद के लिए थेउनका इस्तेमाल , आम बजट के खर्चों को पूरा करने में किया गया है। इस समस्या को हल करने के लिए परिषद इन ,निधि को केंद्रीकृत करने के उपाय लागू करेगाजिससे इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़ ,्यादा लाभ मिलेगा और परिषद की दिशा निर्देशों के अनुसार सही इस्तेमाल पक्का होगा।
4	कुछ प्रशिक्षण इकाई की प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार नहीं किया गया है, हालांकि मुख्यालय द्वारा समेकित प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार किया गया है।	प्रशिक्षण इकाइयां बाहरी कर्मचारी के बारजाने से पैदा होने -बार आने- इसके अलावा नए लोगों को लाने से भी ,वाली मुश्किलों से निपट रही हैं प्रशिक्षण इकाइयां की वित्तीय रिपोर्ट अच्छे से तैयार करने की काबिलियत पर असर पड़ रहा है। कुछ प्रशिक्षण इकाइयां को प्राप्ति और भुगतान प्रलेखीकरण पूरा करने में मुश्किल हो रही है जिससे , अनुपालन से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। इन कठिनाइयों को कम करने और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल व सुव्यवस्थित बनाने के लिए, एनसीसीटी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के लेखापालों और कार्यालय अधीक्षकों की कार्य-जिम्मेदारियों में बदलाव कर रहा है।
5	एनसीसीटी की लेखांकन नीतियों के अनुसार मूल्यह्रास किया गया।	सूचनार्थ
6	प्रशिक्षण इकाइयों ने वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का सत्यापन किया हैतथापि अचल , संपत्ति रजिस्टर के उचित रखरखाव के अभावमें बही अभिलेखों और भौतिक संपत्तियों के बीच	इस संबंध में, सभी प्रशिक्षण इकाइयों में स्थायी संपत्तियों के अभिलेख (फ़िक्स्ड एसेट रजिस्टर) की समीक्षा करने तथा स्थायी संपत्तियों की भौतिक उपलब्धता का सत्यापन करने हेतु आवश्यक कार्ययोजना सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी की

	अंतर का पता नहीं लगाया जा सका।	स्वीकृति प्राप्त होते ही स्थायी संपत्ति अभिलेखों के संधारण को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
7	एनसीसीटीमुख्यालय- ने लेखों की गहन जांच के लिए सभी प्रशिक्षण इकाइयों के लिए केंद्रीकृत समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है। हमने वर्तमान में समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है और उनकी टिप्पणियों/सुझावों पर यथासंभव कार्रवाई की गई है।	सूचनार्थ
8	हमने पाया कि जीएसटी और टीडीएस के कार्य के लिए सभी प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा पेशेवरचार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाओं पर काम / आय कर के /टीडीएस/करने के बावजूद जीएसटी अनुपालन में कुछ कमियां पाई गई हैं। विभिन्न सेवाओं पर इस तरह के नए जीएसटी अनुपालन के लिए भी यह देखा गया, एनसीसीटी ने जीएसटी कानून और आयकर अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके से जीएसटीटीडीएस के मुद्दों की जिम्मेदारी ली और / उनका समाधान किया।	परिषद द्वारा प्रशिक्षण इकाइयों में कर्मचारियों को प्रदान किए गए कठोर अनुवर्तन एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप जीएसटी अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।
9	प्रत्येक बैंक के लिए प्रशिक्षण इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए तथा इसे लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	एनसीसीटी और इसके प्रशिक्षण इकाइयाँ बाहरी कर्मचारियों के बार-बार परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इसके अलावा, नए कर्मचारियों की नियुक्ति (on-boarding) के कारण बैंक पुनर्मिलान विवरण (BRS) समय पर तैयार करना भी प्रभावित हो रहा है। इन कठिनाइयों को कम करने और BRS को समय पर तैयार करने के लिए, हम आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के लेखापालों की कार्य-जिम्मेदारियों में संशोधन कर रहे हैं। अद्यतित जिम्मेदारियों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।
10	लेखापरीक्षा के दौरान प्रशिक्षण इकाइयों की बहियों में कई प्राप्य और देय राशि देखी गई, जो पिछले वर्षों से चली आ रही हैं और उनका मिलान किया जाना चाहिए और ऐसे शेषों की पुष्टि के अधीन होना चाहिए।	इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा समीक्षा कर पुष्टि की जाएगी।
	एनसीसीटी मुख्यालय	
1	वित्त वर्ष 2023-69 से संबंधित 24,85,रुपये 688 के प्रोद्भूत ब्याज को संबंधित सावधि जमाओं की परिपक्वता पर प्राप्त वास्तविक ब्याज के मुकाबले समायोजित नहीं किया गया है।	संशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए जाएंगे।
2	फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक से ब्याज पर टीडीएस की गई कटौती, जो 31/03/तक 2025 97 टैली में दर्ज की गई राशि के रूप में, 320 रुपये है, एफडी शीट में दिखाई गई ₹6,06, 361	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए अनुसार संशोधन किए जाएंगे।

	रुपये की टीडीएस राशि से मेल नहीं खाता।	
3	ई वे बिल-भुगतान वाउचर से जुड़ा नहीं है। ईवे - बिल नियमों के अनुसार, राशि 1,00,रुपये से 000 राज्यीय आवाजाही -अधिक की वस्तुओं की अंतर के लिए, एक ईवे बिल अनिवार्य है और उचित - अनुपालन और ऑडिट सत्यापन के लिए भुगतान वाउचर से जुड़ा होना चाहिए।	भविष्य में अनुपालन के लिए संज्ञान में लिया गया।
4	मार्च से मौजूदा देनदारियों के तहत 2022 6,27,रुपये की राशि की वसूली की गई है। 152 इससे पता चलता है कि यह राशि एक विस्तारित अवधि के लिए पूरी तरह से समायोजित रही है और इसके लिए समाधान या मंजूरी के लिए समीक्षा और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है।	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
5	मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के लिए विक्रेता लेजर नहीं बनाया गया है। इससे विक्रेता के साथ लेनदेन की अधूरी ट्रैकिंग हो सकती है और सटीक लेखांकन और ऑडिट सत्यापन के लिए खाता बही के निर्माण और समाधान की आवश्यकता होती है।	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
6	मंत्रालय के पत्र के अनुसार कुशल, अकुशल तकनीकी और गैरतकनीकी आउटसोर्स - जनशक्ति, हाउसकीपिंग और चौकीदार सेवाओं आदि की सुरक्षा सेवाएं प्रदान करके श्रम सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए, एनसीसीटी को ईएमडी, टर्नओवर और ऐसी निविदा में किसी अन्य नियम और शर्तों में रियायतें देनी चाहिए ताकि श्रम सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जा सके और मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार श्रम सहकारी को प्रोत्साहित करने के लिए निविदा के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन से बचा जा सके।	चूंकि NLCF एक सहकारी संगठन है, इसलिए सहयोग मंत्रालय ने दिनांक 17.12.2024 को NCCT एवं VAMNICOM, पुणे को पत्र जारी किया, जिसमें संगठन की सुरक्षा सेवाओं, कुशल, अकुशल, तकनीकी और गैर-तकनीकी आउटसोर्स्ड मानव संसाधन, हाउसकीपिंग और चौकीदार सेवाओं आदि के लिए श्रम सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया, साथ ही मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार NLCF को यह अवसर देने का निर्देश दिया गया। इसके अनुसार, मानव संसाधन की भर्ती के लिए अनुबंध NLCF को प्रदान किया गया, जिसमें पात्रता मानदंडों में छूट दी गई क्योंकि NLCF ने भी L-1 के बराबर दरों की पेशकश की थी।
7	आयकर से प्राप्त टीडीएस प्राप्तियों का फॉर्म 26AS के साथ मिलान नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में केवल 1,84,00,000 रुपये की एक प्रविष्टि दर्ज की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए मिलान जरूरी है कि रिकॉर्ड सही हों।	इसे 26AS फॉर्म के अनुसार पहले ही रिकंसाइल कर लिया गया है और उसके अनुसार1 टी डी एस अमाउंटरुपये ,,84,00,000/- का सही हिसाब लगाया गया है।
8	दिनांक 02/04/2024 को निवेश की शेष राशि खोलने पर ₹2,84,41,736 का ब्याज अर्जित किया गया है। हालांकि, अर्जित ब्याज प्रविष्टि को अप्रैल 2024 में समायोजित किया गया है, इसे पूर्व अवधि की आय के तहत दिखाया जाना चाहिए।	अनुपालन हेतु संज्ञान में लिया गया।

	वैमनीकॉम, पुणे		
1	यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि वर्तमान परिसंपत्ति और देनदारियों के तहत क्रमशः प्राप्य और देय कुछ राशि बिना किसी लेनदेन या अपडेट के एक वर्ष से अधिक समय तक असमायोजित रही है। इकाई को इन लंबे समय से लंबित शेष राशि की विस्तृत समीक्षा और समाधान करने और लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप उनके उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन और समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लेखा कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की जाती है।	ऑडिट के सुझाव के अनुसार, वेमनीकॉम काउंसिल को जानकारी देकर लंबे समय से बकाया रसीद को चुकाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करेगा।	इंस्टीट्यूट से मौजूदा एसेट और लायबिलिटीज़ का रिव्यू और मिलान करने और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में ज़रूरी एक्शन 26 लेने का अनुरोध किया गया है।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, भोपाल		
1	यह देखा गया है कि रु.35,000/- लेखापरीक्षा शुल्क और देय व्यावसायिक शुल्क के प्रावधान के लिए वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाई दे रहा है। उक्त प्रावधान को बिना किसी समायोजन, निपटान या से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए आगे 5 बढ़ाया गया है। लागू लेखांकन सिद्धांतों(AS 29 / Ind AS 37) के अनुसार, निरंतर दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जानी आवश्यक है। यदि यह पहचाना जाता है कि देयता अब मौजूद नहीं है, या राशि देय नहीं है, तो इसे आय और व्यय खाते में वापस लिखा जाना चाहिए। सिफारिशप्रबंधन : को रुपये के बकाया प्रावधान शेष की वैधता की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है। 35,000/-. • यदि देयता अब देय नहीं है, तो राशि को आय और व्यय खाते में वापसलिखा / जाना चाहिए।• यदि देयता अभी भी मान्य है, तो उपयुक्त सहायक दस्तावेज, विक्रेता पुष्टि, और भुगतान विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और देयता का निपटान तदनुसार किया जा सकता है।	परिषद मुख्यालय से मंज़ूरी मिलने के बाद यह रकम राइट ऑफ़ कर दी जाएगी।	इंस्टीट्यूट से ज़रूरी जानकारी मिलने के बाद परिषद एक्शन लेगा।
2	यह ध्यान दिया गया है कि वर्तमान देनदारियों के तहत रु.1,77, 588/ - को व्याख्याता वेतन संशोधन वेतन निर्धारण से संबंधित / वेतन बकाया के प्रावधान के रूप में दिखाया गया है। इस प्रावधान को बिना किसी संगत समायोजन, निपटान या सत्यापन के से अधिक वित्तीय वर्षों 2 के लिए आगे बढ़ाया गया है। विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रावधानों	फैकल्टी मेंबर के पे रिवीजन के पे एरियर की प्रोविजन राशि को परिषद हेडक्वार्टर से अप्रूव्ड अकाउंट बुक्स में वापस लिखा जा सकता है।	इंस्टीट्यूट से ज़रूरी जानकारी मिलने के बाद परिषद एक्शन लेगा।

	की समीक्षा की जानी आवश्यक है कि क्या वर्तमान और वैध दायित्व अभी भी मौजूद है। यदि बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो अब देय नहीं है, या यदि देयता अनिश्चित या असमर्थित है, तो प्रावधान का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और खातों में उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।		
3	यह देखा गया है कि रु.2,63,183.जीएसटी 24 नामक बही में वर्तमान ""समायोजन खाता शेष राशि "देनदारियों के तहत दिखाई दे रहा है। एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है, इस तथ्य के बावजूद कि जीएसटी रिटर्न दाखिल किया गया है, समन्वय पूरी हो गई है, और सभी लागू जीएसटी भुगतान किए गए हैं। इस संतुलन की उपस्थिति इंगित करती है कि अंतिम मिलान की स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए खाता बही की समीक्षा या समायोजन नहीं किया गया है। मानक लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जीएसटी से संबंधित बही-खातों का समाधान किया जाना चाहिए और चुकता किया जाना चाहिए। समाधान के बाद किसी भी अवशिष्ट शेष को या तो उपयुक्त जीएसटी शीर्ष में समायोजित किया जाना चाहिए या राशि की प्रकृति के आधार पर वापस लिखा जाना चाहिए।	यह एक पुराना एडजस्टमेंट है जो क्लेम किए गए इनपुट और पोर्टल पर उपलब्ध इनपुट के बीच का अंतर दिखाता है। ऐसा जी एस टी के शुरुआती दौर में अलगअलग रिकंसिलिएशन की - वजह से हुआ था। पोर्टल के साथ बुक्स को रिकंसिल करने के अंतर को जी एस टी ,लिए में ट्रांसफर कर AC एडजस्टमेंट दिया गया है। हम इसके लिए ऑडिटर से इंस्ट्रक्शन / मुख्यालय चाहते हैं।	इंस्टीट्यूट से ज़रूरी जानकारी मिलने के बाद परिषद एक्शन लेगा।
4	यह देखा गया है कि वर्ष में कैंटीन भवन के 2007 निर्माण के लिए किए गए व्यय से संबंधित रु. 45,405.के ""भवन - अचल संपत्ति"" को 05 अन्य वर्तमान "" तहत पूंजीकृत होने के बजाय चूंकि "के तहत वर्गीकृत किया गया है। ""संपत्ति परिसंपत्ति को अचल संपत्ति प्रमुख के तहत दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए वर्षों से इस भवन पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है। नतीजतन, अचल संपत्तियों का मूल्य कम आंका गया है, और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अधिक बताया गया है। इसके अलावा, इस गलत वर्गीकरण के कारण पूंजी निधि और संचित मूल्यह्रास को उचित रूप से समायोजित नहीं किया गया है। सिफारिशप्रबंधन को रुपये की राशि को : पुनर्वर्गीकृत करना चाहिए। रु.45,405.अन्य 05 - वर्तमान परिसंपत्तियों से अचल संपत्तियों तक भवन। इसके अलावा, मूल्यह्रास की गणना की जानी चाहिए और पूंजीकरण के वर्ष से पूर्वव्यापी रूप से समायोजित किया जाना चाहिए, और आवश्यक प्रभाव अचल संपत्ति रजिस्टर,	साल में कैंटीन के 2007 कंस्ट्रक्शन से जुड़ी रुपये45405.की रकम 05 बिल्डिंगअकाउंट हो सकती है और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन को परिषद मुख्यालय से मंज़ूरी के HQ हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है।	इंस्टीट्यूट से ज़रूरी जानकारी मिलने के बाद परिषद एक्शन लेगा।

<table>
<tr><td></td><td>मूल्यह्रास खाते और पूंजी निधि में दर्ज किया जाना चाहिए।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि बैंक द्वारा जारी ब्याज प्रमाणपत्रों में परिलक्षित आंकड़ों की तुलना में खातों की बहियोंमें दर्ज (टैली) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज और ब्याज के लेखांकन में अंतर हैं।

मतभेदों का विवरण इस प्रकार है-:
<table><tr><th>विवरण</th><th>बहियों के अनुसार (टैली) (रु..)</th><th>बैंक के अनुसार प्रमाणप त्र (रु.)</th><th>अंतर (रु.)</th></tr><tr><td>अर्जित ब्याज</td><td>2,97,216/-</td><td>2,98,617/</td><td>1,401</td></tr><tr><td>एफडी पर भुगतान प्राप्त / ब्याज</td><td>7,19,777/-</td><td>4,72,153/</td><td>2,47,624</td></tr></table>
इन अंतरों से संकेत मिलता है कि बहियों में ब्याज प्रविष्टियों को बैंक द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड के साथ मिलान नहीं किया गया है। नतीजतन, ब्याज आय और अर्जित ब्याज शेष को वित्तीय विवरणों की सटीकता को प्रभावित करते हुए अतिरंजित या कम बताया जा सकता है।</td><td>"एबचत खाते का उपार्जित " .ब्याज रु1401खाते की -/ पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया

एसबीआई के ब्याज प्रमाण 'बी' पत्र के अनुसार एफडी पर प्राप्त ब्याज में बुक किया गया अर्जित ब्याज</td><td>इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह स्टैच्युटरी ऑडिटर के अवलोकन तुरंत ठीक करे और परिषद को इसकी जानकारी दे।</td></tr>
<tr><td></td><td>सहकारी प्रबंध संस्थान, भुवनेश्वर</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>₹36,864 की राशि, जो AV AIDS & Comp (M/s L7 Solution) से संबंधित है, मार्च 2023 से चालू देनदारियों में "प्रावधान" के अंतर्गत दर्शाई गई है। यह शेष राशि अब तक समायोजित या निपटान नहीं की गई है। अतः इस खाते की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।</td><td>इसे सही मंज़ूरी के साथ राइट ऑफ़ किया जाना है क्योंकि पार्टी को पूरा और फ़ाइनल पेमेंट कर दिया गया है।</td><td>इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह स्टैच्युटरी ऑडिटर के अवलोकनको तुरंत ठीक करे और परिषद को इसकी जानकारी दे।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>₹5,712 की राशि, जो Prithvi Graphics से संबंधित है, अप्रैल 2023 से चालू देनदारियों (Current Liabilities) में Sundry Creditors के रूप में दर्शाई गई है। यह राशि लंबे समय से बिना किसी लेन-देन या निपटान के लिए लंबित है।</td><td>क्योंकि पार्टी ने तय समय पर जी एस टी जमा नहीं किया , चला गया। ITC इसलिए हमारा अब समय खत्म होने की वजह ,से हमें क्रेडिट नहीं मिल सकता इसलिए सही मंज़ूरी से यह रकम राइटऑफ की जा सकती है।</td><td>इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह स्टैच्युटरी ऑडिटर के अवलोकन को तुरंत ठीक करे और काउंसिल को इसकी जानकारी दे।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>₹1,82,700 की राशि, जो Directorate of Agriculture (PMFBY) से संबंधित है, मार्च</td><td>इस मामले का रिव्यू किया जाएगा और मौजूदा वित्तीय वर्ष</td><td>इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह स्टैच्युटरी ऑडिटर के</td></tr>
</table>

	2022 से चालू देनदारियों के अंतर्गत "प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम " के रूप में दर्शाई गई है। इस अग्रिम राशि का अभी तक न तो समायोजन किया गया है, न ही कोई व्यय या निपटान दर्ज किया गया है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा कर प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति की पुष्टि की जाए तथा उचित लेखांकन उपचार के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए ।	2025-में ज़रूरी एक्शन 26 लिया जाएगा।	अवलोकनको तुरंत ठीक करे और परिषद को इसकी जानकारी दे।
4	डीएआर एंड पीजी प्रशिक्षण (भारत सरकार) से संबंधित (सेवोटम) कार्यक्रम₹2,14,की 885 राशि, मत्स्य पालन, कटक के निदेशक से संबंधित ₹2,22,450, वाटरशेड विकास के निदेशक से संबंधित ₹3,79,पुस्तकालय और 546 छात्रावास सावधानी धन से संबंधित₹71, 250 और एसआईआरडी टीओटी प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित₹30,वर्तमान देनदारियों के 923 प्रावधानों में'प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ प्राप्त अग्रिम' शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं। इन अग्रिमों को बिना किसी समायोजन, उपयोग या निपटान के वर्षों से अधिक समय तक बहियों 10 में आगे बढ़ाया गया है। इन अग्रिमों की लंबी बकाया प्रकृति इंगित करती है कि संबंधित कार्यक्रमवार रिकॉर्ड और - सहायक दस्तावेजों के लिए विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को सलाह दी जातीहै कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा करें, अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ अग्रिमों का समाधान करें, और उचित लेखांकन उपचार सुनिश्चित करने और लंबे समय से लंबित देनदारियों को बंद करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें।	इस मामले का रिव्यू किया जाएगा और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में ज़रूरी एक्शन 26 लिया जाएगा।	इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह स्टैच्युटरी ऑडिटर के अवलोकनको तुरंत ठीक करे और परिषदको इसकी जानकारी दे।
5	एनसीसीटी फंड से (मरम्मत और नवीनीकरण) ₹ संबंधित2,45,000 की राशि वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में 'अन्य वर्तमान देनदारियों' के तहत परिलक्षित होती है। यह देयता बिना किसी समायोजन के वर्षों से अधिक समय से बैलेंस 10 शीट में दिखाई दे रही है। लंबे समय से बकाया शेष के लिए अंतर्निहित अभिलेखों की समीक्षा की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वह फंड के उद्देश्य और वर्तमान स्थिति को सत्यापित करें, सहायक दस्तावेजों के साथ राशि का मिलान करें, और उचित लेखांकन उपचार और समय पर समाधान के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।	इस मामले का रिव्यू किया जाएगा और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में ज़रूरी एक्शन 26 लिया जाएगा।	इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह स्टैच्युटरी ऑडिटर के अवलोकनको तुरंत ठीक करे और परिषद को इसकी जानकारी दे।

6	छात्रावास भवन की (सीपीडब्ल्यूडी) ₹ नवीनीकरण से संबंधित/मरम्मत5,23,714 की राशि वर्तमान परिसंपत्तियों में 'ऋण और अग्रिम' के तहत परिलक्षित होती है। यह राशि बिना किसी समायोजनवर्षों से अधिक 10 निपटान के/ समय से बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। इस अग्रिम की लंबे समय से बकाया प्रकृति इंगित करती है कि एक वसूली योग्य संपत्ति के रूप में इसके निरंतर वर्गीकरण के लिए सहायक रिकॉर्ड और औचित्य के लिए विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वह इस अग्रिम की स्थिति की समीक्षा करें, इसे प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सामंजस्य स्थापित करें और इसके उचित लेखांकन उपचार के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें।	इस मामले का रिव्यू किया जाएगा और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में ज़रूरी एक्शन 26 लिया जाएगा।	इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह स्टैच्युटरी ऑडिटर के अवलोकन को तुरंत ठीक करे और परिषद को इसकी जानकारी दे।
	एमबीए		
1	हॉस्टल बिल्डिंग रिपेयर एंड रिनोवेशन (सीपीडब्ल्यूडी) से संबंधित ₹1,73,000 की राशि वर्तमान परिसंपत्तियों में 'ऋण और अग्रिम' के तहत परिलक्षित होती है और 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया बनी हुई है। इकाई को सलाह दी जाती है कि वह इस लंबे समय से लंबित अग्रिम की स्थिति की समीक्षा करने, अंतर्निहित रिकॉर्ड को सत्यापित करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।	हम इसे सही अप्रूवल के साथ इसी साल बंद कर देंगे।	इंस्टीट्यूट से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में ज़रूरी कार्रवाई करने 26 का अनुरोध किया गया है।
2	ओपनिंग बैंक बैलेंस ₹45.24 लाख था और समापन बैंक बैलेंस ₹123.89 लाख था। टैली में बैंक लेजर के अनुसार, वर्ष के दौरान शेष राशि ₹50 लाख से कम नहीं हुई। अनुमानित व्यय आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद, इकाई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ब्याज आय को अनुकूलित करने के लिए अधिशेष निधियों को अल्पकालिक सावधि जमा में क्यों निवेश नहीं किया गया था।	इस मामले का रिव्यू किया जाएगा और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में ज़रूरी एक्शन लिया 26 जाएगा।	इंस्टीट्यूट से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में ज़रूरी कार्रवाई करने 26 का अनुरोध किया गया है।
3	लेजर शुल्क के लिए 85,296 रुपये की राशि वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में 'प्रशिक्षुओं/छात्रों और अन्य से जमा' के तहत परिलक्षित होती है और जुलाई 2022 से पुस्तकों में दिखाई दे रही है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वह इस लंबे समय से बकाया राशि की स्थिति की समीक्षा करे और इसके उचित निपटान या समायोजन के लिए	इस मामले का रिव्यू किया जाएगा और मौजूदा वित्तीय वर्ष2025-में ज़रूरी एक्शन 26 लिया जाएगा।	इंस्टीट्यूट से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में ज़रूरी कार्रवाई करने 26 का अनुरोध किया गया है।

	आवश्यक कार्रवाई करे।		
	सहकारी प्रबंध संस्थान, चेन्नई		
1	यह देखा गया कि Indian Security Service, जिसका PAN AACF16953J है, ने सुरक्षा सेवाएँ प्रदान की हैं। इकाइयों ने TDS में कटौती कम की है – 2% की बजाय प्रबंधन ने केवल 1% काटा है। ब्याज और जुर्माने से बचने के लिए इकाई को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।	इंडियन सिक्योरिटी सर्विस के मामले में टी डी एस की छोटी कटौती मई महीने के 2025 एरियर के साथ काटी गई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दी गई और इसे अगले ऑडिट में ऑडिटर्स को दिखाया जाएगा।	मौजूदा वित्तीय वर्ष2025-के 26 दौरान इंस्टीट्यूट ने पहले ही एक्शन ले लिया है।
2	वकील सेवाओं पर GST लागू होता है, जिसे Reverse Charge Mechanism (RCM) के तहत भुगतान करना होता है। लेकिन प्रबंधन ने इन चालानों पर GST का भुगतान नहीं किया और Tally में RCM प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई।	2025 का पेमेंट जुलाई RCM महीने में किया गया है। चूंकि यह इसलिए इसे ,एक नल एंट्री है टैली में अकाउंट नहीं किया ,गया। इसके बाद हम ऑडिटर के सुझाव के अनुसार टैली में एंट्री करेंगे।	इस बारे में इंस्टिट्यूट से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी।
3	लेजर नाम: Suspense Payments – इस लेजर में 2023-24 से पार्टियों से प्राप्त होने योग्य राशि दर्ज है, जिसे वसूल नहीं किया गया है और यह अब तक लंबित है।	जब यूज़र ऑर्गनाइज़ेशन इंस्टिट्यूट को बकाया रकम चुका देगातो बकाया रकम एडजस्ट , ,कर दी जाएगी। हालांकि इंस्टिट्यूट बकाया रकम वसूलने के लिए ज़रूरी कदम उठा रहा है।	इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह बकाया रकम की रिकवरी के लिए यूज़र ऑर्गनाइज़ेशन के साथ मामला आगे बढ़ाए।
4	विश्वविद्यालय शुल्क 23-25 बैच और विश्वविद्यालय शुल्क 24-26 बैच – यह लेजर छात्रों द्वारा जमा की गई राशि को दर्शाता है, जिसे पाठ्यक्रम समाप्ति पर लौटाया जाना है। इसे गलत तरीके से Sundry Creditors के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसे चालू देनदारियों में दिखाया जाना चाहिए।	ऑडिटर के सुझाव के अनुसार ग्रुपिंग की गलती ठीक कर दी जाएगी और अगले ऑडिट में ऑडिटर को बता दी जाएगी।	ग्रुपिंग की गलती को इंस्टिट्यूट मौजूदा वित्तीय वर्ष2025 -में 26 ठीक कर देगा।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, देहरादून		
1	लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया मार्च 2021 में A.V. AIDS हेतु ₹27,30,000/- की राशि की खरीद से संबंधित है, ₹84,36,767/- की राशि, जो NCCT से रेमिटेंस के रूप में है, बैलेंस शीट में "चालू देनदारियाँ के अंतर्गत अभी भी दर्शाई जा रही हैं। ये शेष राशियाँ कई वर्षों से बहियों में बनी हुई हैं, बिना किसी संबंधित समायोजन, निपटान या दस्तावेज़ीकरण के जो इन देनदारियों की स्थिति को दर्शाती है। इस प्रकार के पुराने शेष राशियों का लंबे समय तक चालू देनदारियों में बने रहना यह संकेत देता है कि इन खातों की उचित	यह मामला परिषद मुख्यालय के सामने उठाया गया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।	इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वे परिषद मुख्यालयद्वारा आगे की ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ डिटेल्स दें।

	समीक्षा और मेल-मिलान नहीं किया गया है।		
2	टैली में बुक किया गया ब्याज ब्याज प्रमाणपत्र के साथ मेल नहीं खाता है। ब्याज प्रमाणपत्र के अनुसार राशि ₹7,04,454/- है, जबकि टैली में दर्ज ब्याज ₹7,73,657/- है, जिससे ₹69,203/- का अंतर है।	अगर ब्याज अर्जित हो गया है लेकिन सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड नहीं किया गया हैतो ऐसे अंतर , से बचने के लिए टैली और ब्याज सर्टिफिकेट के बीच आगे का मिलान पक्का किया जाएगा।	इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह परिषद को इन्फॉर्म करते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में 26 ज़रूरी एक्शन ले।
	एमबीए		
1	लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि फिक्स्ड डिपॉजिट)FDs) पर उत्पन्न ब्याज)Accrued Interest) की राशि वास्तविक प्राप्ति के बाद टैली)Tally) में उचित रूप से समायोजित नहीं की गई है। उत्पन्न ब्याज की राशि अभी भी "Loans & Advances – Interest Accrued" के अंतर्गत दर्शाई जा रही है, जबकि संबंधित ब्याज आय पहले ही प्राप्त और बैंक में अभिलेखित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024–के लिए वास्तविक उत्पन्न 25 ब्याज की राशि₹1,97,173/- है, जबकि Interest Accrued A/c में समापन शेष ₹7,09,750.69/- दर्ज है। यह संकेत देता है कि ब्याज उत्पन्न खाता पिछले वर्षों से बिना किसी समायोजन के आगे बढ़ाया गया है, जबकि बाद में प्राप्त ब्याज का समायोजन नहीं किया गया।	यह एडजस्टमेंट इसी वित्तीय वर्ष में सेटल किया जाएगा।	इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह परिषद को इन्फॉर्म करते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-में 26 ज़रूरी एक्शन ले।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी		
1	वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ₹1,140/- की राशि आयकर विभाग द्वारा TDS के तहत पहली तिमाही 1 के लिए माँगी गई है, जो TDS की कम कटौती से संबंधित है। इसे तुरंत सुधार किया जाना चाहिए।	हमने अपने करविशेषज्ञों को - सूचित कर दिया है कि वे इस मामले को वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में ही समाधान करें।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई आपत्तिटिप्पणी को तुरंत / सुधारें और इसकी सूचना परिषद को दें।
2	यह देखा गया कि ₹43,880/- की राशि चालू परिसंपत्तियों में अंग्रेजी से असम में अनुवाद हेतु दर्शाई गई है, जो NCCT मुख्यालय से प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह शेष राशि लंबे समय से लंबित है, और यह देखा गया कि इस राशि की वसूली के लिए मुख्यालय से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसे NCCT मुख्यालय की स्वीकृति के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।	संस्थान एनसीसीटी मुख्यालय को आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा। संस्थान मुख्यालय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।	आवश्यक विवरण एवं दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद एनसीसीटी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3	इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि निम्नलिखित राशियाँ लंबे समय से चालू परिसंपत्तियों में दशाई गई हैं :	वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट वित्त वर्ष)2014-15के अनुसार हमें ₹94,000/- प्राप्त होने हैं।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी आपत्ति को/

	ICM मणिपुर प्राप्तियां ₹94,000/-	चूँकि यह बहुत पुराना मामला है, इसलिए हम इसे समाधान करने के लिए जाँच कर रहे हैं।	तुरंत सुधार करे और इसकी सूचना परिषद को प्रदान करे।
4	यह देखा गया कि ₹75,616/- की राशि चालू देनदारियों में अन्य चालू देनदारियाँ के नाम से पिछले पाँच वर्षों से दर्ज है। प्रबंधन को लंबित शेष राशियों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि यह राशि Non-Payable मानी जाती है, तो इसे लिखित समाप्ति के माध्यम से निपटाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।	हमने पाया है कि ₹75,416/- जीएसटी राशि खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी रिटर्न भरते समय दावा की गई थी, लेकिन लेखा पुस्तकों में इस राशि का दावा नहीं किया गया। साथ ही, हमने यह भी पाया कि ₹200/- **संड्री क्रेडिटर्स**परिमल कालिता एंड एसोसिएट्सको देय हैं।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणीआपत्ति को / तुरंत सुधारकरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और इसकी सूचना परिषद को प्रदान करे।
5	यह देखा गया कि ₹32,446/- की प्रारंभिक शेष राशि चालू परिसंपत्तियों में भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के नाम से वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई या समायोजितलिखित / समाप्त नहीं की गई। सत्यापन के लिए संबंधित पक्षों से वसूली कार्रवाई, पत्राचार या पुष्टि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रबंधन को इन लंबे समय से लंबित शेष राशियों की वसूली की संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि यह राशि Non-Recoverable मानी जाती है, तो इसे लिखित समाप्ति)Write-off) के माध्यम से निपटाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।	हमने पाया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹32,446/- भंडागरण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)से प्राप्त होने योग्य हैं। हम इस मामले को सुलझाने के लिए WDRA के साथ संवाद कर रहे हैं।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह WDRA के साथ इस मामले को आगे बढ़ाए और वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा उठाई गई टिप्पणीआपत्ति को सुधारकर / परिषद को इसकी सूचना दे।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, हैदराबाद		
1	एनसीसीटी मुख्यालय को हस्तांतरित की जाने वाली राशि को NCCT को देय अधिशेष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में एनसीसीटी को भुगतान इस लेजर के माध्यम से किया जाता है।	संस्थान इसकी समीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह इसका समीक्षा करे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट परिषद को भेजे।
2	प्रारंभिक शेष की पुष्टि पिछले वर्षों के हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों से की जानी चाहिए और इसे मार्च तक के वित्तीय विवरणों के साथ मेल मिलान-)Reconciliation) किया जाना चाहिए।	संस्थान पिछले वर्षों के हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों के साथ ओपनिंग बैलेंस का सत्यापन करेगा और आवश्यक मिलानकरेगा।	भविष्य में अनुपालन के लिए ध्यान में लाया गया।
3	हमारे सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि Director Expenses Grouping के अंतर्गत "Paid Programmes" और "Research & Consultancy" व्यय लेजरों के कई लेजर थे।	संस्थान प्रविष्टियों की समीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदान प्राप्तियाँ और कार्यक्रम से संबंधित प्राप्तियाँ	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

	व्यय लेजर के विरुद्ध प्राप्तियाँ डेबिट की गई थीं। यह सलाह दी जाती है कि अनुदान)Grant) या कार्यक्रम से प्राप्त राशि को Income या Current Liabilities लेजर में दर्ज किया जाए, न कि उन्हें व्यय में क्रेडिट किया जाए।	उचित आय या वर्तमान देयताएँ लेजर में सही ढंग से दर्ज की जाएँ, न कि उन्हें खर्च खातों में क्रेडिट किया जाए। सही वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे।	
4	बैंक खातों के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि Tally और बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक शेष में अंतर था। इस असंगति को दूर करने के लिए नियमित Bank Reconciliation Statement (BRS) तैयार करने की सलाह दी जाती है। इस अंतर की तत्काल जाँच और मेलमिलान - आवश्यक है।	संस्थान ने तत्काल सत्यापन शुरू कर दिया है, और असंगति की पहचान और सुधार के लिए नियमित बैंक रीकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है। मिलान पूरा होने के बाद आवश्यक सुधार तुरंत किए जाएंगे।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
5	हमारे सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि GST लेजर और GST रिटर्न्स में विसंगति है और इसके देयकर में अंतर है। अंतर के मूल कारण की पहचान हेतु तत्काल मेलमिलान- करना आवश्यक है और बकाया शुद्ध देनदारी को समाप्त करने के लिए सुधार प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए।	संस्थान तुरंत मिलान शुरू करेगा ताकि इस भिन्नता के मूल कारण का पता लगाया जा सके। मिलान पूरा होने के बाद, शेष देयता को सही ढंग से दर्शाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक जर्नल एंट्री दर्ज की जाएगी।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह इसका समीक्षा करे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट परिषद को भेजे।
6	कुछ महीनों में नकद)Cash) का शेष ऋणात्मक)Negative) क्यों गया? संभावित लेखांकन त्रुटि Income Tax Act की धारा 40A(3) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन के लिए भुगतान या भुगतानों का योग ₹10,000/- से अधिक है और वह नकद या निर्धारित तरीकों के अलावा किसी अन्य माध्यम से किया गया है, तो उसे व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी जाती।	संस्थान गलत प्रविष्टियों को सुधार करेगा, निर्धारित भुगतान तरीकों का पालन सुनिश्चित करेगा और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह गलत प्रविष्टियों को सुधारें और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचें।
7	इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की प्रविष्टियाँ सही तरीके से दर्ज नहीं की गई हैं, विभिन्न ग्रुपिंग में लेजर नाम अलगअलग दिखा रहे हैं।- चूंकि यह एक सरकारी संबंधित इकाई है, इसलिए GST TDS भी लागू होता है और ऐसे लेनदेन का लेखांकन सही ढंग से किया जाना - चाहिए। ख. अतः अनुशंसा की जाती है कि GST को मासिक आधार पर GSTN पोर्टल के साथ मेल-मिलान किया जाए, जैसे :Output के लिए GSTR-1 और ITC के लिए GSTR-2B, और आवश्यक सुधार किए जाएँ।	संस्थान मासिक आधार पर जीएसटी डेटा को GSTN पोर्टल के साथ मिलान करेगा— आउटपुट टैक्स कोGSTR-1 और इनपुट टैक्स क्रेडिटको GSTR-2B के साथऔर सही — तथा अनुपालनशील जीएसटी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार तुरंत करेगा।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह इसका समीक्षा करे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट परिषद को भेजे।
8	यह देखा गया कि कुछ देयताएँ पहले ही निपटाई जा चुकी हैं, फिर भी बैलेंस शीट में बकाया के रूप में दिखाई जा रही हैं। वास्तविक वित्तीय स्थिति को सही ढंग से दर्शाने हेतु इस विसंगति	संस्थान इन प्रविष्टियों की समीक्षा कर रहा है, और लेजर को अपडेट करने तथा वित्तीय विवरणों में वास्तविक देय स्थिति	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह इसका समीक्षा करे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट परिषद को भेजे।

	को सुधारना आवश्यक है।	को सही ढंग से दर्शाने के लिए आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।	
9	यह देखा गया कि कुछ प्राप्तियाँ पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं, फिर भी बैलेंस शीट में बकाया के रूप में दिखाई जा रही हैं। वास्तविक वित्तीय स्थिति को सही ढंग से दर्शाने हेतु इस विसंगति को सुधारना आवश्यक है।	संस्थान इन प्रविष्टियों की समीक्षा कर रहा हैऔर लेजर को अपडेट करने तथा वित्तीय विवरणों में वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति को सही ढंग से दर्शाने के लिए आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह इसका समीक्षा करे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट परिषद को भेजे।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, इंफाल		
1	हमारे ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि केवल दो निविदा जाँचें GeM पोर्टल के माध्यम से की गईं, अर्थात एक 04-12-01 और दूसरी 2021-04-को उसके बाद नवीनीकरण और 2022 खरीदारी भौतिकी आवेदनों के माध्यम से मैन्युअल रूप से की गई, GeM प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया गया। अनुशंसा की जाती है कि संगठन सभी पात्र खरीदारी गतिविधियों के लिए नियमित रूप से GeM पोर्टल का उपयोग करें ताकि पारदर्शिता, अनुपालन और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन को यह भी चाहिए कि समयसमय पर - निगरानी स्थापित करें ताकि क्रय नीतियों के पालन की पुष्टि होसके।	सूचनार्थ, और नोट किया गया।	संस्थान को वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
2	निवेश)PG खाताश पर ब्याज (30,37,397का -/ :अभिलेख नहीं किया गया हमारे ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि प्रबंधन ने निवेश पर उत्पन्न ब्याज को दर्ज नहीं किया, जबकि NCCT अपने वित्तीय विवरण Accrual Basis of Accounting पर तैयार करता है। परिणामस्वरूप, ब्याज आय और संबंधित प्राप्तियाँ कम दर्ज हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरणों में त्रुटि उत्पन्न हो रही है।	लेखा परीक्षा द्वारा सुझाए अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	संस्थान को वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
3	कर्मचारियों को प्रदान किया गया अग्रिम)Advance) लंबे समय से लंबित है। इसका समायोजन या वसूली करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।	लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	संस्थान को वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
4	वित्तीय विवरणों की समीक्षा के अनुसार देखा गया कि रुपये 15,528/- (Opening Balance) अप्राप्त चेक के रूप में नामितए/एंडोमेंट फंड	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में कार्रवाई की जाएगी।	संस्थान को वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

	)Earmarked/Endowment Fund) के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। ख. प्रबंधन को यह देखना चाहिए कि ₹15,528 -/ का अप्राप्त चेक, जो नामितएंडोमेंट फंड के / अंतर्गत प्रारंभिक शेष के रूप में दिखाई दे रहा है, उसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाए, जैसे किक) :) यदि चेक वैध है और प्रस्तुति लंबित है तो उसे क्लियर करना, या ख)) यदि अब भुगतान योग्य नहीं है या चेक निष्प्रभावी हो गया है तो प्रविष्टि को बदलना। ऐसी वस्तुओं का नियमित Periodic Reconciliation किया जाना चाहिए ताकि लंबे समय से लंबित अप्राप्त चेकों की पहचान, जांच और उचित समाधान सुनिश्चित हो सके, जिससे फंड शेषों की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे।		
	सहकारी प्रबंध संस्थान, जयपुर		
1	ट्रेसेस पोर्टल के सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024--की तिमाही 252 के लिए विलंब फाइलिंग शुल्क की मांग की गई है, जिसकी राशि क्रमशः ₹1, और 400₹1,है। 200 ये मांगें निर्धारित देय तिथियों के भीतर टीडीएस विवरण दाखिल करने में देरी का संकेत देती हैं। इकाई को सलाह दी जाती है कि : • उठाई गई मांगों की शुद्धता की समीक्षा और सत्यापन; • टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में देरी के कारणों की पहचान करना; • बकाया शुल्क के भुगतान या संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, जहां भी आवश्यक हो; तथा • भविष्य में टीडीएस प्रावधानों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना।	इस मामले की समीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह NCCT (मुख्यालय) को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करे।
2	अर्जित ब्याज प्रविष्टियों को एफडीवार बनाए - रखा जा रहा है, और संबंधित समायोजन प्रत्येक संबंधित सावधि जमा की परिपक्वता के समय किया जाता है। इकाई को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ब्याज उपार्जन और समायोजन लागू लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सटीक और लगातार दर्ज किए जाते	संस्थान लागू लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन पुस्तिकाओं का रखरखाव कर रहा है।	संस्थान द्वारा आवश्यक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

	हैं।		
	सहकारी प्रबंध संस्थान, कन्नूर		
1	GST लेजर के सत्यापन के दौरान पुस्तकों में ₹1,54,972.75 की शुद्ध देनदारी दर्ज पाई गई आउटपुट)GST देनदारी :₹2,21,544.घटा 08 :इनपुट टैक्स क्रेडिट₹66,571.33)। हालाँकि, दायर किए गए GST रिटर्न की जाँच से यह पुष्टि होती है कि मार्च माह के दौरान देय GST ₹2,00,176.00 था। यह असंगति संकेत करती है कि वित्तीय विवरणों में समापन शेष कम)Understated) दर्शाया गया है। अंतर के मूल कारण की पहचान के लिए तत्काल समन्वय आवश्यक है, और बकाया शुद्ध देनदारी को समाप्त करने हेतु एक संशोधन जर्नल प्रविष्टि पोस्ट की जानी चाहिए।	टैली में इनपुट CGST और SGST तथा GSTR-3B में दावा किए गए इनपुट में लगभग हर महीने अंतर पाया गया है। 31.03.2025 तक का यह अंतर अगले महीनों में क्लियर कर दिया जाएगा। लंबित देयता को साफ करने के लिए रीकंसिलिएशन किया गया है।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में परिषद को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।
2	वर्तमान में आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स के विरुद्ध सीधे समायोजित किया जा रहा है, और इसके लिए अलगअलग लेजर नहीं बनाए गए हैं। - इसके बजायCGST Payable, SGST Payable तथा IGST Payable के लिए पृथक खातों का रखरखाव किया जाना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी के आउटपुट टैक्स की मासिक कुल राशि तथा इनपुट टैक्स की मासिक कुल राशि संबंधित खातों में पोस्ट की जानी चाहिए और समायोजन इन लेजरों के माध्यम से किया जाना चाहिए।	नोट किया गया। हम CGST Payable, SGST Payable और IGST Payable के लिए अलग-अलग लेजर बनाएंगे और इन लेजरों के माध्यम से सेटकरेंगे।	लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए गए अनुसार आवश्यक कार्यवाही संस्थानों द्वारा की जाएगी।
3	वित्त वर्ष 2022– से 23NCCT से ₹75,529 की प्राप्य राशि अभी भी बकाया बनी हुई है। प्रबंधन को इस शेष राशि का मिलान करना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह राशि वसूल योग्य है या इसे लिखऑफ या प्रावधान करने की - आवश्यकता है।	लंबित राशि कंप्यूटर अग्रिम, HBA अधिक वसूली और NCCT से प्राप्त पेंशन में अंतर से संबंधित है।	इस विषय की समीक्षा एनसीसीटी द्वारा की जाएगी तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
4	'NCDC A/c' के अंतर्गत ₹84,499 की चालू परिसंपत्ति राशि दर्ज है। प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि इस खाते की समीक्षा करें, राशि का समन्वय करें, और मूल्यांकन करें कि क्या यह वसूल योग्य है या इसके लिए प्रावधानऑफ -लिख/ की आवश्यकता है।	NCCT को इसके संबंध में पत्राचार किया गया है ताकि ₹84,499/- की राशि, जो NCDC से HDCM के मेरिट छात्राओं के लिए नकद पुरस्कार से संबंधित है, की प्रतिपूर्ति की जा सके। हमें इस राशि को write-off करने की अनुमति दी जा सकती है।	संस्थान आवश्यक कार्रवाई, जैसा कि लेखापरीक्षकों)है, संस्थान को आवश्यक दस्तावेजों सहित विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि एनसीसीटी मुख्यालय द्वारा आगे की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
5	₹2,800.00 की 'Other Deposits' देनदारी कई वर्षों से पुस्तकों में आगे ढोई जा रही है। यह राशि इकाई द्वारा प्राप्त की गई एक देय राशि को दर्शाती है, जो बैलेंस शीट में अभी भी लंबित है।	₹2,800/- की राशि पुस्तकालय जमा राशि से संबंधित है, जो पूर्व-प्रशिक्षुको देय है। चूंकि प्रशिक्षु से कोई मांग नहीं है, इसलिए इस	संस्थान को आवश्यक दस्तावेजों सहित विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि इस संबंध में एनसीसीटी मुख्यालय द्वारा

	इस लंबे समय से लंबित देनदारी की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या यह अब भी वापसी योग्य है या इसे आय में स्थानांतरित किया जा सकता है। (लिखित-रि)	राशि को आय में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है।	आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें।
6	वित्त वर्ष 2022–₹ से संबंधित 231,00,000की कार्यक्रम शुल्क प्राप्य राशि अभी भी बकाया है। शेष राशि की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें प्रावधान बनाना या, यदि राशि अवसूल्य मानी जाती है, उसे सेवा समाप्त करना शामिल है।	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए Kozhikode DCB से प्राप्त ₹1,00,000/- 19.11.2025 को प्राप्त हो चुकी है। इसलिए इस पैरा को हटाया जा सकता है।	इस संबंध में संस्था द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।
7	सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया कि मार्च माह के लिए GST देनदारी पर TDS ₹10,282 होना चाहिए था, जबकि Tally लेजर में केवल ₹4,964 दर्ज किया गया है। ₹5,318 का यह अंतर अभी भी असुलझा है और कोई सहायक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इकाई को सलाह दी जाती है कि रिकॉर्ड की समीक्षा करे और अंतर का मिलान करे ताकि वैधानिक देनदारियों की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके।	वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए अनुसार, रीकंसिलिएशन की जाएगी और आवश्यक सुधार किए जाएंगे।	संस्थान को समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ		
1	इकाई द्वारा रुपये 46,20,503.91 की राशि एमबीए खाते से प्रशासन एवं कार्यालय व्यय के रूप में दर्ज की गई है। इस राशि का उपयोग एनसीसीटी मुख्यालय के निर्देशानुसार किया जाना चाहिए।	प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण अनुदान वर्ष 2022-23 से एनसीसीटी से प्राप्त न होने के कारण यह राशि एमबीए कार्यक्रम खाते से ली गई है।	इस मामले की NCCT में समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संस्थान को निर्देश जारी किए जाएंगे।
2	एनसीसीटी के निर्देशों के अनुसार इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि चालू देनदारियों के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त राशि का निवेश किया जाए। किंतु ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि ATMA प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क के अग्रिम के विरुद्ध कई वर्षों से कोई निवेश नहीं दर्शाया गया है।	पिछली प्रथाओं के अनुसार, यूनिट फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक खातों से प्राप्त सभी ब्याज वर्ष समाप्त होने के बाद NCCT H.O. को स्थानांतरित करता था। हालांकि, संस्थान ने लाइनियर पद्धति तब तक अपनाई नहीं जब तक कि NCCT H.O. द्वारा अनुशंसा न की गई।	संस्थान को वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में परिषद को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
3	आरंभिक वर्ष में नामित निधि का शेष रुपये 3,43,70,138.54 था तथा इसके विरुद्ध निवेश राशि रुपये 2,71,31,753 थी। आगे वित्त वर्ष के समापन में नामित निधि का शेष रुपये	संस्थान द्वारा अनुदान जारी करने अथवा वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रय की गई परिसंपत्तियों के निपटान हेतु एनसीसीटी मुख्यालय के साथ निरंतर	इस मामले की NCCT में समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संस्थान को निर्देश जारी किए जाएंगे।

	3,67,47,038.54 था जबकि निवेश राशि केवल रुपये 2,88,08,269 ही रही, जिसमें अनुपयुक्त अंतर देखा गया है।	पत्राचार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण व्ययों के लिए एनसीसीटी मुख्यालय से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त सुझावों के अनुसार, मंत्रालय से प्राप्त प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण व्ययों हेतु अपेक्षित अनुदान की राशि ₹82,18,644.52 को "एनसीसीटी मुख्यालय से प्राप्ति हेतु अंतर इकाई शेष (Inter Unit Balance Receivable from NCCT H.O.)" खाते के अंतर्गत दर्शाया गया है।	
4	निवेश से प्राप्त आय के ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि ब्याज प्रमाणपत्र में दर्शाई गई राशि एवं एनसीसीटी को स्थानांतरित राशि का मिलान)Matching) तो सही है, किंतु लेखांकन पद्धति उचित नहीं है। इकाई को सुझाव दिया जाता है कि एफडीआर से प्राप्त ब्याज से एनसीसीटी निधि में राशि स्थानांतरित करने हेतु एनसीसीटी मुख्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए।	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संस्थान को निर्देश जारी किए जाएंगे।
5	यह देखा गया है कि कुछ प्राप्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, किंतु फिर भी बैलेंस शीट में बकाया के रूप में दर्शायी जा रही हैं। वर्तमान वित्तीय स्थिति को सही रूप में दर्शाने हेतु इस विसंगति में सुधार किया जाना आवश्यक है : **विवरण** / **राशि** कंप्यूटर एप्प प्रशिक्षण — 9,419.00 Consumer Women Fed. — 5,400.00 NCCE प्रशिक्षण — 23,224.00 कार्यालय प्रबंधकीय कार्यक्रम (lacfed) — 17,800.00 TDS पर प्रशिक्षण — 10,286.00 प्रोजेक्ट निदेशक, ATMA लेखीसराय — 4,488.00 आरसीएस कार्यक्रम वित्त — 38,116.00 RTI कार्यक्रम — 23,075.00 TOT कार्यक्रम वित्त — 51,611.00 UPSS कार्यक्रम — 13,804.00	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संस्थान को निर्देश जारी किए जाएंगे।

	कुल 1,97,223.00		
6	यह देखा गया है कि कुछ प्रावधानों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, फिर भी वे बैलेंस शीट में प्रावधान के रूप में दर्शा रहे हैं। वास्तविक वित्तीय स्थिति को सही रूप में दर्शाने हेतु इसका सुधार किया जाना आवश्यक है।	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	स्थान से अनुरोध किया गया है कि वह NCCT मुख्यालय को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करे।
	एमबीए		
1	नामित निधि का प्रारंभिक शेष ₹0 था और इसके विरुद्ध निवेश की राशि ₹12,103,887.00 थी। आगे, नामित निधि का समापन शेष ₹0 रहा, जबकि इसके विरुद्ध निवेश की राशि अभी भी ₹13,252,685.00 बनी हुई है।	MBA खाते में निवेश के लिए कोई विशेष निधि नहीं है, हालांकि निवेश खाता MBA कैपिटल अकाउंट में रखा गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, मदुरै		
1	जीएसटी लेज़र के सत्यापन के दौरान बहियों में रुपये 8,27,963.78 की देनदारी दर्ज पाई गई। तथापि, दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न की जांच से यह पुष्टि होती है कि संबंधित सभी जीएसटी देनदारियों का भुगतान विधिवत कर दिया गया है। यह असंगति इंगित करती है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया समापन शेष अधिक दर्शाया गया है। अंतर के मूल कारण की पहचान हेतु तत्काल मेल-मिलान किया जाना आवश्यक है तथा बकाया शुद्ध देनदारी को समाप्त करने के लिए सुधार प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए।	हमारे GST सलाहकार के परामर्श से, इस अंतर को उपयुक्त जर्नल एंट्री के माध्यम से मिलानकिया जाएगा। आवश्यक सुधार बहियों में उचित रूप से दर्ज किए जाएंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई करे।
2	बैंक खातों का सत्यापन के दौरान एमडीसीसी बैंक (The Madurai District Central Co-operative Bank Ltd.) में रखे गए फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में विसंगति पाई गई। इकाई की आंतरिक लेखा बहियों में रुपये 90,000/- की राशि 31-01-2025 तक दर्ज नहीं की गई है। इस राशि को इकाई की पुस्तकों में विधिवत दर्ज किया जाना आवश्यक है।	MDCC बैंक में ₹90,000/- का फिक्स्ड डिपॉजिट MBA छात्रों के Students' Welfare Fund से संबंधित है और यह राशि पूरी तरह से छात्रों की है। यह फंड अलग से रखा गया है और केवल छात्रसंबंधित कल्याण - गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई करे।
3	लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि ICDP–II Phase DPR Project Preparation से संबंधित निम्नलिखित राशियाँ "प्रशिक्षण कार्यक्रम के विरुद्ध अग्रिम प्राप्ति" के अंतर्गत चालू देनदारियों में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से दर्शाई जा रही हैं: ICDP–II Phase DPR Project Preparation –	अनुसंधान कार्य के अनुसार, ICDP II Phase की राशि केवल तब जारी की जाएगी जब तमिलनाडु सरकार द्वारा संबंधित G.O. जारी किया जाए। लेकिन हमने तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार से	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह अनुदान की राशि जारी करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मामले को आगे बढ़ाए।

	RMDP: ₹3,61,129.48 ICDP–II Phase DPR Project Preparation – TPR: ₹4,02,01,048.00 ICDP–II Phase DPR Project Preparation – IV Malai: ₹3,22,668.48 ICDR–II Phase DPR Project Preparation – VDNR: ₹3,51,638.48 ये अग्रिम राशियाँ एक वर्ष से अधिक समय से बिना किसी संबंधित समायोजन के लंबित हैं। इकाई को चाहिए कि वह संबंधित प्रोजेक्टों की प्रगति और लागू लेखा मानकों के अनुसार इन शेष राशियों की समीक्षा, मेल-मिलान (Reconciliation) और निपटान हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।	आग्रह किया है। नीतिगत दृष्टिकोण से, ICDP II Phase का कार्यान्वयन तमिलनाडु सरकार के पास लंबित है। TOR के अनुसार, तीसरी किस्त G.O. जारी होने के बाद ही जारी की जानी है। यदि मुख्यालय इस राशि को वापस लेखांकन करने की मंजूरी देता है, तो हम उक्त राशि को खातों में आय के रूप में मान्यता देंगे।	
4	ADDI Registrar/MD, TNCU, चेन्नई से रुपये 1,93,520/- की प्राप्ति योग्य राशि है, वर्तमान परिसंपत्तियों में विविध देनदारों के अंतर्गत दर्शाई गई है और मई 2023 से अब तक अवशिष्ट है। इकाई को सलाह दी जाती है कि वह इस लंबे समय से लंबित प्राप्ति योग्य राशि की वसूली की संभावना का मूल्यांकन करे तथा ध्यानपूर्वक लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप इसके मेल-मिलान की पुष्टि और निपटान हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।	हम TNCU, चेन्नई के संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित फॉलोअप और संचार के माध्यम - संपर्क में हैं से सक्रिय रूप से, ताकि शेष राशि जारीकरने के लिए यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जा सकेगा।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह शेष राशि की जारीगी के लिए TNCU, चेन्नई के साथ मामले को आगे बढ़ाए।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, नागपुर		
1	वित्तीय वर्ष 2021-के दौरान 22, ₹22,786 की मुद्रण व्यय राशि गीता बैग हाउस को देय थी। हालांकि, दिनांक 31.03.तक चेक बैंक में 2022 क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए उक्त राशि को उस तिथि पर देय)Payable) के रूप में दर्शाया गया था। अब यह अवलोकन में आया है कि यह भुगतान वित्तीय वर्ष 2024- की समाप्ति तक भी 25Tally प्रणाली में प्रदर्शितअंकित नहीं हुआ है।/	नोट किया गया। हम चालू वर्ष के दौरान इस समस्या की पहचान कर उसे सुधारेंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन को तुरंत सुधारें और परिषद को इसकी सूचना दें।
2	इकाई द्वारा ₹1,00,14,671.20 की देय राशि को के रूप में दर्शाया गया है "अन्य देय लेनदारों", जो कई वर्षों से आगे ले जाई जा रही है)Carried Forward)।	संस्थान वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है क्योंकि 31-03-2025 तक राज्य सरकार से ₹5,76,89,000/- की अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सरकार के साथ अनुदान जारी करने के मामले को आगे बढ़ाएँ।
3	इकाई का एक खाता MSC बैंक में है। बैंक के	नोट किया गया, NCCT के	संस्थान से अनुरोध किया गया है

	बाद में बंद हो जाने के कारण, बकाया शेष राशि को अप्राप्ति योग्य माना जाता है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि लेखा पुस्तकों के अनुसार ₹166,894.52 की समापन शेष राशि को औपचारिक रूप से हानि के रूप में वर्गीकृत किया जाए और इसे तुरंत बैलेंस शीट से लिखकर समाप्त कर दिया जाए।	निर्देशानुसार इस मुद्दे को लिख-ऑफ किया जाएगा।	कि वे राशि के लिए प्रस्ताव NCCT को प्रस्तुत करें ताकि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।
4	During the verification बैंक खातों के सत्यापन के दौरान, बैंक ऑफ बड़ौदा में रखे गए फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉज़िट)FFD) खाते में एक विसंगति पाई गई। इकाई की आंतरिक लेखा पुस्तकों में ₹59,910.00 का क्रेडिट बैलेंस प्रदर्शित है, जबकि संबंधित बैंक स्टेटमेंट में शून्य शेष दिखाया गया है। इस अंतर की त्वरित जांच और समन्वय किया जाना आवश्यक है।	नोट किया गया, हम वर्ष 2025-26 के दौरान प्रविष्टियों को सुधारेंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन को तत्काल सुधारें और परिषद को इसकी सूचना दें।
5	लेजर के सत्यापन के दौरान पुस्तकों में ₹3,73,390.40 की शुद्ध देनदारी दर्ज पाई गई आउटपुट)GST देनदारी₹ :7,59,834.06 घटा इनपुट टैक्स क्रेडिट :₹3,86,443.66)। हालाँकि, दायर किए गए GST रिटर्न की जाँच से यह पुष्टि होती है कि संबंधित सभी GST देनदारियाँ विधिवत चुका दी गई हैं। यह असंगति संकेत करती है कि वित्तीय विवरणों में समापन शेष अधिक दर्शाया गया है। अंतर के मूल कारण की पहचान के लिए तत्काल समन्वय आवश्यक है, और बकाया शुद्ध देनदारी को समाप्त करने हेतु एक संशोधन जर्नल प्रविष्टि पोस्ट की जानी चाहिए।	नोट किया गया, हम वर्ष 2025-26 के दौरान प्रविष्टियों को सुधारेंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन को तुरंत सुधारें और परिषद को इसकी सूचना दें।
6	लेजर की समीक्षा में CPS खाते के अंतर्गत ₹11,28,684.00 की बकाया देनदारी दर्शाई गई है। आगे के सत्यापन से यह पुष्टि हुई कि यह पूरी देनदारी एक अन्य लेजर के माध्यम से पहले ही चुका दी गई है। किंतु आवश्यक समन्वय प्रविष्टि दर्ज न किए जाने के कारण पुस्तकों में यह देनदारी अब भी प्रदर्शित होती रही। यह विसंगति वर्तमान देनदारियों को अधिक दर्शाती है और तत्काल संशोधन की आवश्यकता है।	नोट किया गया। एनसीसीटी के निर्देशानुसार इस विषय को राइटऑफ कर दिया जाएगा-	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे NCCT मुख्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्ण विवरण के साथ उचित कारण प्रदान करें।
7	दूरस्थ देनदारियों के संबंध में कई वर्षों से कुछ मदों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि इन प्रावधानों की समीक्षा की जाए और इन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि अपेक्षा से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। विवरण | राशि अतिथि संकाय को देय | 2000.00	नोट किया गया, हम वर्ष 2025-26 के दौरान प्रविष्टियों को सुधारेंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन को तुरंत सुधारें और परिषद को इसकी सूचना दें।

	मानदेय प्रशासनिक व्यय प्रावधान FY 2023- 24 — 132020.11 स्थापना व्यय प्रावधान FY 2023- 24 — 486198.00 ठेकेदार को देय TDS — 1209.00		
8	आंतरिक ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि ₹1,06,001.00 की राशि, जो आंतरिक ऑडिट रिकवरी से संबंधित है, उसे गलत तरीके से चालू देनदारियों)Current Liabilities) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह राशि वास्तव में एक वसूल योग्य क्रेडिट बैलेंस को दर्शाती है और इसे सही रूप से चालू परिसंपत्तियों)Current Assets) में दिखाया जाना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि आवश्यक संशोधन प्रविष्टियाँ पास की जाएँ ताकि इस राशि का पुनः वर्गीकरण सही तरीके से किया जा सके।	नोट किया गया, हम वर्ष 2025-26 के दौरान प्रविष्टियों को सुधारेंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन को तुरंत सुधारें और परिषद को इसकी सूचना दें।
9	10,500. की एक अग्रिम 00राशि एक कर्मचारी को दी गई थी, जिसे वर्तमान में चालू परिसंपत्ति)Current Asset) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, इस राशि की भविष्य में वसूली या प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसे परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना उचित नहीं है। यह अनुशंसा की जाती है कि इस मद की तुरंत समीक्षा की जाए, इसकी वास्तविक प्रकृति जैसे)– व्यय, खराब ऋण आदिनिर्धारित की (जाए, और वित्तीय विवरणों में सही वर्गीकरण हेतु आवश्यक संशोधन प्रविष्टि की जाए।	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन को नोट किया गया, हम भुगतान के हेड को रिवर्स करेंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन को तुरंत सुधारें और परिषद को इसकी सूचना दें।
10	यह देखा गया है कि कुछ प्राप्य राशियाँ वास्तव में प्राप्त हो चुकी हैं, फिर भी उन्हें बैलेंस शीट में बकाया प्राप्य)Outstanding Receivables) के रूप में दिखाया जा रहा है। सही वित्तीय स्थिति दर्शाने के लिए इसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। विवरण — राशि MCDC Ltd — 94882.00	जैसा सुझाया गया, राशि हस्तांतरित की गई और अवलोकन का पालन किया गया।	संस्थान द्वारा पहले ही आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।
11	कुछ पुराने प्राप्य ऐसे हैं, जिनके लिए अब भुगतान प्राप्त होने की कोई वर्तमान बाध्यता नहीं है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि वित्तीय स्थिति को यथार्थ रूप से दर्शाने हेतु इन राशियों के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया जाए।	नोट किया गया, NCCT के निर्देशानुसार इस मुद्दे को write off किया जाएगा।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे राशि के लिए प्रस्ताव NCCT को प्रस्तुत करें ताकि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

	<table><tr><td>विवरण</td><td>राशि</td></tr><tr><td>शुल्क प्राप्य</td><td>1,81,076.00</td></tr><tr><td>वित्तीय सहायता)NCUI) 2016– 17</td><td>77,408.00</td></tr><tr><td>प्राप्य</td><td>2,000.00</td></tr></table>			
12	नवंबर में निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्राप्त 2023 राशि जब्त कर ली गई है, और इस राशि को वापस करने की कोई भविष्य बाध्यता नहीं है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि इस राशि को चालू परिसंपत्ति के रूप में दिखाने के बजाय आय एवं व्यय खाते में अप्रत्यक्ष आय)Indirect Income) के रूप में मान्यता दी जाए।	जैसा सुझाया गया, राशि हस्तांतरित की गई और अवलोकन का पालन किया गया।	संस्थान द्वारा पहले ही आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।
13	GST देयता खाते में ₹58,846.71 का डेबिट बैलेंस कई वर्षों से चालू परिसंपत्ति के रूप में प्रदर्शित है। हालांकि, इस राशि को निपटाने की कोई वर्तमान देनदारी नहीं है। यह अनुशंसा की जाती है कि इस शेष राशि का मिलान किया जाए और इसे सही लेखांकन शीर्ष के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकृत किया जाए।	नोट किया गया, हम वर्ष 2025-26 के दौरान प्रविष्टियों को सुधारेंगे।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन की समीक्षा करें और इसे तुरंत सुधारें तथापरिषद को इसकी सूचना दें।
14	कुछ पुरानी देनदारियाँ, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है, बैलेंस शीट में अभी भी प्रदर्शित हैं, जबकि इन राशियों को निपटाने की कोई वर्तमान बाध्यता प्रतीत नहीं होती। यह अत्यंत अनुशंसित है कि इन शेष राशियों की शीघ्र समीक्षा और समन्वय की जाए। <table><tr><td>विवरण</td><td>राशि</td></tr><tr><td>मेस डिपॉज़िट</td><td>16,234- Debit Balance</td></tr><tr><td>प्रशिक्षण शुल्क</td><td>5,75,174.00</td></tr><tr><td>बैंक द्वारा गलत जमा</td><td>3,924.00</td></tr><tr><td>स्टाफ को वेतन एवं मानदेय देय</td><td>35,138.00</td></tr><tr><td>प्राइस डोनेशन खाता</td><td>1,64,271.89</td></tr></table>	नोट किया गया, प्रविष्टियों को सुधारने के लिए वर्ष 2025-26 में पहल की जाएगी।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन की समीक्षा करें और इसे तुरंत सुधारेंतथापरिषद को इसकी सूचना दें।

<table>
<tr><td>15</td><td>यह देखा गया है कि इकाई ने निम्नलिखित कर्मियों के साथ अनुबंध किए हैं और उनके अनुसार भुगतान भी किए हैं। हालांकि, TDS को गलत तरीके से धारा 192B के अंतर्गत काटकर जमा किया गया, जबकि लागू दर 2% के साथ धारा 194C के अंतर्गत कटौती की जानी चाहिए थी। लेनदेन का विवरण इस प्रकार है :.
<table><tr><td>नाम</td><td>कटौती की गई धारा</td><td>लागू धारा</td><td>राशि</td><td>TDS राशि @2%</td></tr><tr><td>Akula Raja Gopalrao</td><td>192B</td><td>194C</td><td>53,500.00</td><td>1070.00</td></tr><tr><td>Ashish Joshi</td><td>192B</td><td>194C</td><td>40,000.00</td><td>800.00</td></tr></table></td><td>1) डॉअकुला राजा गोपालराव.. वर्तमान में इस संस्थान में लेक्चरर नहीं हैं, इसलिए उनका TDS काट गया है।

2) डॉ आशीषजोशी कर स्लैब में नहीं आते हैं, इसलिए इस वित्तीय वर्ष से उनका TDS काटा नहीं गया है।</td><td>कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।</td></tr>
<tr><td></td><td>एमबीए</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि 07.06. 2024 ₹ को अतिथि संकायों को61,000 मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था। लागू दर 10% के अनुसार ₹6,100 का TDS सही रूप से काटा गया, लेकिन ऑडिट की तिथि तक यह कटौती सरकारी प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराई गई है।</td><td>लेखा परीक्षा जाँच बिंदु पर ध्यान दिया गया और हम दिसंबर-2025 में लेट पेमेंट के साथ TDS राशि Rs.6100/- दे रहे हैं।</td><td>संस्थान द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्रवाई की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रोफेशनल लेजर में TDS का उद्घाटन शेष ₹190.00 का अंतर दर्शाता है। यह विसंगति मार्च 2024में गलत तरीके से की गई दोहरी प्रविष्टि के कारण उत्पन्न हुई है। कृपया संबंधित प्रविष्टियों की पहचान करें और अंतर को समाप्त करने तथा प्रारंभिक शेष को सही करने हेतु आवश्यक संशोधन जर्नल प्रविष्टि पास करें।</td><td>ध्यान दें कि हम साल 2025-26 के दौरान एंट्रीज़ को ठीक कर लेंगें।</td><td>संस्थान द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्रवाई की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यह देखा गया है कि MBA यूनिट के बैंक खाते का संबंधित बैंक स्टेटमेंट से मिलान नहीं किया गया है।
• पुस्तकों के अनुसार बैंक शेष:₹36,92,850.08
•पासबुक के अनुसार बैंक शेष:₹1,72,678.83
•अंतर:₹35,20,171.25
पुस्तक शेष और पासबुक शेष के बीच का अंतर लंबित बैंक समन्वय को दर्शाता है। खाते का शीघ्र मिलान किया जाए और सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक प्रविष्टियाँ पास की जाएँ।</td><td>ध्यान में लिया गया आवश्यक संसोधन वित्त वर्ष 2025-2026 से प्रविष्टिया ठीक कर लिया जायेगा।</td><td>संस्थान द्वारा मौजूदा FY 2025-26 में कार्रवाई की जाएगी।</td></tr>
</table>

4	यह नोट किया गया कि संकाय सदस्यों — आशीष जोशी)₹10,000.00), तथा संजय मेश्राम)₹15,000.00) —को दिए गए अग्रिम अभी तक समायोजित नहीं किए गए हैं। संबंधित वास्तविक व्यय हो चुके हैं, किंतु अग्रिम राशि व्यय या देनदारी को समायोजित करने में उपयोग नहीं की गई। यह अनुशंसा की जाती है कि तुरंत निपटान प्रविष्टियाँ पास की जाएँ ताकि बकाया अग्रिम शेष को संबंधित व्यय खातों के विरुद्ध सही रूप से समायोजित किया जा सके।	स्टैच्युटरी ऑडिटर की बात पर ध्यान दिया गया, हम पेमेंट का हेड बदल देंगे।	संस्थान द्वारा मौजूदा FY 2025-26 में कार्रवाई की जाएगी।
5	बैंक खातों के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉज़िट खाते में पुस्तकों में ₹39,90,690.00का क्रेडिट बैलेंस दर्शाया गया है, जबकि संबंधित बैंक स्टेटमेंट में शून्य बैलेंस दिखाया गया है। यह विसंगति तत्काल बैंक मिलान की आवश्यकता को दर्शाती है।	नोट किया गया, हम वर्ष 2025-26 के दौरान प्रविष्टियों को सुधारेंगे।	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में संस्था द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
6	.₹9,546.00 की बीमा शुल्क राशि कई वर्षों से BOA में एक प्राप्य राशि के रूप में दर्ज है। यह राशि वास्तविक प्राप्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि यह बीमा शुल्क छात्रों से प्राप्त कर बीमा एजेंसी को भुगतान किया जा चुका है। कोई शेष राशि वसूल की जानी नहीं है, इसलिए इसे प्राप्य के रूप में दिखाना उचित नहीं है। अतः इसे लिख ऑफ किए जाने की अनुशंसा की जाती है।-	ध्यान रहे, हम एनसीसीटी के निर्देश पर इस मामले को खत्म कर देंगे।	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में संस्था द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
7	यह नोट किया गया कि ₹46,000.00 की एक राशि सुश्री अंशुमई श्रीवास्तव को अतिथि सुविधाओं के लिए भुगतान की गई। हालांकि, TDS केवल ₹1,600.00 काटकर जमा किया गया, जबकि सही राशि ₹4,600.00 थी। परिणामस्वरूप, ₹3,000.00की TDS कटौती कम रह गई। यह अनुशंसा की जाती है कि ₹3,000.00 का शेष TDS काटकर जमा किया जाए।	स्टैच्युटरी ऑडिटर की बात पर ध्यान दिया गया, हम पेमेंट का हेड बदल देंगे।	संस्थान द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्रवाई की जाएगी।
	सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे		
1	यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान परिसंपत्ति और देनदारियों के तहत क्रमशः प्राप्य और देय कुछ राशि बिना किसी लेनदेन या अद्यतन के - एक वर्ष से अधिक के लिए शुद्ध रही है। इकाई को इन दीर्घकालिक शेष राशियों की एक विस्तृत समीक्षा और मिलान करने की सिफारिश की जाती है और उनके उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन और लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लेखांकन	जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया है कि आईसीएम पुणे बकाया रसीद का निपटान के लिए आवश्यक करवाई करेगा तथा परिषद को सूचना देगा।	संस्था को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं की समीक्षा एवं मिलान करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

	कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की जाती है।		
	सहकारी प्रबंध संस्थान, तिरुवंतपुरम		
1	NCCT के निर्देशों के अनुसार इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होता है कि एंडोमेंट फंड का बैलेंस किए गए निवेशों के बराबर हो। परंतु ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि इकाई ने Tally में कोई निवेश प्रदर्शित नहीं किया है।	पिछले 3 वर्षों से हमें एनसीसीटी से एडमिन एवं प्रशिक्षण व्यय अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही हमें यह प्राप्त होगा, हम एंडोमेंट फंड के बराबर निवेश कर पाएंगे। 31.03.2025 तक ₹65,00,000/- एफडी में है, जिसे हमने अपनी टैली में "FDR" शीर्षक के अंतर्गत दिखाया है।	संस्था को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने हेतु एनसीसीटी मुख्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
2	GST पोर्टल के कैश लेजर के अनुसार 2024– 25 के लिएGST TDS Receivable का समापन शेष –₹2,520 है। GST पोर्टल में तक 2025 मार्च 31 कोई बैलेंस नहीं है और कोईGST क्रेडिट भी दावा नहीं किया गया है।	हमने साइट पर उपलब्ध सभी GST TDS को प्राप्त कर उसका हिसाब कर लिया है, मार्च 2025 तक साइट पर दर्शाए अनुसार हम इस शेष को समायोजित कर देंगे।	इस संबंध में संस्था द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है।
	क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, बैंगलोर		
1	विविध देनदारों)Sundry Debtors) की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ अवशिष्ट शेष राशि ऐसी प्रकृति की है जो या तो आशंकित)Contingent) है या अब वसूल नहीं की जा सकती। ऐसे संदिग्ध देनदारों)Doubtful Debts) के लिए कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे चालू परिसंपत्तियों)Current Assets) का मूल्य अधिक दर्शाया जा सकता है।	संस्थान द्वारा आवश्यक पहल करने पर बकाया राशि **₹51,91,429** से घटकर **₹4,05,372.30** रह गई है। संस्थान आगे भी बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी रखेगा ताकि चालू परिसंपत्तियों का अधिक आकलन न हो।	संस्थान को देनदारों के साथ मामले का अनुसरण कर बकाया राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है।
2	यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2023–से संबंधित 24) जीएसटी देयताGST Liability) ऑडिट की तिथि तक भी अप्रदत्त)Unpaid) है। इस देनदारी का मेल) मिलान-Reconciliation) किया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी ब्याज या दंड)Interest and Penalty) की स्थिति से बचा जा सके।	संस्थान नियमित रूप से GST निर्धारित समयसीमा से पहले - जमा कर रहा है। फिर भी, संस्थान इस मामले की जांच करेगा ताकि GST प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।	ऑडिटर द्वारा दिए गए सुझावनुसार, यह कार्रवाई संस्थान द्वारा चालू वित्त वर्ष 2025–26 में की जाएगी।
3	यह भी देखा गया कि संस्थान ने Reverse Charge Mechanism (RCM) के अंतर्गत देय सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट)ITC) का दावा किया है, जबकि इसके संबंधित जीएसटी देयता का भुगतान नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया जीएसटी प्रावधानों के विरुद्ध है और इससे आईटीसी अस्वीकृत होने तथा दंडात्मक कार्रवाई होने की संभावना है।	संस्थान RCM के अंतर्गत ITC से संबंधित GST मानदंडों का पालन करता है। ITC उसी महीने में दावा किया गया है जिसमें RCM देयता को मान्यता दी गई। संस्थान ऑडिटर की टिप्पणियों के अनुसार RCM देयता का मिलान करेगा और GST नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा।	ऑडिटर द्वारा दिए गए सुझावनुसार संस्थान को GST नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

	क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, चंडीगढ़		
1	पॉलिसी सं.– 231301/ 11/ 2025/ 43 & 231301/ 48/ 2025/ 611 कुल पॉलिसी राशि – 78,108/- अवधि– 22/6/2024 to 21/6/2025 प्राप्य– 10,00,000/- दिन: - 365 दिन लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बीमा व्यय की राशि ₹60,346/- और पूर्व-भुगतान बीमा व्यय की राशि ₹17,762/- पुस्तकों में अभिलेखित की गई है। हालाँकि, गणना के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि बीमा अवधि को दिनों में उल्लेख किया गया था, लेकिन पूर्व-भुगतान राशि की गणना मासिक आधार पर की गई थी, जबकि इसे दैनिक आधार पर करना आवश्यक था। इकाई में इस गणना में अंतर के कारण ₹1,805/- का अंतर दिख रहा है। Tally में दिखाई गई राशि के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े प्रदर्शित हैं: पूर्व-भुगतान बीमा– ₹ 19,515 बीमा खर्च – ₹ 58,543 जबकि वास्तविक दिवस) आधारित-day-wise) गणना के अनुसार सही राशि इस प्रकार होनी चाहिए: "पूर्व-भुगतान बीमा – ₹ 17,762 बीमा खर्च – ₹ 60,346	आवश्यक संशोधन प्रविष्टियाँ पुस्तकों में की जाएंगी ताकि दैनिक आधार पर विभाजित राशि सही रूप में दर्शाई जा सके।	संस्थान को वैधानिक ऑडिटर द्वारा की गई टिप्पणी का तत्काल निराकरण कर परिषद को सूचित करने के लिए कहा गया है।
2	लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ब्याज प्रमाणपत्र के अनुसार प्राप्त ब्याज की राशि ₹6,68,679/- है। हालांकि, Tally अभिलेखों के अनुसार केवल उत्पन्न ब्याज की प्रविष्टियाँ दर्ज की गई हैं तथा वास्तविक प्राप्त (Interest Received) से संबंधित कोई प्रविष्टि उपलब्ध नहीं पाई गई। Tally में दर्ज ब्याज से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है: अर्जित ब्याज – ₹ 4,87,245 Interest received on FD break – ₹ 34,838 Interest received on FD break – ₹ 92,571 टैली के अनुसार कुल Total as per Tally: ₹ 6,14,654/- प्रमाणपत्र के अनुसार प्राप्त ब्याज ₹ 6,68,679/- लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि स्थायी	संस्थान स्पष्ट करना चाहता है कि ब्याज से संबंधित प्रविष्टियाँ केवल बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त ब्याज प्रमाणपत्र के आधार पर दर्ज की गई हैं। अवरुद्ध ब्याज की गणना एनसीसीटी मुख्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अवरुद्ध ब्याज की राशि उसी वित्तीय वर्ष में एनसीसीटी मुख्यालय को जमा की गई और खातों में प्रविष्टियाँ भी की गईं है। अतः प्राप्त एवं अवरुद्ध ब्याज का पूरा उपचार दिशानिर्देशों के	संस्थान को वैधानिक ऑडिटर द्वारा की गई टिप्पणी की समीक्षा एवं संशोधन कर तत्काल परिषद को सूचित करने हेतु कहा गया है।

	जमा की प्रारंभिक शेष राशि ₹90,00,000/- है, जिसके साथ ₹4,34,436/- की प्रारंभिक ब्याज संचित राशि दर्ज है। वर्ष के दौरान, ₹25,00,000/- की एक FD समयपूर्व बंद की गई, और ₹92,571/- की ब्याज राशि को संचित ब्याज शेष के विरुद्ध समायोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2024 में ₹3,50,000/- की एक अन्य FD बंद की गई, और शेष संचित ब्याज राशि ₹3,41,865/- का भी इसी प्रकार समायोजन किया गया। हालांकि, लेखा सिद्धांतों के अनुसार केवल उतना ही ब्याज संचित ब्याज खाते से समायोजित किया जाना चाहिए, जितना वास्तविक रूप से प्राप्त (Realized) हुआ है। शेष राशि तब तक संचित ब्याज के रूप में बनी रहनी चाहिए जब तक वह प्राप्त नहीं हो जाती। Tally में दर्ज प्रविष्टियाँ इस सिद्धांत का पालन करती हुई प्रतीत नहीं होतीं, जिसके परिणामस्वरूप संचित ब्याज और ब्याज आय के लेखांकन में त्रुटिपूर्ण व्यवहार दर्ज हुआ है।	अनुसार किया गया है। संस्थान पुनः रिकॉर्ड का सत्यापन करेगा ताकि सभी प्रविष्टियाँ प्रमाणपत्र एवं एनसीसीटी मानकों के अनुरूप हों।	
	बीबीए		
1	लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि स्थायी - जमा पर संचित ब्याज Tally में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि बैंक द्वारा जारी ब्याज प्रमाणपत्र में यह राशि प्रदर्शित है। प्रमाणपत्र के अनुसार कुल संचित ब्याज की राशि ₹2,41,624/- है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि वर्ष की शुरुआत में FD की शेष राशि ₹29,00,000/- थी, जबकि वर्षांत पर यह बढ़कर ₹59,00,000/- हो गई है। FD निवेश में इस महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, संबंधित संचित ब्याज प्रविष्टियाँ Tally में दर्ज नहीं की गई हैं। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आय और परिसंपत्तियों दोनों का Understatement हुआ है।	आवश्यक संशोधन प्रविष्टियाँ बहियों में की जाएँगी ताकि विभाजित राशि को सही तरीके से दर्शाया जा सके।	संस्थान को वैधानिक ऑडिटर द्वारा की गई टिप्पणी की समीक्षा कर तत्काल आवश्यक सुधार करने तथा परिषद को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
	क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, गांधीनगर		
1	यह देखा गया है कि सावधि जमा पर (एफडी) अर्जित ब्याज को परिपक्व एफडी के वास्तविक ब्याज हिस्से के साथ ठीक से समायोजित नहीं किया गया है। नतीजतन, पुस्तकों में मान्यता प्राप्त ब्याज आय अवधि के दौरान अर्जित वास्तविक ब्याज को सटीक रूप से प्रतिबिंबित	ऑडिट के सुझाव के अनुसार अब संस्थान परिपक्व FDR तिथि के अनुसार अवरुद्ध ब्याज की समायोजन प्रविष्टि करेगा।	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया है। ऑडिटर्स के सुझावों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

	नहीं करती है। प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज प्रमाण पत्र या बैंक पुष्टि के आधार पर एफडी परिपक्वता के समय अर्जित ब्याज का मिलान और समायोजन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित लेखांकन उपचार का पालन किया जाना चाहिए कि अर्जित और वसूल किए गए ब्याज दोनों को वित्तीय विवरणों में सही ढंग से दर्ज किया गया है, जिससे ब्याज आय और संबंधित परिसंपत्तियों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।		
2	यह देखा गया है कि एनसीसीटी से प्राप्य टीडीएस के रूप में वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत रु. 41,47,761. 50/ - की सूचना दी गई है। शेष राशि लंबे समय तक बकाया रही है, और यह ध्यान दिया गया है कि मुख्यालय के साथ कोई पुष्टि, या पत्राचार नहीं किया गया है।	यह मामला एनसीसीटी मुख्यालय में विचाराधीन है।	आवश्यक कार्रवाई हेतु, एनसीसीटी मुख्यालय द्वारा आगे की प्रक्रिया करने के लिए संस्थान को विवरण तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
3	यह देखा गया है कि एनसीसीटी मुख्यालय से प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेषण खाते में वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत रु. 1,45,70,938.की सूचना दी गई है। हालांकि 80, इन प्रशासनिक और अन्य खर्चों के निपटान के संबंध में कोई स्पष्टता या सहायक संचार नहीं है। इसके अलावा, मुख्यालय द्वारा यह पुष्टि करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है कि क्या इन खर्चों की प्रतिपूर्ति एनसीसीटी एचओ द्वारा की जानी है या इकाई स्तर पर कार्यक्रम आय से वहन करने की आवश्यकता है। क. यह भी ध्यान दिया जाता है कि इस शीर्ष के तहत शेष राशि सालसाल ब-दर-ढ़ रही है, यह दर्शाता है कि आवधिक आधार पर कोई समाधान या निपटान प्रक्रिया नहीं की जा रही है।	यह मामला एनसीसीटी मुख्यालय में विचाराधीन है।	यह मामला एनसीसीटी मुख्यालय में विचाराधीन है।

4	इसमें यह पाया गया है कि श्री भावेन के.दीक्षित .के नाम पर रु (एसडीपी)20,000हैं जो करीब -/ आठ वर्षों से अधिक के लिए जमा की वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया गया है। इस लंबी अवधि के दौरान शेष का निपटान, पत्राचार या सत्यापन के लिए उपलब्ध अनुवर्ती कार्रवाई का कोई सबूत नहीं है। प्रबंधन को इस दीर्घकालिक दायित्व की प्रकृति और वैधता की समीक्षा करनी चाहिए। यदि राशि अब देय नहीं हैदेयता नहीं है /, तो उपयुक्त लेखांकन लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।	संस्थान ने एक्स-मेस कॉन्ट्रैक्टर श्री भावेन के. दीक्षित से संपर्क किया है और डिपॉजिट वापस करने का प्रोसेस चल रहा है।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वह एक्स-मेस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मामले को आगे बढ़ाए और राशि सेटल करे।
5	यह देखा गया है कि श्री आरसेकरा .पी., पूर्व निदेशक से (पीपी एवं एक वेतन वृद्धि बकाया) चालू - जमा राशि" संबंधित राशि आज भी "देनदारियाँ के अंतर्गत इसलिए प्रदर्शित हो रही है क्योंकि अभिलेख सत्यापन के दौरान इस देनदारी से संबंधित कोई प्रमाणिक दस्तावेज, पत्राचार, दावा या पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। लेखा परीक्षण अवधि के दौरान सत्यापन के कई प्रयासों के बावजूद कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः जब तक संबंधित अधिकारीव्यक्ति की ओर से / प्रमाणित पुष्टि या दावा प्राप्त नहीं होता, इस राशि का निपटान, समायोजन अथवा समाप्ति संभव नहीं है। प्रबंधन को इन लंबे समय से लंबित शेष राशि की प्रामाणिकता और निरंतर वैधता की जांच करनी चाहिए। यदि किसी भी मौजूदा दायित्व या दावे के अभाव में, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लागू लेखांकन सिद्धांतों और संगठनात्मक नीतियों जैसे कि वापस लिखना या आय में राशि स्थानांतरित करना के अनुसार उचित लेखांकन कार्रवाई की जानी चाहिए। खातों की बहियों में अपनाए गए उपचार को प्रमाणित करने के लिए उचित दस्तावेज़ीकरण और औचित्य भी बनाए रखा जाना चाहिए।	संस्थान को LTC एयर फेयर की रिकवरी का सेटलमेंट करना है क्योंकि उस समय वह क्रूज़ फेयर के हकदार थे। अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट पर पुराना क्रूज़ फेयर रेट उपलब्ध नहीं है। अब, संस्थान जल्द ही इस केस के सेटलमेंट के लिए परिषद् को पत्र भेजेगा।	संस्थान से अनुरोध किया गया है कि वे श्री आर.पी. सेकरा के LTC क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करें।
6	यह देखा गया है कि रुपये 30,375/- (एसआईआरडी अहमदाबाद से संबंधित तथा (1 रुपये,816.94/- (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की राशि (से संबंधित (सेबी)	संस्थान ने SIRD-Ahmedabad तथा SEBI-Mumbai द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन संगठनों ने संस्थान द्वारा भेजे गए कार्यक्रम शुल्क से	संस्थान ने SIRD-Ahmedabad तथा SEBI-Mumbai द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन संगठनों ने संस्थान द्वारा भेजे गए कार्यक्रम शुल्क से उक्त

	विविध देनदार"– चालू परिसंपत्तियोंके अंतर्गत " दर्शाई गई है तथा पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से अवशिष्ट है। सत्यापन हेतु न तो वसूली कार्रवाई संबंधी कोई प्रमाण, न पत्राचार और न ही संबंधित पक्षों से कोई पुष्टि उपलब्ध कराई गई है। प्रबंधन को इन लंबे समय से लंबित शेष राशियों की वसूली की संभावना की समीक्षा करनी चाहिए। यदि यह राशि वसूल योग्य नहीं पाई जाती है, तो इसे लिखित रूप से समाप्त (write off) करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।	उक्त राशि काट ली है। संस्थान ने राशि की वसूली का प्रयास किया लेकिन SIRD-Ahmedabad ने बताया कि कार्यक्रम एक पुराने परियोजना के अंतर्गत था जो अब बंद हो चुकी है, इसलिए वे भुगतान करने में असमर्थ हैं। SEBI-Mumbai ने भी अपने शुल्क से राशि काट ली है और वे भी भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं।	राशि काट ली है। संस्थान ने राशि की वसूली का प्रयास किया लेकिन SIRD-Ahmedabad ने बताया कि कार्यक्रम एक पुराने परियोजना के अंतर्गत था जो अब बंद हो चुकी है, इसलिए वे भुगतान करने में असमर्थ हैं। SEBI-Mumbai ने भी अपने शुल्क से राशि काट ली है और वे भी भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं।
7	यह देखा गया है कि रुपये 8,58,753/- की राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत एनसीसीटी से प्राप्त होने वाली टीडीएस राशि के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि लंबे समय से अवशिष्ट है। आगे यह भी देखा गया कि इस संबंध में मुख्यालय द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है और इकाई द्वारा इसे निरंतर बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जा रहा है।	संस्थान ने पहले ही अपने पत्र संख्या TDS-QR/2025-26/280 दिनांक 09-07-2025 सेसंबंधित संगठनों को फॉर्म–16A के साथ भेजा है, ताकि उक्त राशि की प्रतिपूर्ति हो सके। राशि प्राप्त होने के बाद परिषद के खातों में इसका निपटान कर दिया जाएगा।	संस्थानों को आवश्यक दस्तावेजों सहित विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि एनसीसीटी मुख्यालय द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
8	यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रारंभिक निवेश राशि रुपये 3,60,00,000/- थी, जबकि समापन निवेश राशि रुपये 3,45,00,000/- रही। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देय ब्याज (Accrued Interest) रुपये 7,62,381/- है, जबकि पिछले वर्ष यह रुपये 9,27,503/- थी। ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि देय ब्याज की प्रविष्टियों का समायोजन या मेल-मिलान परिपक्व और पूर्व-परिपक्व (Premature) फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) पर प्राप्त वास्तविक ब्याज से ठीक तरीके से नहीं किया गया है। आगे यह भी देखा गया कि देय ब्याज की पूरी राशि को वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज से समायोजित कर दिया गया है, बिना यह मिलान किए कि देय ब्याज की कौन-सी राशि किस एफ.डी. से संबंधित है। इस प्रकार की लेखा प्रक्रिया के कारण निवेश शेष और ब्याज आय में अंतर आ सकता है, जिससे वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। अतः अनुशंसा की जाती है कि प्रबंधन देय ब्याज और वास्तविक प्राप्त ब्याज के बीच विस्तृत मेल-	भविष्य के लिए नोट किया गया।	संस्थान को निर्देश दिया गया है कि संचित और वास्तविक ब्याज का मिलान कर वर्तमान वित्तीय वर्ष से आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ पारित करें।

	मिलान (Reconciliation) करवाए तथा आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ दर्ज करें ताकि निवेश एवं संबंधित आय का सही लेखांकन और प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।		
	क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, कल्याणी		
1	जनरेटर किराया व्यय को पानी और विद्युत व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो उपयुक्त नहीं है। ऐसे व्यय को संबंधित व्यय शीर्ष के अंतर्गत अलग से वर्गीकृत और दर्ज किया जाना चाहिए। आगे, किराया शुल्क TDS प्रावधानों के अंतर्गत आ सकता है, और एक निश्चित सीमा से अधिक भुगतान होने पर स्रोत पर कर कटौती लागू होगी। इकाई को सलाह दी जाती है कि वर्गीकरण की समीक्षा करें और लागू TDS आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करें। जनरेटर का उपयोग केवल बैकअप पावर स्रोत के रूप में किया जाता है, और संबंधित किराया शुल्क ₹2,400 प्रति माह है। इसलिए, वार्षिक व्यय TDS के लिए निर्धारित सीमा तक नहीं पहुँचता, अतः इस मामले में TDS लागू नहीं होता।	जनरेटर का उपयोग केवल बैकअप पावर स्रोत के रूप में किया जाता है, जिसका हायरिंग शुल्क ₹ 2,400 प्रति माह है। अतः वार्षिक व्यय टीडीएस लागू होने की निर्धारित सीमा तक नहीं पहुँचता, इसलिए इस मामले में टीडीएस प्रावधान लागू नहीं होते।	ऑडिट द्वारा दिए गए सुझावनुसार आवश्यक कार्रवाई संस्थान द्वारा की जाएगी।
2	रामकृष्ण मिशन आश्रम से खरीदी गई स्टेशनरी और अध्ययन सामग्री GST पंजीकृत नियमित आपूर्तिकर्ता से ली गई है; हालांकि, इनवॉइस जारी करते समय GST नहीं लगाया गया।	अध्ययन सामग्री रामकृष्ण मिशन द्वारा छापी जाती है और पश्चिम बंगाल के सभी CTIs के प्रतिभागियों में वितरित की जाती है। यह सामग्री किसी भी लाभ कमाने या व्यापारिक उद्देश्य से नहीं बेची जाती। इन सामग्रियों का कोई ISBN नंबर नहीं है और इन्हें पुस्तकालय में दर्ज नहीं किया जाता — यह सीधे प्रशिक्षुओं को वितरित की जाती हैं। रामकृष्ण मिशन के पास मूल्य प्रकाशन या HSN कोड के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है जिसके आधार पर GST लग सके।	कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं।
	क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना		
1	यह देखा गया कि स्थायी परिसंपत्तियों)Fixed Assets) पर परिसंपत्ति टैगिंग नहीं की गई है।	लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए सुझावनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।	इस संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट संस्थान से प्राप्त की जाएगी।
2	यह देखा गया कि कुछ स्थायी परिसंपत्तियाँ, जो अब कार्यशील नहीं हैं ("Dead Assets"), संस्थान में अभी भी उपलब्ध हैं। इन परिसंपत्तियों	यह देखा गया कि कुछ स्थायी संपत्तियाँ जो अब कार्यशील नहीं हैं "डेड एसेट्स", अभी भी	संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, स्टटूटोरी ऑडिट द्वारा दिए सुझावनुसार वर्तमान वर्ष 2025-26

	के निस्तारण, लिखित समाप्ति या आगे की कार्रवाई के संबंध में न तो कोई औपचारिक चर्चा की गई है, न अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई गई है और न ही कोई औपचारिक निर्णय लिया गया है। परिणामस्वरूप, ये अकार्यात्मक परिसंपत्तियाँ संस्थान के परिसर में ही रखी हुई हैं।	संस्थान में पड़ी हुई हैं। इनकी निस्तारण या आगे की प्रक्रिया के संबंध में कोई उचित चर्चा, अनुमोदन प्रक्रिया या औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है। ये अनुपयोगी संपत्तियाँ संस्थान परिसर में ही पड़ी हुई हैं। विषय की समीक्षा की जाएगी और विधिक ऑडिट)Statutory Audit) द्वारा सुझाए अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवश्यक कार्रवाई संस्थान द्वारा की जाएगी।	में संस्थानों द्वारा कारवाई की जाएगी।
3	यह देखा गया कि वर्ष के दौरान ₹ 8,64,100 मूल्य का स्क्रैप बेचा गया है; हालांकि, बहियों में इस स्क्रैप मूल्य के समायोजन से संबंधित लेखा प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई हैं। संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं की गई है, और न ही स्क्रैप बिक्री को सही तरीके से आय के रूप में मान्यता दी गई है। इस कारण वर्ष के लिए परिसंपत्ति शेष (Asset Balances) और आय से अधिक दर्शाई जा सकती है, तथा वित्तीय विवरण वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाया हैं।	संस्थान यह बताना चाहता है कि ज़रूरी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। एक बड़ी चुनौती यह थी कि मिली स्क्रैप वैल्यू को कंसोलिडेट किया गया था और एसेट के हिसाब से बांटा नहीं गया था, जिससे खास फिक्स्ड एसेट्स से कमाई को सही तरीके से मैप करने में मुश्किलें आईं। संस्थान अभी इन जानकारी को मिलाने और सही क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पक्का करने पर काम कर रहा है। एसेट वैल्यू एडजस्टमेंट और इनकम रिकग्निशन से जुड़ी सभी ज़रूरी एंट्रीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सही और सही व्यू देने के लिए बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स में ठीक से शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, इंस्टिट्यूट भविष्य में स्क्रैप डिस्पोज़ल ट्रांज़ैक्शन के सही डॉक्यूमेंटेशन, सेग्रीगेशन और समय पर रिकॉर्डिंग पक्का करने के लिए अपने इंटरनल प्रोसेस को मज़बूत कर रहा है। इंस्टिट्यूट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सटीकता को बेहतर बनाने और लागू अकाउंटिंग और	संस्थान से रिक्वेस्ट की गई है कि वह स्टैच्युटरी ऑडिटर के ऑब्ज़र्वेशन को तुरंत रिव्यू करे और काउंसिल को बताए।

		इंटरनल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का पालन करने के लिए कमिटेड है।	
4	लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि बैगों की खरीद सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गई है । इसके अतिरिक्त: • 1, 505बैग की खरीद के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जबकि इस खरीद के लिए अनुमोदन अब भी लंबित है। किसी भी अनियमितता से बचने के लिए इकाई को क्रय प्रक्रिया)Procurement Procedure) का पालन करना चाहिए।	इस मामले में, संस्थान ने एनसीसीटी, नई दिल्ली के पत्र संख्या 3/1-7/2023-Admns, तारीख 15.05.2025 के हिसाब से पूर्व अनुमति के हिसाब से 400 बैग के लिए पेमेंट फाइनल कर दिया है। हालांकि, ऑडिटर्स के सुझाव के मुताबिक, ज़रूरी काम किया जाएगा।	एनसीसीटी से पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है।
5	लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि हाउसकीपिंग, सुरक्षा तथा मैनपॉवर की सेवाओं हेतु अलगअलग निविदाएँ जारी की गई थीं। - तथापि, प्रत्येक सेवा के लिए अलग निविदा जारी किए जाने के बावजूद, मानक क्रय प्रक्रिया के अनुसार सभी निविदाओं को खोलने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का पालन किए बिना ही सभी निविदाएँ एक ही विक्रेता, M/s Forgrand Private Limited, को प्रदान की गईं। किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने हेतु इकाई को निर्धारित क्रय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।	मेसर्स फोर्जफ्रंट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट संस्थान ने 31.07.2025 को कैंसल कर दिया था, और 01.08.2025 से एक नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है, जिसे एनसीसीटी से अनुमोदन मिलने के बाद GeM पोर्टल के ज़रिए ठीक से प्रोसेस किया गया है, जिसके लिए पत्र संख्या 3/1	17/2023
6	यह देखा गया है कि चालू वर्ष के खातों में ₹87,09,268 की राशि टीडीएस प्राप्ति)TDS Receivable) के रूप में आरंभिक शेष दिख रही है। इस राशि का मुख्यालय से कोई समायोजन या मेलमिलान नहीं किया गया है।- संस्थान एक ही PAN के अंतर्गत संचालित होता है, अतः सभी टीडीएस क्रेडिट को मुख्यालय स्तर पर समेकित, मिलान एवं उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाना चाहिए। तथापि, मुख्यालय द्वारा न तो कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है और न ही अद्यतन टीडीएस क्रेडिट स्थिति प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप यह शेष एक और वर्ष के लिए बिना समायोजन के बना हुआ है।	यह मामला एनसीसीटी HO के समक्ष उठाया गया है।	यह मामला एनसीसीटी मुख्यालय के समक्ष उठाया गया है।
7	यह देखा गया है कि CGST Act की धारा 17(5) के तहत Blocked इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को लेखों में Reverse नहीं किया गया है। वर्ष के लिए पात्र और अपात्र (Ineligible) ITC की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का सही मेल-मिलान विवरण या कार्यपत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्थान को आवश्यक मेल-मिलान कर अपात्र ITC पर रोक लगानी चाहिए ताकि किसी भी वित्तीय हानि से बचा जा सके।	ऑडिटर के सुझाव के अनुसार समन्वय की जाएगी।	संस्थान से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी।

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

एनसीसीटी के संस्थानों की अवस्थिति

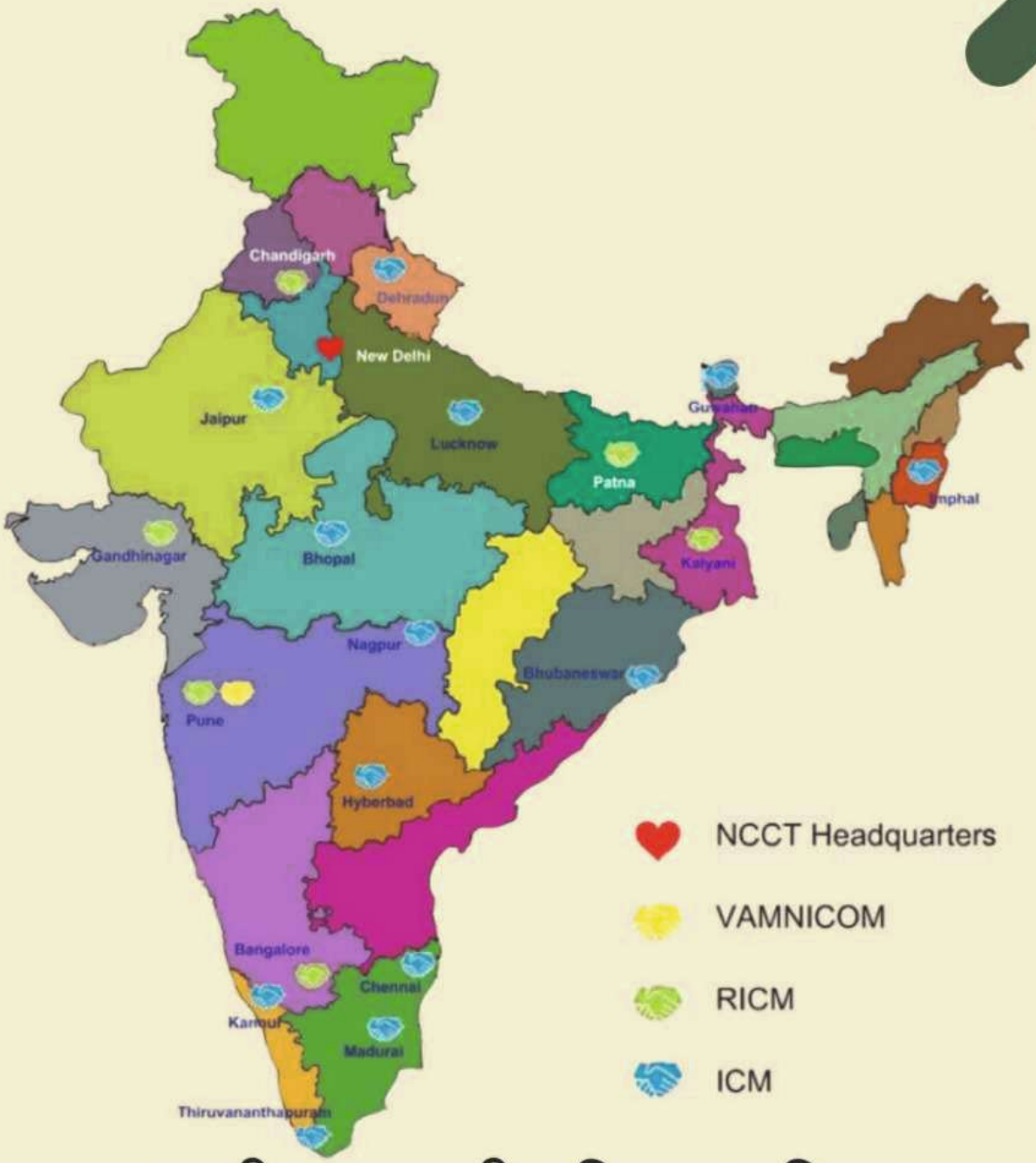

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वायत्त समिति)

www.ncct.ac.in

www.facebook.com/ncctandinstitutes

x.com/ncct_institutes

www.youtube.com/ncct_institutes